खण्ड-103, अंक-3
बुधवार, 18 आषाढ़, शक संवत् 1874
(9 जुलाई, 1952 ई0)

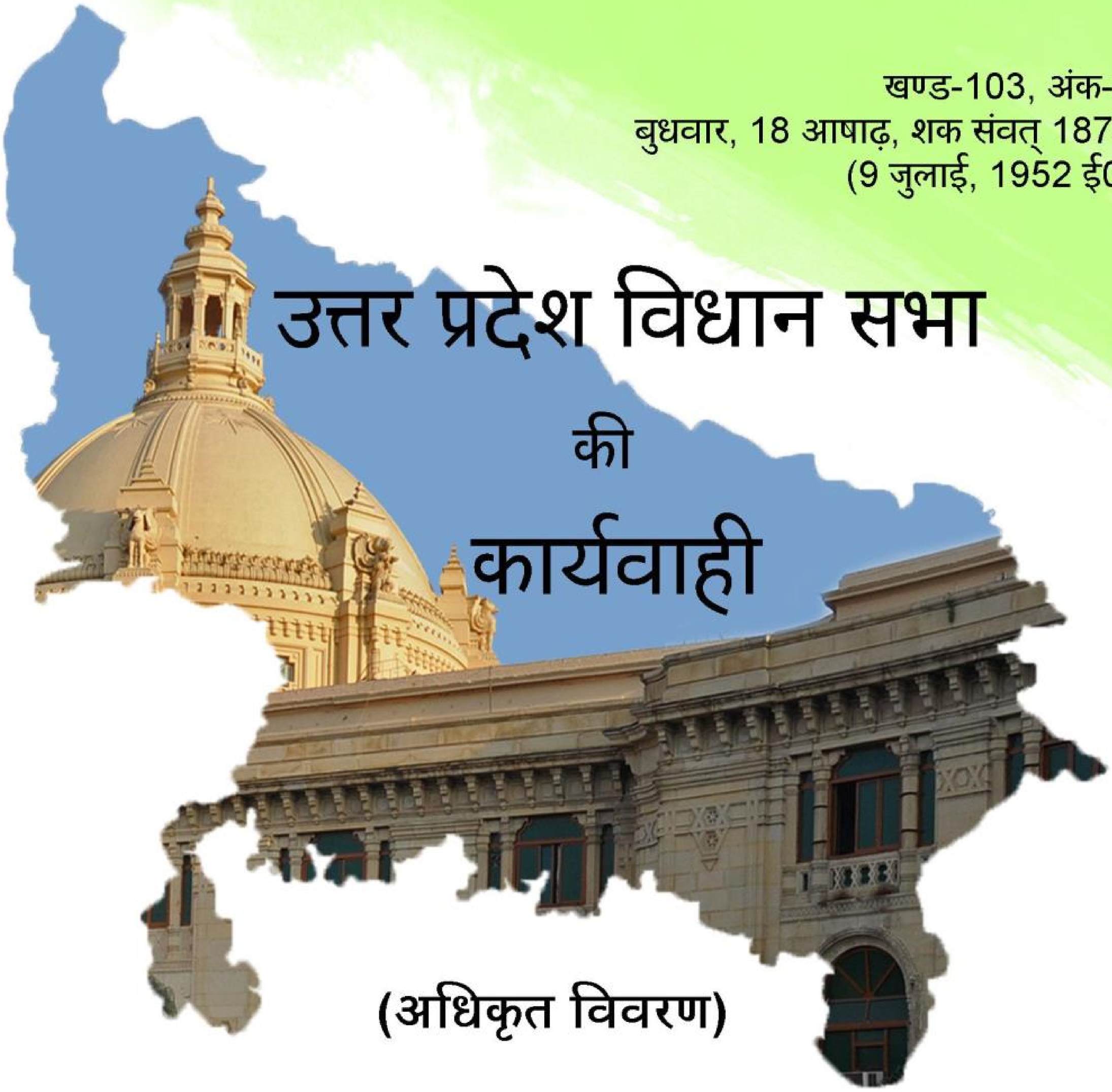

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 103 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ९ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सराफ, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगन्नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसिंह रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री

प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम जी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री,
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामसुख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री

शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द , डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सुर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला बोर्डों के टैक्सों के संबंध में जिलाधीशों के समक्ष निर्णीत अपीलें

*१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—क्या राज्य सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि राज्य के विभिन्न जिलों के जिलाधीशों के समक्ष जिला बोर्डों के टैक्सों के संबंध की ऐसी कितनी अपीलें विचाराधीन हैं जो क्रमशः १९४७, १९४८, १९४९, १९५० तथा १९५१ में दायर की गयी थीं परन्तु जिन पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के टैक्स के संबंध में राज्य के जिलाधीशों के समक्ष जो अपीलें विगत ५ वर्षों में दायर की गई थीं उनमें से निम्नांकित पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है।

जिलाधीश	१९४७	१९४८	१९४९	१९५०	१९५१
(१) आजमगढ़	०	०	०	३	१७
(२) रायबरेली	०	०	०	०	१
(३) फैजाबाद	८५	७०	७५	६५	२९३

श्री रामनारायण त्रिपाठी—राज्य के शेष जिलों के संबंधित आंकड़े क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—बाक़ी किसी और ज़िले में कोई अपील बाक़ी नहीं है।

*२—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार इन अपीलों के कम से कम समय में फैसले के लिये जिला मजिस्ट्रेटों के अलावा कोई दूसरी मेशीनरी का प्रबंध करने की आवश्यकता समझती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं।

*३—श्री नेकराम शर्मा—(जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये प्रश्नोत्तर आगे पृष्ठ ३६ पर।]

*४-६—श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)—[२३ जुलाई, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

यातायात की असुविधा के कारण कानपुर तथा बांदा—हमीरपुर रेलवे लाइन के बीच अनाज का पड़ा रहना

*७—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर तथा बांदा-हमीरपुर रेलवे लाइन के बीच के स्टेशनों पर उत्तर प्रदेशीय सरकार का कितना गल्ला यातायात की असुविधा के कारण पड़ा हुआ है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—गत मई में सेंट्रल रेलवे पर काफ़ी तादाद में वैगन न मिलने के कारण लगभग चार सप्ताह तक १,६७,३४५ मन खाद्यान्न निम्नलिखित रेल के स्टेशनों पर जैसा कि प्रत्येक के आगे दिया है, पड़ा रहा। किन्तु वैगन प्राप्त होने पर तुरन्त ही यथास्थान पहुंचा दिया गया—

			मन
भरवासुमेरपुर	..	..	२४,३४५
रगौल	..	..	१,०१,२००
इछौली	..	..	४१,८००

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह अन्न खुले में पड़ा हुआ था या छाया के नीचे था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस बात की सूचना नहीं है, लेकिन मैं अनुमान करता हूं कि इस अन्न का कुछ हिस्सा छाया के नीचे होगा और कुछ हिस्सा बाहर खुले में भी होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय अन्न मंत्री को यह मालूम है कि जिन स्टेशनों का उन्होंने जिक्र किया है उनमें छाया का कोई इस प्रकार का प्रबंध नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अनुमान से यह बात कही थी। माननीय सदस्य अगर ऐसा कहते हैं तो उनकी बात सही होगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अन्न कितने दिनों तक खुला रहा और इसमें कितना नुकसान हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने उत्तर में यह बताया है कि मई के महीने में यह अन्न पड़ा रहा, नुक़सान की इत्तिला मेरे पास कोई नहीं है।

*८—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—क्या यह सत्य है कि कानपुर-बांदा रेलवे लाइन के बीच में उत्तर प्रदेशीय सरकार का ७०,००० मन गल्ला स्टेशनों पर खुला पड़ा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न ७ में उत्तर दिया जा चुका है।

*९—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—यदि हां, तो क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जानवरों तथा चोरी से इस गल्ले को बचाने का क्या उपाय किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खाद्यान्न की जिम्मेदारी पर्चेजिंग (क्रय करने वाले) एजेन्ट्स की थी, उन्होंने अपने अपने चौकीदार अन्न की रक्षा के हेतु नियत कर दिये थे। इसके अतिरिक्त जिस स्टेशन पर उपयुक्त संख्या में चौकीदार न थे स्थानीय खाद्य विभाग ने प्रत्येक स्थान पर सरकारी चौकीदार भी नियुक्त कर दिये थे।

मडुवाडीह रेलवे स्टेशन पर यातायात के समय अन्न की चोरी

*१०—**श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मडुवाडीह स्टेशन काशी में अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के अवसर पर काफी चोरियां हुई हैं और इन चोरियों के अपराध में कुछ व्यक्ति पकड़े भी गये थे ? यदि हां, तो उन पकड़े गये व्यक्तियों पर क्या कार्यवाहियां की गयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मडुवाडीह रेलवे स्टेशन पर अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते समय अन्न की चोरी की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

मडुवाडीह स्टेशन पर एक स्थान से दूसरे स्थान को अन्न ले जाने का प्रबंध रेलवे विभाग के अधीन है। अतः इसके अन्तर्गत अपराधों की जांच राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा होती है।

रेलवे पुलिस को ज्ञात हुआ है कि स्टेशन मडुवाडीह में खाद्यान्न की चोरी के अपराध में सन् १९५१ में एक अभियुक्त को २० रुपये का अर्थदंड या १ मास के कारावास का निर्णय हुआ तथा सन् १९५२ में अभी तक एक चोरी हुई जिसका अभी न्यायालय से निर्णय नहीं हुआ है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गल्ला रास्ते में चोरी हो जाता है उसमें रेलवे कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी सम्मिलित हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक चोरी की सूचना का संबंध है मैंने अभी बता दिया कि सरकार के पास जानने से कोई सूचना इस बात की नहीं आई क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करता है वह कंट्रोल के नियमों के अन्तर्गत तो चोरी करता नहीं, इसलिये उसकी सूचना हमारे विभाग के पास नहीं आती। चोरी इत्यादि के संबंध में जो कानून है उसके अन्तर्गत जो व्यक्ति चोरी करता है, वह पकड़ जाता है उसको सजा होती है और उसकी सूचना जब हम मंगवाते हैं या पूछते हैं तब हमारे पास वह आती है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको किसी मेम्बर ने यह इत्तिला दी थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं।

हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड का वाटर वर्क्स

*११--**श्री हरदयाल सिंह पिपल**--क्या सरकार को विदित है कि हाथरस में म्युनिसिपल बोर्ड का वाटर वर्क्स २४ घंटों में एक घंटा भी पूरी तरह जल देने में असमर्थ है?

श्री मोहनलाल गौतम--यह कहना कि हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड का वाटर वर्क्स २४ घंटों में एक घंटा भी पूरी तरह जल देने में असमर्थ रहा है यथार्थ नहीं है। अपने जन्मकाल, नवम्बर सन् १९३४ ई०, से यह वाटर वर्क्स २४ घंटे निरन्तर पर्याप्त दबाव पर जल वितरण के लिये प्रख्यात रहा। केवल इधर दो तीन वर्षों से नगर की जन संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण गर्मियों में कुछ जल का अभाव प्रकट होने लगा।

*१२--**श्री हरदयाल सिंह पिपल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस जल अभाव द्वारा उत्पन्न जनता के कष्ट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है?

श्री मोहनलाल गौतम--सरकार ने स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा स्थिति का निरीक्षण कराया है। मुख्य इंजीनियर ने स्थानीय नगर पालिका को सलाह दी है कि वह शीघ्र ही, चार अन्य नल कूपों के निर्माण बोर होल (Bore hole) पम्पों के लगाने तथा कम्प्रेस्ड स्टील जलाशयों (Compressed Steel Reservoirs) को लगा कर जल एकत्र करने की सीमा को बढ़ाने की ओर अग्रसर हो। स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग ने १ जून, १९५२ ई०, से बोर्ड को एक डीज़ेल चालित एयर कम्प्रेसर (Diesel driven air compressor) उधार देकर वर्तमान संकट को दूर कर दिया है। इस समय नगर में जल का अभाव नहीं है।

हाथरस में सफाई का प्रबंध

*१३—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार को विदित है कि हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड की नालियों की कीचड़ सड़क पर बिछा दी जाती है जिसकी बदबू के कारण रास्ता चलना तो दूभर हो जाता ही है अपितु वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य पर हानिवर्धक प्रभाव पड़ता है, विशेषकर हरिजन बस्तियों में जहां पर म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से सफाई और रोशनी का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—नालियों से निकली हुई कीचड़ सड़क की पटरियों पर एकत्रित करने पर जब कुछ सूखने लगती है तब उसे नित्य गाड़ियों पर भर कर ट्रेन्चिङ्ग ग्राउंड को भेज दिया जाता है । नगर को स्वच्छ रखने की यही प्रणाली बहुत दिनों से चली आ रही है । इससे जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है । स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा नवीन योजना के पूर्णतया कार्यान्वित होने पर यह गन्दगी स्वतः दूर हो जायगी ।

*१४—श्री रामस्वरूप मिश्र (जिला रायबरेली)— [१६ जुलाई, १९५२, के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—[देखिये प्रश्नोत्तर आगे पृष्ठ १३७ पर।]

पूर्वी जिलों में पंचायती कर की वसूली

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सच है कि पूर्वी जिलों में पंचायती टैक्स की वसूली में गल्ले की कमी के कारण दिक्कत पड़ रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सच है कि पूर्वी जिलों में कर कम वसूल हो रहा है परन्तु इसका कारण गल्ले की कमी नहीं वरन वहां की अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उत्तर में कहा गया कि गल्ले की कमी के कारण यह हालत नहीं है बल्कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण कर की वसूली में कमी हुई है । मेरा सवाल यह है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि की वजह से गल्ले की कमी है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो गल्ले की कमी हुई है वह बाहर से गल्ला भेज कर कमी दूर कर दी गई है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में पंचायत टैक्स की वसूली इस कारण से कम हो रही है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कर न देने की सलाह दिया करती हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस तरह की बाक़ायदा तो कोई शिकायत नहीं आई लेकिन ऐसी कुछ अफवाह जरूर है ।

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या टैक्स माफ करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस बात पर विचार हो रहा है कि प्रान्तीय शासन को पंचायत टैक्स कम या माफ करने का अधिकार है या नहीं क्योंकि इस कर को लगाने का अधिकार पंचायतों को ही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कर लगाने का अधिकार पंचायतों को है परन्तु क्या जिन क्षेत्रों में गल्ला की और खाने की कमी है वहां पर टैक्स माफ करने का अधिकार सरकार को है ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न तो नहीं है एक मेम्बर साहब राय दे रहे हैं, लेकिन जहां तक इस राय का संबंध है इस पर विचार हो रहा है कि सरकार को कर लगाने या माफ करने का अधिकार है या नहीं ?

श्री गंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि जब तक यह प्रश्न विचाराधीन है कि कर लगाने का अधिकार पंचायतों को है या सरकार को है तब तक कर वसूली की कार्यवाही को मुल्तवी किया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---हिदायतें दे दी गई हैं कि कुर्की आदि के जरिये वसूली की कार्यवाही अभी न की जाय और कोई इस तरह की प्रोसीडिंग्स न की जांय ?

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को मालूम है कि पंचायत राज टैक्स की वसूली में कुर्की और सजा तक दी जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैं सदस्य साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह एक्ट पढ़ लें उनको रूल्स से पता चल जायगा कि क्या होता है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पंचायतों का टैक्स लगा है और वहां पहले से टाउन एरिया टैक्स भी है और अभी माननीय मंत्री जी सूचना दे रहे हैं कि ऐसे कस्बों में यह टैक्स बाद में दिया जा सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां इस तरह की बात है वहां इसकी वजह से भी कुछ वसूली में कमी हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सदस्य साहब ने जो सूचना दी है उस पर मैं गौर करूंगा ।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि बार बार की जो वसूली हो रही है उसमें जो सख्ती हो रही है उसको रोक दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम---एक आम जवाब तो इसका नहीं हो सकता लेकिन जब तक कोई खास वजह कर को मुल्तवी करने की न हो तब तक जो संस्था कर लगावे उसको कर की वसूली होनी चाहिये ।

श्री बृजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि यह टैक्स ३ साल का एक बार वसूल किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---अगर किसी ने ३ साल तक टैक्स अदा नहीं किया है और वह वसूल किया जा रहा है तो यह मुनासिब है ।

पूर्वी जिलों के पंचायत सेक्रेटरियों के वेतन का सरकार द्वारा प्रबंध

*९८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों के पंचायत सेक्रेटरियों के वेतन का प्रबंध वह अपने हाथ में ले रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मंत्रियों के वेतन का प्रबंध बजट में किया गया है ।

*१९-२०—श्री रामस्वरूप मिश्र (जिला रायबरेली)—[२३ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की औसत सालाना आमदनी तथा उसकी श्रेणी

*२१—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की औसत सालाना आमदनी क्या है ? क्या आमदनी के लिहाज से वह बोर्ड जिस दर्जे में होना चाहिये उसमें है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की पिछले तीन वर्षों की औसत सालाना आमदनी २,६९,५६४ रुपया है । लोकल बाड़ीज पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जिस म्युनिसिपल बोर्ड की सालाना आय २।। लाख से ऊपर है वह साधारणतः दूसरे दर्जे में रक्खा जा सकता है । परन्तु सरकार ने यह निश्चय किया है कि सभी नये बोर्ड जिनका जन्म अप्रैल, १९४९, के बाद हुआ है एक नवीन श्रेणी ४—ए में रख दिये जांय और उनको किस दर्जे में निश्चयपूर्वक रक्खा जाय इस प्रश्न का निर्णय ३१ मार्च, १९५३ ई०, के पश्चात् किया जाय ।

बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की ड्रेनेज योजना

*२२—श्री राजाराम शर्मा—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड में जल की निकासी के लिये कोई ड्रेनेज योजना है ? यदि है, तो वह कब से चालू होगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां । वह शीघ्र चालू होने वाली है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शीघ्र जो है वह इस वर्ष उसका कार्य आरम्भ हो जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—आशा रखनी चाहिये ।

*२३—श्री राजाराम शर्मा—क्या मंत्री जी बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड की "ड्रेनेज योजना" मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस विस्तृत योजना की जिसमें १५५ पृष्ठ और २६ नक़शे हैं प्रतिलिपियां बनाने में विशेष समय और श्रम लगेगा । यदि माननीय सदस्य मूल प्रतिलिपि देखना चाहेंगे तो उन्हें दिखा दी जायगी ।

रायबरेली जिले में पंचायत कार्यालय के हेड क्लर्क का जालसाजी के अपराध में पकड़ा जाना

*२४—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में पंचायत कार्यालय के हेडक्लर्क दिनांक २८ सितम्बर, सन् १९५१, को दूसरे के जाली हस्ताक्षर बना कर खजाने से रुपया बरामद करने का प्रयत्न करते हुये डिप्टी साहब खजाना द्वारा पकड़े गये ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न में जिस प्रकार की स्थिति दिखलाई गई है वैसी नहीं है । सितम्बर, १९५१, में बिल बना कर जिला पंचायत अधिकारियों ने आदेश दिया कि वह बिल जिला कृषि अधिकारी के खजांची को रुपये का भुगतान के लिये दे दिया जाय । उस रुपये का भुगतान जिला कृषि अधिकारी के खजांची को करने के आदेश दिये गये । जब यह बिल खजाने में पहुंचा तो खजाने से दो दिन के पश्चात् इस आपत्ति के साथ लौटाया गया कि खजांची के दस्तखत पूर्व किये दस्तखतों से नहीं मिलते हैं । जिला पंचायत अधिकारी ने इस विषय में जांच भी की

परन्तु इसका पता नहीं चला कि उस पर हस्ताक्षर किसने किये थे। अतएव उस बिल को रद्द करके दूसरा बिल बनाया गया और तब फिर खजाने से रुपया प्राप्त किया गया।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार उस बिल पर हस्ताक्षर करने वाले के और पंचायत के हेडक्लर्क के दस्तखतों को एक्सपर्ट [विशेषज्ञ] के पास भेजेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो मैं नहीं कह सकता कि उनके दस्तखतों को एक्सपर्ट के पास भेजा जायगा लेकिन उसकी जांच हुई और यदि और कोई कार्यवाही उचित समझी गई तो वह की जायगी।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार को इस बात का पता है कि वह बिल पंचायत आफिस से गायब हो गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक समाप्त होगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—शीघ्र से शीघ्र।

खरौली, जिला रायबरली, की पंचायती अदालत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*२५—**श्री दलबहादुर सिंह**—क्या सरकार को यह मालूम है कि रायबरेली जिले में स्थित खरौली अदालत पंचायत का कार्य गत एक वर्ष से बन्द है और वहां के सरपंच के खिलाफ पंच मंडल ने अविश्वास का प्रस्ताव भेजा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरपंच खरौली के विरुद्ध पंच मंडल का अविश्वास प्रस्ताव अवश्य आया है किन्तु पंचायती अदालत का कार्य बन्द नहीं रहा।

*२६—**श्री दलबहादुर सिंह**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अविश्वास के प्रस्ताव पर संबंधित अधिकारियों ने क्या किया ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरपंच के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, क्योंकि उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का कोई प्राविधान अधिनियम या नियमों में नहीं है। सरपंच के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उनके संबंध में जांच हो रही है।

विलीनीकृत बनारस राज में पंचायतों का पुनः निर्वाचन

*२७—**श्री बेचनराम गुप्त** (जिला बनारस)—क्या यह सही है कि बनारस राज के विलयन के पश्चात् राज्य की पंचायतों को भंग कर पंचायतों का नया चुनाव कराया गया और पुरानी पंचायतों को आदेश दिया गया था कि वे अपने समस्त कागजात जमा कर दें ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी पंचायतों ने कागजात दाखिल किये और कितनी ने नहीं किये ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बेचनराम गुप्त—जो कागजात दाखिल हुये क्या किसी आफिसर द्वारा उनके आय और व्यय की जांच करायी गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—नोटिस चाहिये ।

*२८—**श्री बेचन राम गुप्त**—क्या यह सच है कि महराजगंज, तहसील भदोही, की पंचायत के रेकार्ड की जांच के लिये वहां के निवासियों ने पंचायत अफसर से मांग की थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं । महराजगंज के निवासियों ने ऐसी कोई मांग नहीं की ।

*२९—**श्री बेचन राम गुप्त**—क्या यह सत्य है कि तिडरी पंचायत, तहसील भदोही के भूतपूर्व सरपंच ने अभी तक कागज़ात नहीं जमा किये ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां ।

टाउन एरिया जलालाबाद, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर, के चेयरमैन के चुनाव का स्थगन

*३०—**श्री नारायण दत्त तिवारी** (ज़िला नैनीताल)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि टाउन ऐरिया जलालाबाद, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर, की चेयरमैनी का चुनाव होने की निश्चित तारीख़ से १२ घंटे पहले क्यों स्थगित कर दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—ज़िलाधीश मुज़फ़्फ़रनगर ने १९ अप्रैल, सन् १९५२ ई०, को वायरलेस द्वारा ऐसी सूचना दी, जिसके कारण शासन ने यह उचित समझा कि उस विषय पर पूर्णरूपेण विचार करने के हेतु चुनाव को अस्थायी रूप से स्थगित किया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने वायरलेस से ऐसी कौन सी रिपोर्ट भेजी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसको जनहित में ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं होगा ।

*३१—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त चुनाव को स्थगित करते समय चुनाव स्थगित करने के कारण और चुनाव की दूसरी तारीख़ क्यों नहीं बताई गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—चुनाव स्थगित करने का कारण बताना आवश्यक नहीं था । पुनः चुनाव करने की तिथि उस समय इस कारण नहीं बतायी गई थी कि ज़िलाधीश ने शासन को जिस संबंध में लिखा था उस पर अभी विचार करना था ।

*३२—**श्री नारायण दत्त तिवारी**—क्या सरकार यह बतलायेगी कि उपरोक्त चुनाव अब वह कब कराने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—ज़िलाधीश को उपरोक्त चुनाव निकटतम भविष्य में करने का आदेश जारी कर दिया गया है ।

*३३-३५—**श्री खुशीराम** (ज़िला अल्मोड़ा)—[१८ जुलाई, १९५२, के लिये संख्या ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

राज्य के लिये आवश्यक अन्न की मात्रा

*३६—**श्री गेंदा सिंह**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि राज्य में अन्न की कितनी आवश्यकता है और कितना अन्न कम पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि इस प्रश्न का मतलब समस्त राज्य की आवश्यकता से है, तो सरकारके पास कोई आंकड़े नहीं है जिसके आधार पर उत्तर दिया जा सके । यदि प्रश्न का संकेत केवल राशन्ड (राशन वाले) शहरों से है तो जो राशन

सरकार की तरफ से दिया जाता है उसके हिसाब से कुल राज्य में राशण्ड शहरों के लिये साढ़े सात लाख टन अनाज की लगभग साल में जरूरत होती है । हर साल जितना अन्न राज्य में खरीदा जा सकता है उसके अलावा बाहर से मंगा कर कमी पूरी की जाती है । औसतन लगभग २ लाख टन के कमी पड़ती रही है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से उन्होंने यह पद संभाला है तब से क्या उन्होंने कभी इस बात की कोशिश की कि इस प्रदेश में कितने अन्न की जरूरत है इसके आंकड़े तैयार किये जांय ?

अध्यक्ष---आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, आप कोई साल बताइये ?

श्री गेंदा सिंह---सन् १९४६ से जब से माननीय अन्न मंत्री ने अन्न मंत्री का या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद संभाला तब से आज तक क्या कभी भी उन्होंने आंकड़ों को तैयार कराने की कोशिश की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नहीं । इस प्रकार के आंकड़ों की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई क्योंकि इस प्रकार के जो आंकड़े होंगे वे हमारे कार्य में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते । माननीय प्रश्न कर्ता यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से और विभिन्न क्वालिटी का अन्न खाया जाता है इसलिये अगर कोई आंकड़े तैयार कराये भी जायें तो वे सही नहीं हो सकते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनकी नयी खाद्य नीति के अनुसार यह दो लाख टन अनाज सरकार मंगवायेगी या व्यापारी मंगवायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तक दो लाख टन का खर्चा बाहर से मंगाने का रहा है और उन्हें हम मंगाते रहे हैं । हमारी जो नयी नीति है उसके अनुसार अभी तो हमने यह निर्णय नहीं किया कि हम फिर प्रोक्योरमेंट की नीति को चालू रखेंगे या नहीं रखेंगे । हम बाजार के भाव को देख कर ही कि कितना बढ़ता है या कितना घटता है निर्णय कर सकेंगे ।

श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)---क्या गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य भारत आत्मनिर्भर सूबे माने जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कुछ बाहर के लोग अवश्य यह समझते हैं कि यह प्रदेश आत्मनिर्भर है । परन्तु यह वस्तुस्थिति के विरुद्ध बात है ।

*३०---श्री गेंदा सिंह---प्रति वर्ष कितना अन्न बाहर से मंगाया जाता है और किन-किन जिलों को कितना-कितना अन्न दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसा प्रश्न नंबर ३६ के उत्तर में कहा गया है औसतन लगभग २ लाख टन बाहर से मंगाया जाता है । अलग-अलग जिलों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है । आबादी के आधार पर और जितना अनाज राशन में दिया जाता है उसके आधार पर जहां जितनी आवश्यकता होती है उन्हें भेजा जाता है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इस राज्य के किन-किन भागों में अन्न की कमी के कारण आनुपातिक दृष्टि से अधिक अन्न देने की व्यवस्था इस समय सरकार को करनी पड़ रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रदेश के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां आनुपातिक दृष्टि से सरकार को अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती है और वह सारे शहरों में जहां गल्ला पैदा नहीं होता

तथा हमारे प्रदेश के वे क्षेत्र जहां पर गल्ले की उपज पहले से कम रही है, उनमें अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र के हैं और आजकल पूर्वी जिलों में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां गल्ले की अधिक आवश्यकता आनुपातिक दृष्टि से है।

चकिया, जिला बनारस, में चावल का संग्रह किया जाना तथा उसकी तहसील से बाहर भेजने की मनाही

*३८--श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चकिया (बनारस) का चावल जिले के अन्य भागों में जाने से क्यों रोका गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गल्ला वसूली की एकाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत नियत भाव पर सरकारी खरीदारी के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों से जहां खाद्यान्न स्थानीय आवश्यकता से अधिक परिमाण में हो, खाद्यान्न का बाहर जाना बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। जिला बनारस की चकिया तहसील में चावल अधिक परिमाण में पैदा होता है। इसी कारण सरकारी खरीदारी के लिये तहसील चकिया का चावल बाहर जाने से बन्द करा दिया गया था।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बतावेगी कि सूबे के और कितने जिले हैं जहां जिले के अन्दर ही गल्ले के आने जाने पर रोक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी नोटिस मिलने पर मैं बतला सकूंगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतावेगी कि चकिया में कुल कितना चावल पैदा हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हर तहसील के मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे नोटिस देंगे और वे आंकड़े इकट्ठे किये गये होंगे, तो उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा।

*३९--श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह मालूम है कि चकिया से कितना चावल प्रतिवर्ष सरकारी गोदाम में आया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चकिया तहसील में गल्ला वसूली की योजना १९५०-५१ से से शुरू हुई। वहां से १९५०-५१ में १३,१२५ मन २ सेर १२ छंटाक चावल और १९५१-५२ में १९ जून, १९५२ तक, ११,३५७ मन ३६ सेर चावल सरकारी गोदामों में आया।

*४०--श्री राजनारायण--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि चकिया का चावल सरकार किस भाव से खरीदती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राज्य सरकार द्वारा क्रय किये जाने के जो भाव बनारस रीजन के अन्य केंद्रों में हैं वही चकिया में भी हैं। चावल की उत्तम औसत श्रेणी (अरवा) के लिये, ५ मार्च, १९५२ ई० तक ये भाव थे--

चावल १	२३ रु० ४ आने	प्रति मन
चावल २	२१ ,, ४ ,,	,, ,,
चावल ३	१८ ,, ८ ,,	,, ,,
चावल ४	१४ ,, ८ ,,	,, ,,
चावल ५	१२ ,,	,, ,,

६ मार्च, १९५२ से इन दरों में २ रु० प्रति मन की वृद्धि हो गयी।

राशन पाने वाली जनता का प्रतिशत

*४१.—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि प्रदेश की जन संख्या के कितने प्रतिशत मनुष्यों पर राशन की व्यवस्था लागू है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश की कुल जन संख्या के ११.४ प्रतिशत पर राशन की व्यवस्था लागू है। इसके अतिरिक्त १०.५ प्रतिशत मनुष्यों को पहाड़ी क्षेत्रों तथा पूर्वी क्षेत्रों में अन्न वितरण होता है। इसको मिला कर कुल जन संख्या का २१.९ प्रतिशत मनुष्यों को राशन मिलता है।

अनाज के नियंत्रण के कारण सरकार को आर्थिक हानि

*४२.—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गल्ले के नियंत्रण पर सरकार को इस समय प्रतिमास कितनी हानि हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लाभ तथा हानि का लेखा (Profit and loss Account) प्रतिमास नहीं बनाया जाता है। १९५१-५२ के वर्ष में दिसम्बर माह तक गल्ले के नियंत्रण से राज्य सरकार को ३,२७,४३,६२९ रुपये की हानि हुई, जो प्रतिमास लगभग ३६,३८,१८१ रुपये होती है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय अन्न मंत्री जी ने जो हानि के अंक दिये हैं उनमें राशनिंग विभाग के कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं।

अनाज पर से नियंत्रण हटाने के संबंध में सरकार की नीति

*४३.—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार वर्तमान परिस्थिति में गल्ले पर से नियंत्रण हटाने के लिये तैयार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहली जुलाई से गल्ले संबंधी नयी योजना लागू हो जाने के फलस्वरूप अब यह प्रश्न नहीं उठता है।

सिकन्द्राराऊ, जिला अलीगढ़, में मेहतरों की हड़ताल

*३.—†श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सिकन्द्राराऊ, अलीगढ़ में जो मेहतरों ने हड़ताल की थी वह कितने दिन चली और हड़ताल करने के कारण क्या थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—हड़ताल २ जनवरी, १९५२ से ९ अप्रैल, १९५२ तक रही। मेहतरों की कई उचित और अनुचित मांगें थीं। उनमें से एक मुख्य अनुचित मांग यह थी कि नगर के मैले पर उनका अधिकार मान लिया जाय।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि सिकन्द्राराऊ म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों को चुंगी के दफ्तर में सोने के लिये चेयरमैन मजबूर करते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो मैं नहीं कह सकता। अगर मुझे नोटिस मिलेगा तो मैं उत्तर दे सकूंगा। लेकिन यह जरूर है कि जो मेहतरों ने हड़ताल की थी और जितनी उनकी मांगें थीं उनमें एक यह भी थी कि मेहतरों को प्राइवेट मकानों में या म्युनिसिपल बोर्ड के मकानों में सोने के लिये आज्ञा न दी जाय और यह मांग बोर्ड ने मान ली थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार ने उनकी उचित मांगों को स्वीकार किया है ?

---

†नोट—तारांकित प्रश्न ३ श्री भगवान सहाय ने पूछा।

श्री मोहनलाल गौतम—बोर्ड ने सिवाय इसके और करीब करीब सब मांगों को जिनकी संख्या १५ है, स्वीकार किया है ।

श्री भगवान सहाय—क्या यह सही है कि चेयरमैन की ज्यादती के कारण ही मेहतर हड़ताल करने के लिये मजबूर हुये ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रकार की तो कोई इत्तिला हमारे पास नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वहां के मेहतरों के लिये मकान बनाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इन मांगों से जहां तक ताल्लुक़ है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है ।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (ज़िला कानपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनकी उचित मांगों को मान लेने के बाद उनकी बढ़ी हुई तनख़्वाह दी गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहां तक उनकी मांगें थीं और उनको मान लेने का प्रश्न है उनमें एक मांग यह भी थी कि उनकी मंहगाई भत्ता और तनख़्वाह बढ़ाई जाय । जिसका जवाब यह है कि बोर्ड ने उनकी मांग को मान लिया था । अब मुझे इस बात की कोई जरूरत मालूम नहीं होती कि जो उनकी तनख़्वाह मान ली गई और बढ़ा दी गई वह उनको नहीं मिली ।

अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी के प्रबंध के विरुद्ध शिकायत

*१५—†**श्री नेकराम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी का प्रबंध अत्यन्त असन्तोषजनक है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुछ शिकायतें आई हैं जिनकी जांच हो रही है ।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जांच किस तरह से हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जांच जिस प्रकार होती है उसी प्रकार से हो रही है यानी आफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है, वह जांच कर रहे हैं ।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में अकाल पड़ने के कारण सरकारी सहायता

१—**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में महराजगंज उत्तरी क्षेत्र के कितने ग्रामों में सूखा तथा पाला और आंधी से हानि हुई है और उनकी रक्षा तथा पालन का क्या उपाय किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के उत्तरी क्षेत्र में १२२ ग्राम ओले पड़ने से क्षति ग्रस्त हुये परन्तु पाले से इस क्षेत्र में कहीं भी कोई हानि नहीं हुई ।

इन ग्रामों में सरकार द्वारा दी गयी सहायता का ब्योरा इस प्रकार है—

(१) ५८ ग्रामों में ३.७०७ रुपये १ आना ७ पाई रुपये लगान में और ५,३६६ रुपये १२ आना ३ पाई मालगुज़ारी में छूट दी गयी ।

(२) वित्तीय वर्ष १९५१–५२ में ३२,१९८ रु० और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस समय तक ५५,२९५ रु० तक़ावी में वितरित किये गये ।

---

†—नोट—तारांकित प्रश्न १५ श्री भगवान सहाय ने पूछा ।

इसके अतिरिक्त ५७ ग्राम एस्टारिटी प्राविज़न (सस्ता अनाज) स्कीम के अन्तर्गत लाये गये और उन किसानों को जिन्हें आवश्यकता थी धान के बीज दिये जाने का भी प्रबंध किया गया।

२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या यह सत्य है कि इन ग्रामों में सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये केवल ३ फीसदी कमीशन दिया जाता है जब कि शहर की दूकानों के लिये ५ फीसदी कमीशन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा नहीं है। एस्टारिटी प्राविज़न (सस्ता अनाज) स्कीम के अन्तर्गत जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उनके फुटकर विक्रेताओं को ३ प्रतिशत और शहरों में राशनिंग योजना के अन्तर्गत काम करने वाले फुटकर दुकानदारों को ४ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।

३—श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (ज़िला मिर्जापुर)—[२३ जुलाई १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

४—९—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (ज़िला गोंडा)—[२३ जुलाई, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्यायिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक, १९५१ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १८ मार्च, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २४ मई, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम बन गया।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० में बढ़ाये गये नये नियम ७३ बी० की प्रतिलिपियों का मेज़ पर रखना

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—मैं यू० पी० मोटर वेहिकल्स एक्ट, १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० के नियम ७३-ए के पश्चात् बढ़ाये गये नियम ७३-बी की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० के नियम १८३ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि का मेज़ पर रखना

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ ई० की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० ई० के नियम १८३ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली का मेज़ पर रखना

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० की धारा ३४४ (४) के अन्तर्गत १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कारावास उपमंत्री श्री मुज़फ़्फ़र हुसैन--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष महोदय निश्चित करें, उसके अनुसार उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये ४ सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें, उसके अनुसार उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये ४ सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य म्यूजियम, लखनऊ तथा आरकालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारी समितियों के लिए एक-एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष महोदय निश्चित करें, उसके अनुसार राज्य म्यूजियम, लखनऊ, तथा आरकालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबंधकारिणी समितियों के लिये एक-एक सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें, उसके अनुसार, राज्य म्युजियम, लखनऊ तथा आरकालाजिकल म्युजियम, मथुरा की प्रबंधकारिणी समितियों के लिये एकएक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष महोदय निश्चित करें, उसके अनुसार मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें, उसके अनुसार मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

अध्यक्ष--अब १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद जारी रहेगा। समय जो कल निश्चित हुआ था, वही जारी रहेगा।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं, इस लिये कि उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इस थोड़े से काल में जबकि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वक्त भी उनके पास नहीं था, इन परिस्थितियों में उन्होंने इस बजट को तैयार किया है। उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और साथ ही मैं इस लिये भी कि जो परिस्थिति इस वक्त हमारे सामने उपस्थित थी कि नया हमारा यह असेम्बली का अधिवेशन शुरू हुआ और उस में

[श्री जयपाल सिंह]

वक्त भी कम मिला था। कम वक्त मिलने की वजह से हम उन सब चीजों पर ठीक तरीके से विचार भी नहीं कर सके जिनको फाइनेंस कमेटी (वित्त समिति) के सामने आना चाहिये था, हालांकि यह कहा जा सकता है कि इन मदों की फाइनेंस कमेटी के सामने आने की आवश्यकता नहीं थी। फाइनेंस कमेटी को इस हाउस ने बनाया और रूल्स (नियमों) में उसको ले आये और बजट मैनुएल के अनुसार ५०० के रेकरिंग (आवर्त्तक) और २५,०० की नान-रेकरिंग ग्रान्ट्स (अनावर्तक अनुदानों) को फाइनेंस कमेटी के सामने आना चाहिये। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके वह मदें फाइनेंस कमेटी के सामने नहीं आई और फाइनेंस कमेटी को उस पर विचार करने के लिये कोई समय नहीं मिला, यह कहा जा सकता है कि समय के अभाव के कारण से ही ऐसा हुआ, लेकिन मैं कहूंगा कि समय निकाला जा सकता था। यदि समय नहीं था तो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग दो चार दिन पहले जैसे ही हाउस मुल्तवी हुआ था, उसके पश्चात् ही कर ली जाती। लेकिन वह भी नहीं की गयी। समय की गड़-बड़ी के कारण ऐसा होना सम्भव हो सकता है। हमारे कांस्टिट्यूशन (संविधान) में भी बिलकुल साफ है कि वह प्रैक्टिस (प्रथा) जो हमारे यहां नहीं होती है तो हम उसके संबंध में हाउस आफ कामंस की प्रैक्टिस अडाप्ट (प्रथा अनुसरित) करेंगे। संविधान के अनुसार जो रूल्स हमारे यहां नहीं हैं उनके लिये हम हाउस आफ कामंस की प्रैक्टिस (परम्परा) इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बावजूद इसके कि हमारे यहां रूल्स हैं उनकी भी अवहेलना हुई। यह मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) को मालूम ही हो लेकिन हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट (वित्त-विभाग) के अधिकारीगण हैं वह तो इन बातों को जानते ही हैं। इस लिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस तरीके की जो कार्यवाही है उसको बंद किया जाय और इस प्रकार से फाइनेंस कमेटी के अधिकारों की, इस हाउस के अधिकारों की रक्षा की जाय और अवहेलना न की जाय।

अब मैं यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक बजट को देखने का मौका मिला, उसकी पूरी मदों के देखने से यह ज्ञात होता है कि इतना बड़ा भारी बजट जो ६५.२३५१४ करोड़ रुपये की लागत का है, उसको थोड़े अरसे में तैयार करना कितनी खूबी की बात है। उसकी तारीफ की जानी चाहिये। मैंने यह देखा कि पंच वर्षीय योजना हर डिपार्टमेंट की मदों में इस्तेमाल की गई है, लेकिन जो लोग हरिजन हैं, गांव में रहते हैं, जो पददलित हैं और दबे हुये हैं और हजारों सालों से गुलाम रहे हैं, उनको उठाने के लिये उस पंच वर्षीय योजना (फाइव ईयर प्लान) के संबंध में जरा भी नहीं सोचा गया। उनके लिये किसी किस्म की सोचने की गुंजाइश नहीं की गई है, हालांकि हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग स्कीम के मातहत कुछ न कुछ मदें रखी गई हैं। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि उस बड़े काज (उद्देश्यों) की यह एक अवहेलना है। यह कहा जाता है कि यह गरीबों की मदद है और मैं यह मानता हूं कि रचनात्मक कार्य-क्रम के लिये ३० करोड़ से ऊपर मदें इस बजट में रख दी गई हैं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि जो सुसाइटी का नीचे का तबका है उसके लिये जो रकम रखी गयी है उसको पर हेड (प्रति व्यक्ति) के मुताबिक़ पाइयों में गिना जा सकता है ऐसी सूरत में मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट छोटे क्लास के लोगों के लिये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुमकिन है कि यह कुछ मिडिल क्लास (मध्यमवर्ग) के लोगों के लिये हो लेकिन वास्तव में यह बड़े-बड़े लोगों के फायदे के लिये है।

इसी प्रकार प्राविन्शियल प्लानिंग बोर्ड के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि उसमें छोटे तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। उसमें यदि छोटे तबके के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न भी हो लेकिन उनके विचारों का प्रतिनिधित्व तो हो जाना चाहिये। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। वहां प्लानिंग बोर्ड में उनका कौन प्रतिनिधित्व करता है, क्या करता है, इस विषय पर चर्चा भी होती है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड में भी हरिजनों की कोई बात भी नहीं होती है। उनका प्रतिनिधित्व तो दूर रहा। हालांकि बहुत सी ग्रांट जो यहां से पास होती है प्लानिंग आफिसर्स के मातहत खर्च

की जाती हैं, लेकिन उनमें छोटे तबके के लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व होना बहुत कठिन बात है। ऐसी हालत में मैं कह सकता हूं जो छोटी जाति के लोग हैं, जो लेबरर्स (मजदूर) हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनको बड़ी जातियों ने दबाया है, उनके लिये अगर एक पाई इसमें दी जाती तो वह मुनासिब बात होती। यहां आप देखते हैं कि रिफ्यूजीज़ (शरणार्थी) जो यहां पर चार दिन से आये हुये हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। आप बाजारों में देखते हैं कि उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है और उनकी शिक्षा किस तरह से होती है। इन चार सालों में उनके ऊपर सवा तेरह करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च कर दिया गया है, लेकिन करीब डेढ़ करोड़ हरिजन जो इतने दिनों से दबे हुये हैं उनके लिये एक दो करोड़ रुपये की भी जरूरत नहीं थी। नये विधान के अनुसार इस नये हाउस में हरिजनों का प्रतिनिधित्व रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक काम करने की लगन न हो तब तक ऐसे प्रतिनिधित्व से काम नहीं चल सकता है, ऐसे रिजर्वेशन (सुरक्षण) से काम नहीं चल सकता है और न इससे फायदा ही है।

ऐसी दशा में मैं यह देखता हूं कि जो लोग बाहर से आये, उनका स्वागत किया गया। हमने भी किया, सभी ने किया, गरीब लोगों ने किया, लेकिन जो हजारों सालों से पिछड़े हुये लोग हैं उनके लिये अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। कानपुर में पं० जवाहरलाल नेहरू जो देख कर यह कहते हैं कि यह बस्ती नरक के समान है। लेकिन आप हर शहर में भंगियों और चमारों की बस्तियों को देखिये वह दोजख नहीं तो और क्या है? कानपुर में पं० जवाहर लाल नेहरू ने वहां की बस्ती देख करके थोड़ा सा स्टेप (कदम) ले लिया, लेकिन वही हालत हर जगह है। इसको कोई देख नहीं सकता। अव्वल तो बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की जाती है वही लोग इनक्वाइरी (परिप्रश्न) करते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं है। यह तो देहातों की हालत है। बड़ी मुश्किल है कि इस सम्बन्ध में न्याय हो सके।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जहां तक शेडयूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियों) के लिये रिजर्वेशन आफ सर्विसेज़ (सेवाओं का सुरक्षण) का संबंध है कहने के लिये तो काफी है लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन (कार्यान्वय) कहां तक होता है, यह देखने की बात है। जो पालिसी हमारी गवर्नमेंट की होती है उसको हम एडाप्ट (अनुसरण) न करें तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और कैसे इस सवाल का हल हो सकता है। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अव्वल तो हरिजनों को नौकरी में ही भरती नहीं किया जाता है जो रेक्रूटिंग अथारिटीज (भरती करने वाले प्राधिकारी होती हैं वे यह समझ कर कि ये चमार हैं, भंगी हैं, उनको लेते ही नहीं हैं और यदि ले भी लेते हैं तो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे कि मान लो कि एक मनुष्य के मुंह के अन्दर मक्खी घुस गयी तो जिस तरह से शरीर का अन्दरूनी भाग उसको वोमिट (वमन) कर देता है उसी प्रकार जब कोई हरिजन डिपार्टमेंट (विभाग) में आ जाता है तो उसको निकालने की कोशिश की जाती है। सरकम्स्टान्सेज (परिस्थितियां) पैदा किये जाते हैं और बाद में निकाल कर दम लेते हैं।

जहां तक राजनीतिक हालत का संबंध है, हम लोगों को अपने वोट का अधिकार भी नहीं है, यह मैं साफ कह देना चाहता हूं हालांकि जनरल एलेक्शन (साधारण निर्वाचन) हुये, हमने काफी वोट कांग्रेस पार्टी को दिये और इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग विरोधी पार्टी के हैं उनसे अगर पूछा जाय, मैं तो पश्चिमी जिलों का तजुर्बा बतलाता हूं, खासतौर से सहारनपुर जिले का, तो वे यह कहेंगे कि सबसे ज्यादा भंगी चमारों ने कांग्रेस का साथ दिया है और वह इसलिये दिया है कि अभी तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं था और इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको यह अधिकार दिया है। लेकिन बावजूद इसके उन लोगों को कितनी परेशानियां हैं। जिन लोगों को उन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मेरे जिले में इस तरह के गांव सभाओं के हरिजन प्रधानों के पोलीटिकल मर्डर्स (राजनैतिक हत्यायें) भी हुये हैं और कांग्रेस को वोट देने के ऊपर हुये और कोई

[श्री जयपाल सिंह]

इन्क्वायरी (जांच) तक नहीं करता है। जिनकी शिकायत की जाती है वे ही इन्क्वायरी करते हैं। तो यह पता नहीं है कि कौन कत्ल करता है। लेकिन मैं यह बात कहता हूं कि अगर किसी दूसरी जाति के आदमी का कत्ल होता तो आकाश फाड़ कर फौरन पता लग गया होता हालांकि जिन लोगों के सामने यह कत्ल हुये हैं वह भी कहते हैं। तो यह दशा तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की है। तो इस तरह से अगर यही आइडियालोजी (विचारधारा) रही, कास्ट सुप्रीमेसी (जाति की वरीयता) का बोल बाला रहा तो साफ बात है कि हम टोटलिटेरियनिज्म (एकतंत्रवाद) की तरफ ज्यादा जायेंगे बनिस्बत डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) के, तो इन चीजों को दूर करने की जरूरत है।

अब मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारे हरिजन लोगों के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसके बारे में यह है कि २६ लाख रुपये की रकम इस बजट में हरिजन बच्चों की शिक्षा के लिये निर्धारित की गई है। कुछ तादाद तो इस रकम की जरूर बढ़ा दी गई है लेकिन इसमें एक ऐसी रकम है साढ़े चार लाख की जो पिछले दिनों से वाजिब थी और जो हायर सेकन्डरी (माध्यमिक) स्कूलों में हरिजन छात्रों की फीस माफ करने के सिलसिले में थी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह जो रकम हरिजनों के लिये रखी गई है इसका अगर हिसाब लगाया जाय तो एक आदमी के लिये दो आने दो पाई सालाना आता है और दो पाई महीना होता है।

यह हमारे पददलितों की शिक्षा के लिये एवरेज (औसत) है और जो हजारों वर्षों से पददलित रहे हैं उनकी शिक्षा के लिये है। ऐसी दशा में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन गरीबों का भला हो सकता है।

इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि एग्रीकल्चरल लेबर (कृषि सम्बन्धी श्रमिक) की बात है। लोग यह चाहते हैं कि ट्रैक्टर से जमीन जोती जाय और मानवी श्रम का तिरस्कार कर दिया जाय। इसके अलावा उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं करता है। ऐसी दशा में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन गरीबों का भला हो सकता है।

इस बजट को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से काम चलाने की बात ठीक नहीं है। जहां तक इकोनोमिक अपलिफ्ट (आर्थिक उत्थान) की बात है उसके लिये मैं कह सकता हूं कि करीब ९१६ लाख रुपये की खर्च करने की धनराशि है यानी ९१ हजार ६ सौ रुपया खर्च करने की बात है। इसका औसत १.१७ पाई पर हेड (प्रति व्यक्ति) आता है। यह बजट के देखने से जाहिर होता है कि एक आदमी के हिस्से में १.१७ पाई आता है। इसी तरीके से हरिजन अपलिफ्ट के लिये एक लाख दस हजार का खर्च किया जाता है, यानी १.४ पाई पर हेड औसत आता है। इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन आफ हरिजन यूथस (हरिजन नवयुवकों की शिल्प शिक्षा) के लिये करीब डेढ़ लाख रुपया खर्च किया जाता है। डेढ़ करोड़ की आबादी के हिसाब से १.९२ पाई पर हेड का हिसाब आता है। आज हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक हालत बहुत ही खराब है उनके खाने के लिये रोटी नहीं है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है और रहने के लिये मकान भी नहीं है। एक ही घर में छोटा छप्पर पड़ा है उसमें चार चार पांच पांच फैमिलीज (परिवार) रहती हैं। गांव की पंचायतों के बारे में भी यही चीज है और वहां भी छुआ छूत से छुटकारा नहीं है। ऐसी दशा में कैसे काम चल सकेगा। हाउसिंग ऐण्ड वेल्स ऐण्ड बेटर सैनीटेरी कन्डीशंस (मकानों और कूपों तथा अच्छी स्वच्छता की दशा) के लिये भी ३,७०,००० रुपये का प्राविजन (उपबन्ध) है। वह भी ४.७३६ पाई प्रति व्यक्ति है जो हरिजनों के लिये बजट में प्राविजन किया गया है। यह जाहिर करता है कि जहां तक भाषणों का सबंध है वहां तक तो ठीक है लेकिन जब देने का वक्त आता है तो कुछ नहीं होता। इसी तरह से माडल विलेजेज (आदर्श ग्रामों) की स्कीम है उसके लिये ७,३०० रु० खर्च

करने की बात है यानी .०९३४४ पाई प्रति व्यक्ति इससे कितने आदर्श गांव बन जायेंगे। एक लाख गांव में कितनी आदर्श बस्तियां बन सकती हैं मैं कह सकता हूं कि ऐसे तरीके जो हम सोचते हैं वह गलत हैं और इन पर दुबारा विचार करने की जरूरत है। हाउस को चाहिये, गवर्नमेंट को चाहिये कि गांवों के उत्थान के लिये विचार करे चाहे करोड़ों रुपया खर्च क्यों न करे और जो हम चाहते हैं उसको करके दिखा दिया जाय। प्लानिंग कमीशन ने एक करोड़ पैंतालिस, लाख रुपये खर्च की अनुमति दी है। हमारे यहां क्या हो रहा है कुछ कह नहीं सकता।

अतः मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ ज्यादा तवज्जह देंगे और हरिजन उत्थान के लिये फराखदिली से काम लेंगे और इन सब कार्यों के लिये कोई प्लान (योजना) बनाकर उसे कार्यरूप में लाने की कृपा की जाय और यदि इसमें चार-पांच करोड़ रुपये की जरूरत भी पड़े तो मैं तजवीज करता हूं कि सोशल टैक्सेज (सामाजिक कर) एजूकेशन टैक्स (शिक्षा कर) तक लगा दिया जाय तो कुछ हर्ज नहीं होगा। यही एक प्रायश्चित करने का तरीका है तभी देश के गरीबों का उद्धार तथा कल्याण हो सकता है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं सन् १९५२-५३ ई० के बजट के ऊपर अपने विचार उपस्थित करूं मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद और बधाई दूं। वैसे तो बजट स्पीच के पहले धन्यवाद और बधाई वित्त मंत्री को देना एक पार्लियामेंटरी ट्रेडीशन (संसदीय परम्परा) है परन्तु इस समय मैं केवल पार्लियामेंटरी ट्रेडीशन के लिये उनको बधाई नहीं दे रहा हूं। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव के बाद और एडल्ट फ्रेंचाइज (वयस्क मताधिकार) के आम चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार का यह पहला बजट है और श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी के वित्त मंत्री की हैसियत से यह उनका पहला बजट है और यह पहला मौका है कि उन्होंने इस सूबे का बजट भवन के सम्मुख उपस्थित किया है। श्रीमान् इस बजट में जो विद्वत्ता और काबिलियत उन्होंने दिखलायी है उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं और इतना ही नहीं कुछ और कारणों से भी वह हमारी बधाई और धन्यवाद के हकदार हैं।

श्रीमन्, यह तो सब को मालूम है कि टैक्सेज से ज्यादा अप्रिय कोई चीज नहीं होती, परन्तु अपनी बजट स्पीच में इस सुन्दरता के साथ उन्होंने टैक्सेज का हवाला दिया है, इस सुन्दरता से उन्होंने टैक्सेज के शाक (आघात) को कम किया है कि उसके लिये भी वह बधाई के अधिकारी हैं। उनकी स्पीच सुनने के बाद मैं तो यह समझता हूं कि हमारे प्रांत में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने यह न सोचा हो कि क्या खूबसूरत तलवार उन्होंने चलायी है कि जो चाहता है खुद ही गर्दन सामने कर दी जाय।

श्रीमन्, अब मैं बजट के ऊपर आपकी आज्ञा से कुछ विचार रखूंगा। कल बजट पर स्पीच देते हुये माननीय परिपूर्णानन्द जी ने यह कहा था कि जब वह इस भवन में बजट पर स्पीचेज सुनते हैं तो उनको यह ख्याल आ जाता है कि माननीय सदस्य कह तो सब देते हैं परन्तु यह भूल जाते हैं कि वह बजट पर स्पीच दे रहे हैं। कुछ हद तक यह ठीक हो सकता है परन्तु मैं यह समझता हूं कि यह आदरणीय सदन आडिटर जनरल या एकाउन्टेन्ट जनरल का आफिस (महालेखापरीक्षक या महांकिक का कार्यालय) नहीं है। यहां तो हम बजट स्पीच द्वारा गवर्नमेंट की पालिसी की सराहना या क्रिटिसिज्म (आलोचना) करने के लिये खड़े होते हैं। अब मैंने बजट पढ़ा और यह सोचा कि मैं भी इस पर कुछ अपने विचार प्रकट करूं तो मुझे बजट की इन चार जिल्दों में केवल तीन आंकड़े ही पर्याप्त मालूम हुये और वे हैं रेवेन्यू (राजस्व) एक्सपेंडीचर (व्यय) और डेफिसिट (घाटा)। हमें यह देखना है कि हमारा रेवेन्यू कितना है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। हमें यह भी देखना है कि हमारा एक्सपेंडीचर कितना है, और कितना घटाया जा सकता है और हमें यह भी देखना है कि स्टेट के बजट में डेफोसिट कैसे वाइप आउट (समाप्त) किया जा सकता है।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

श्रीमन् विदेशी हुकूमत के समय में हमारे देश में रेवेन्यू कम थी, हमारे देश में टैक्सेज कम थे और इसी के साथ साथ एक्सपेंडीचर (व्यय) भी कम था। जब रेवेन्यू, टैक्सेज और एक्सपेंडीचर कम थे तो तामुहाला उसके साथ ही साथ जनता की सुविधायें भी कम थीं। परन्तु अब कांग्रेसी राज्य में हम देखते हैं कि रेवेन्यू बहुत बढ़ गई है, टैक्सेज अधिक लग गये हैं, एक्सपेंडीचर अधिक हो गया है, परन्तु श्रीमन् दुख है कि प्रोपोर्शनेटली (अनुपात से) जनता की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। मैं यह मानता हूं, इस बजट के लिट्रेचर (साहित्य) को पढ़ कर मैं यह जानता हूं कि इस बजट की स्पीच को पढ़ कर हर व्यक्ति यह समझेगा कि इसकी जो योजनायें हैं वे बहुत सुन्दर हैं, हर व्यक्ति यही सोचेगा कि हमारी सरकार जनता की सुविधाओं के लिये, जनता के सुख के लिये बड़ा भारी प्रयत्न कर रही है। और वह सच है। बजट में कोई खराबी नहीं मैं यह किसी तरह से नहीं मान सकता कि यह बजट रिएक्शनरी (प्रतिक्रियावादी) बजट है। यह चीज कदापि नहीं मान सकता। प्रजातन्त्रीय सरकार रिएक्शनरी बजट को रखने का विचार हरगिज नहीं कर सकती है। जहां पर आम चुनाव हुआ हो, जहां पर जनता ने अपनी सरकार बनाकर भेजी हो, अगर वहां पर कोई सरकार रिएक्शनरी बजट रखने का विचार करती है तो शायद वह १२ महीने भी नहीं चल सकती है। परन्तु अब देखने का सवाल यह है की कमी कहां पर है, खामी कहां पर है। वह है सरकारी पालिसी और सरकार की योजनाओं के इम्पलीमेंटेशन (कार्यान्वय) में मैं। श्रीमन् क्षमा किया जाऊं और आपके द्वारा सरकार से क्षमा चाहता हूं यह कहने के लिये कि सरकारी कामों में इनएफिशियन्सी (अक्षमता) है, करपशन (भ्रष्टाचार) है, नेपोटिज्म (पक्षपात) है। जो सरकार की सुन्दर योजनाओं को बेकार कर देती है। उससे सरकार का कोई लाभ नहीं होता है। जहां तक पेपर्स का सवाल है और इस बजट का सवाल है वह बहुत सुन्दर है परन्तु कागज की स्कीमों को लेकर जनता क्या चाटेगी। बजट को लेकर उसकी सराहना करने से जनता का पेट नहीं भर सकता है। श्रीमन् मैं यह जानता हूं कि सरकार प्रयत्न करती है परन्तु जैसा मैंने कहा उनकी जो स्कीम है और उनके इम्पलीमेण्टेशन (कार्यान्वय) में बहुत फर्क है और यही कारण है कि इतना खर्च होते हुये भी इस देश का एक बहुत बड़ा तबका सरकार से असन्तुष्ट रहता है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री ने इस देश की जनता से यह अपील की है कि देश की और जनता की भलाई के लिये, देश और जनता के फायदे के लिये, देश और जनता की तरक्की के लिये हमको कुछ और तकलीफ सहना पड़े तो उसके लिये हमको तैयार हो जाना चाहिए। मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति इस देश का ऐसा नहीं होगा जो जनता की भलाई के लिये तकलीफ बरदाश्त करने के लिये तैयार न हो। परन्तु दिक्कत तो यह है कि एक ओर तो तकलीफ बरदाश्त करने की बात कही जाय और हमसे यह कहा जाय कि कुछ और टैक्सेज लगाये जांयगे उनको बरदाश्त करना चाहिये वहां दूसरी ओर देश और जनता की सुविधा में कोई किसी तरह की बढ़ोतरी न हो बल्कि उल्टी तबाही हो तो फिर गौर करने की बात हो जाती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल जर्मनी, अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के लोग ही सेक्रीफाइस (त्याग) करना नहीं जानते हैं बल्कि विपत्ति के समय में इस देश के लोग भी और खास करके इस प्रदेश के लोग भी कुछ सेक्रीफाइस करना जानते हैं परन्तु एक साइकलाजी (मनोविज्ञान) की चीज होती है। अगर कोई कुछ सेक्रीफाइस करता है तो वह उसका फायदा भी उठाना चाहता है। सेक्रीफाइस का लाभ उसके फलस्वरूप कुछ देखना चाहता है। देश सुखी हो और जनता की सुविधा कुछ और अधिक हो और भुखमरी में कमी हो तो मैं या इस देश का कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि सरकार के लिये रुपये का इंतजाम होना चाहिये और उसके लिये जो भी टैक्स आप समझें लगा सकते हैं और इससे भी ज्यादा टैक्सेज देने के लिये तैयार हो सकते हैं और देश की जनता खुशी से उसको देने के लिये तैयार होगी। परन्तु श्रीमन्, इनएफिशियन्सी, करप्शन और निपोटिज्म के जरिये अगर खर्च किया जाय तो वह सब बेकार जायगा और जितना खर्च किया जायगा वह एक तरह से

कुएं में गिरा दिया जायगा। मैं आपसे फिर यह पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक ठीक है कि जनता को हर साल यह कहा जाय कि देश मुसीबत में है, देश को उठाना है, भुखमरी को कम करना है इसलिये टैक्स लगाना चाहते हैं। आप और तकलीफ भुगतिये और यातनाएं भुगतिये। श्रीमन् माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में एकानामिक ग्रोथ, इनटेलेक्चुअल एण्ड कल्चरल एडवान्समेंट (आर्थिक विकास, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक उन्नति) का जिक्र किया है। मैं आपके द्वारा बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि किस तरह से यहां के लोगों का इकानामिक ग्रोथ इनटेलेक्युअल एण्ड कल्चरल एडवान्समेंट हो सकता है जब कि यहां के आदमी भूखों मरते हैं। जिस समय तक पेट का सवाल है और जब तक पेट की समस्या सब के सामने है तब तक यह गरीबी की समस्या भी हमारे सामने है और फिर यह इनटेलेकचुअल ग्रोथ और कल्चरल एडवान्समेंट कहां से हो सकता है? भुखमरी है, सूखा पड़ता है और उसके लिये सरकार का कोई खास इंतजाम नहीं है और मैं नहीं समझता कि इन हालतों में किसी भी एरिया (क्षेत्र) में इनटेलेकचुअल ग्रोथ और कल्चरल एडवान्समेन्ट की कोई भी रेखा कहां से आ सकती है। जहां तक इनटेलेकचुअल ग्रोथ और कल्चरल एडवान्समेंट का सवाल है मैं जानता हूं और इस बात को मानता भी हूं कि सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा बहुत कुछ प्रयत्न कर रही है और उन प्रयत्नों को और भी बढ़ाया जायगा लेकिन इस बात को बार बार दोहराने के लिये मैं क्षमा किया जाऊं कि यह सब प्रयत्न बेकार हैं जब तक सरकार यह नहीं देखेगी कि उनके रैन्क्स में और सर्विसेज (कर्मचारियों और अधिकारियों) में से करप्शन (भ्रष्टाचार) और नैपोटिज्म (पक्षपात) को जड़ से उखाड़ कर न फेंक दिया जाय।

श्रीमन्, इस सूबे के लिये ६५ करोड़ २३ लाख का खर्चा कुछ कम नहीं है। वैसे तो जिस प्रदेश में जितना ज्यादा खर्च किया जा सके और जनता को सुख पहुंचाने के लिये जितना ही ज्यादा रुपया वसूल हो सके उतना ही अच्छा है परन्तु आजकल की परिस्थिति देखते हुये सरकार की स्कीमों और योजनाओं पर ध्यान देते हुये मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि ६५ करोड़ की रकम कुछ कम रकम नहीं है परन्तु मैं आपके द्वारा सरकार से या उस के साथियों से या इस प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से यह पूछना चाहता हूं कि यह ६५ करोड़ का खर्च जो सरकार करने जा रही है इससे जनता को प्रोपोरशनेटली (अनुपात से) कितना लाभ होना संभव है। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। और इसका कारण वही है जो मैंने बताया कि हमारे यहां इनएफीशियन्सी, करप्शन और नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में कुछ टैक्सेज का जिक्र किया है। वह किस प्रकार लगेंगे? जिनका जिक्र किया गया है। वह मध्यवर्ग और शहरी जनता पर और देहात में काश्तकारों पर लागू होंगे। जहां तक मध्यमवर्ग की चिन्तनीय दशा का प्रश्न है यह किसी से छिपा नहीं है कि बढ़ते हुये दामों और अन्य संकटों की वजह से इस समय मध्यम-वर्ग की जनता की कमर टूट चुकी है। जहां तक देहाती जनता और काश्तकार का सवाल है मेरी समझ में नहीं आता है और मैं उस पर विचार करता हूं परन्तु जवाब नहीं मिलता कि हमारी सरकार का कहां से यह आइडिया (विचार) हो गया है कि देहात की जनता खुशहाल है और उसमें गरीबी नहीं है और वह भूखों नहीं मरती है और उसके पास अब भी इतना रुपया है कि वह और टैक्स दे सकती है। सब को मालूम है कि इधर कुछ सालों से नेचुरल कैलेमिटीज (प्राकृतिक आपदाएं) बढ़ती जा रही है कभी बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है और कभी इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ों से हानि होती है और कभी सब बातें ठीक होती हैं और पैदायश अच्छी हुई तो ओले से लहलहाती हुई फसल और हरे भरे खेत जमींदोज हो जाते हैं। उसके अलावा आपको मालूम ही है कि नहर की सिंचाई का रेट बढ़ा दिया गया है। शायद और भी बढ़ने की सम्भावना है। परन्तु सरकार की ऐफीसेन्सी (कार्यक्षमता) यह है कि जिस समय पानी की आवश्यकता होती है उस समय नहर में पानी नहीं होता है।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

पंचायत राज हमारे गांवों में स्थापित किये गये। हरेक व्यक्ति यह समझता था कि आखिरकार सरकार ने यह एक ऐसी योजना बनायी है कि जिससे जनता को सुख और लाभ प्राप्त होगा। मैं क्षमा किया जाऊं यदि मैं यह कहूं कि पंचायत राज की योजना फेल हुई, वह क्यों फेल हुई? उसके बारे में बहुत कुछ कहने का समय आगे आयगा। मैं सरकार से यह पूछूंगा कि जिस जनता पर पंचायत राज का अर्थात् उनके टैक्स का भार पड़ रहा है उनके पास जाकर देहात में हमारे माननीय मंत्री जी ने कभी पूछा भी कि तुम्हें पंचायत राज से क्या लाभ या दुख है। श्रीमन्, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब भी कहता हूं कि इस सरकार में एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन इसका दोष मैं माननीय मंत्रीजी को नहीं दूंगा क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। उन्होंने अब देहात में जाना छोड़ दिया है। यह देखने के लिये कि पंचायत राज से गरीब जनता को क्या सुख या आराम है, पंचायत के कर्मचारियों से रिपोर्ट मंगाई जाती है। अगर मैं कोई एक खास चीज माननीय मंत्री जी के सामने लाऊं तो वह उसके लिये पंचायत राज के अफसरों से रिपोर्ट मंगावेंगे और वह गांव के पंचायत के अधिकारियों से मंगावेंगे। श्रीमन्, जाहिर है कि जब मैं किसी जगह पर नौकर हूं और वहां की रिपोर्ट मुझ से मांगी जाय तो मैं हर्गिज हर्गिज सच्ची रिपोर्ट नहीं दे सकता यदि वह मेरे इंटरेस्ट्स (हित) के खिलाफ जाती हो। अगर मैं यह लिख दूं कि पंचायत राज की योजना फेल हुई है और उससे कोई लाभ जनता को नहीं पहुंच रहा है तो फौरन मुझसे यह पूछा जायगा कि तुम वहां किस लिये तशरीफ रखते हो। पंचायत राज से कष्ट, गल्ले की कमी, प्रोक्योरमेंट (सरकारी क्रय) के गल्ले की प्राइसेज (मूल्य) में कमी, गन्ने की कीमत में कमी और काश्तकार के गन्ने का रुपया फैक्टरियों में पड़ा रहना ये सब काश्तकार के ऊपर आफतें हैं।

इसके अलावा सबसे बड़ी दुख की बात है हमारी पुलिस और छोटे कर्मचारियों में करप्शन (भ्रष्टाचार)। पुलिस के बारे में आगे मौका आवेगा तब तफसील में निवेदन करूंगा परन्तु मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह न जानता हो कि जनता में पुलिस ने क्या क्या अत्याचार करने शुरू किये हैं। श्रीमन्, वक्त कम है इसलिये मैं दो ही छोटी सी बातें और कहूंगा। एक तो मैं यह कहूंगा कि कुछ भी कहा जाय और कुछ भी मान लिया जाय कि जमींदार ऐसे थे वैसे थे परन्तु यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि जमींदार जब तक थे कम से कम देश की आर्ट लिटरेचर और कल्चर (कला साहित्य और संस्कृति) में वे काफी सहायता करते थे। अब वे हटा दिये गये हैं। मुझे दुख है कि इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी चीज यह है कि जमींदार को हटाने के बाद यह काफी समझा गया कि उसे कम्पेंसेशन और रिहैबीलिटेशन ग्रांट, (प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान) दे दी जाय परन्तु उसके इम्मीडियेट रिहैबीलिटेशन (तात्कालिक पुनर्वासन) के लिये बजट में कोई प्रावीजन (उपबन्ध) नहीं रखा गया है। वह इसी देश का रहने वाला है। परन्तु चूंकि वह जमींदार है इस लिये सरकार यह समझती है कि वह यहां का नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिये धन्यवाद देता हूं जो इस थोड़े से समय में तैयार करके अपनी कुशलता का परिचय दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद इस लिये नहीं देता हूं क्योंकि मैं उनकी तरफ ही बैठे हुये लोगों के साथ हूं बल्कि इस लिये कि मैं यह समझता हूं कि इस बजट के बनाने में अधिक से अधिक ध्यान किसानों और मजदूरों का रखा गया है। कल उधर से कहा गया था कि यह बजट बिलकुल निकम्मा है, इसमें किसानों और मजदूरों के लाभ की कोई योजना नहीं है मैं इन दोनों विषयों को अलग-अलग लेते हुये निवेदन करूंगा।

मजदूरों के विषय में आई० एन० टी० यू० सी० तथा दूसरी और संस्थाओं का जिक्र किया गया जिसका बजट से कोई संबंध ही न था। यदि मैं इसका विशेष रूप से जवाब दूं तो निश्चय ही है कि जिन लोगों की ओर से यह उद्गार उठाये गये हैं उनको यह मालूम हो

जायेगा कि आई० एन० टी० यू० सी० के सामने और दूसरी पार्टियां निश्चय रूप से हार गई। इसके लिये हमें उन परिस्थितियों को देखना होगा जिनमें वह मतगणना हुई। वे ऐसी परिस्थियां थीं जिनमें मजदूरों के हृदय से खिलवाड़ किया गया। एक व्यक्ति को जमीन पर लिटा कर कहा गया कि यदि मजदूरों ने असावधानी से काम लिया तो उनके एक नेता की लाश उनके सामने होगी। वह नेता भूख-हड़ताल कर रहा था। खैर फिर भी उस मतगणना का कोई मूल्य नहीं रहा और आज मैं आपकी इजाजत से यह कह सकता हूं कि जितना मजदूरों का हित केवल इस प्रांत के मजदूरों का ही नहीं वरन् सारे भारतवर्ष के मजदूरों का हित इस संस्था ने किया है उतना किसी अन्य मजदूर संस्था ने नहीं किया है और वह आज भी कर रही है। मजदूरों के विषय में इस बजट में भी विशेष योजनायें हैं। दो जगहों रामपुर और झांसी में मजदूरों के लिये केन्द्र खोले गये हैं। सबसे बड़ी योजना जो की गई है वह ७५ लाख रुपये की है जो उनके मकानों के लिये रखी गई है। इस पर भी यह कहना कि यह बजट मजदूरों और किसानों के लाभ का बजट नहीं है, मेरे विचार से एक तथ्य पर पर्दा डालना है और जानबूझ कर गलतबयानी करना है। जहां तक मजदूरों का संबंध है उनके लिये इसमें विशेष प्रबंध किया गया है। यह हो सकता है कि छोटी मोटी बातें उसमें पूरे तौर पर न हो लेकिन फिर भी यथासंभव उनका ध्यान रखा गया है। जहां तक किसानों की बात है उसके लिये मैं यह जरूर कहूंगा कि उनका उतना ध्यान नहीं रखा गया जितना कि रखना चाहिये था। सरकार ने अपनी हर नीति में गांवों से कुछ हट कर शहरों की ओर ही अधिक ध्यान दिया है।

शिक्षा के विषय में यदि मैं निवेदन करूं और ३ साल का ब्यौरा बतलाऊं तो आपको मालूम होगा १९४९–५० में स्कूल खोले गये। गत वर्ष गांवों में ५०० प्राइमरी स्कूल खोले गये लेकिन इस वर्ष की योजना में केवल २५० स्कूल ही हैं। इस तरह जो ग्रामों में सरकार की शिक्षा योजना थी उसमें वह बराबर कमी करती जा रही है और इस वर्ष गांवों से हट कर यूनिवर्सिटी और कालेजेज को अधिक रुपया दिया गया है जब कि अभी हमारे ग्रामों में ही शिक्षाप्रसार की अधिक आवश्यकता थी। यह उनके लिए अधिक उपयुक्त होता यदि वे ग्रामों में ही अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करते और इस धन को ग्रामों के स्कूल खोलने में ही लगाते। इसके अतिरिक्त अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

वह अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जिसका किसी जमाने में हम स्वप्न देखा करते थे उस ओर कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अच्छा होता कि इस ओर भी थोड़ा प्रयास होता और इस ओर ध्यान देकर सरकार कुछ धन लगाती। तो इस तरह से शिक्षा की बात है।

स्वास्थ्य के बारे में भी हम देखते हैं कि जहां तक जन स्वास्थ्य की बात है वह बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है। सबसे बड़ी जरूरत नर्सिंग फैसिलिटीज है। जो मिडवाइव्ज (धात्री) और दाइयां हैं उनको शहरों और म्युनिसिपल बोर्डस तक ही सीमित रखा गया है जब कि हम जानते हैं कि हमारे देश में मैटरनिटी फैसिलिटीज (प्रसूति सुविधायें) कम होने के कारण बच्चों को मरने से बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत देहातों में है जहां कि मृत्यु संख्या बहुत ज्यादा है। देहातों में कम शिक्षित दाइयों की वजह से हम इस ओर कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक गांव सभा के क्षेत्र में हम इस ओर कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। गांवों के थोड़े बहुत क्षेत्रों में कम से कम एक शिक्षित दाई का प्रबंध किया गया होता तो बड़ा अच्छा होता। इतना भी अगर नहीं हो सकता था तो कम से कम म्युनिसिपल एरिया के अतिरिक्त नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया तक निश्चय ही ट्रेंड मिडवाइव्ज के क्षेत्र को बढ़ा देने की आवश्यकता थी यह भी नहीं हुआ है और हम यह देख रहे हैं कि सरकार की प्रवृत्ति गांवों से हट कर शहरों की ओर अधिक हो रही है।

दूसरे विभागों को भी अगर हम गौर से देखें तो सरकार इस बजट में गांवों से थोड़ा हटती चली जा रही है। आजकल गांवों में विशेष समस्या शक्कर मिल के उन क्षेत्रों के बारे में है जहां किसानों ने शक्कर मिलों को गन्ना तो दे दिया है लेकिन उनका दाम अभी तक

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

किसानों को नहीं मिल सका है । उसके विषय में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी ओर कोई भी ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है । वहां के काश्तकारों से पंचायतें टैक्स वसूल कर रही हैं लगान वसूली में जमींदार और कोर्ट आफ् वार्डस जो वहां हैं वे कुर्की कराकर उनसे वसूल कर रहे हैं । लेकिन जो किसानों के गन्ने का दाम है वह उनको अभी तक नहीं मिल रहा है खास कर बाराबंकी जिला के मिटौली और रामनगर परगना के किसानों की दशा, जिन्होंने अपने गन्ने को मिलों को दे दिया है, बड़ी ही भद्दा वह है । पिछले साल सूखा पड़ने की वजह से कोई पैदावार भी नहीं हुई । थोड़ा बहुत जो गन्ना हुआ उसका दाम भी शक्कर मिल वालों की तरफ से अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है । हर तरह की घोषणायें की जाती हैं । लेकिन मिल मालिक इस वक्त दो हजार रुपया रोजाना बांटने को भी तैयार हो रहे हैं । वहां के काश्तकारों में त्राहि त्राहि है । हाल ही में सरकार की ओर से एक आदेश भी जारी हुआ है, कमिश्नर की ओर से भी एक आदेश जारी हुआ कि मई महीने से पूर्व खरीदे गये गन्ने के मूल्य में एक रुपया मन के हिसाब से किसानों को तत्काल दे दिया जाय । फिर भी मिल मालिक उसे देने के लिये तैयार नहीं हो रहे हैं । वहां के काश्तकार इस बात पर भी तैयार हैं कि अगर मिल वाले उनको शक्कर भी दे दें तो वे उस शक्कर को चाहे कुछ घाटे से ही बेच लेंगे तो उनको कुछ दाम तो मिल जायगा । मगर वे शक्कर भी देने के लिये तैयार नहीं हैं । ऐसी वहां की आज परिस्थिति है । तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर भी इस मामले में भी कुछ ध्यान दे ताकि किसानों को दाम न मिलने के कारण जो कष्ट है वह शीघ्र मिट जाय ।

सरकार के सामने जहां तक कि इस बजट का संबंध है, जहां तक कि मजदूरों के हितों का संबंध है जहां तक कि प्लानिंग का संबंध है उस पर भी मैं आपसे अर्ज करूंगा । प्लानिंग विभाग ऐसा है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के आफिसर्स हैं । कहीं तो कोई डिप्टी कलक्टर साहब हैं, उनके काम करने का तरीका कोई दूसरा ही है और कहीं एग्रीकल्चर के इंस्पेक्टर साहब हैं, कहीं अन्य हैं इनका खेती कराना या कहीं पर खाद वगैरह के गड्ढे खुदवाने में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है । अगर उनसे पूछा जाय कि सड़कें कितनी बनी तो वे बतला तो देंगे कि १२०० मील बन गयीं लेकिन अगर मालूम किया जाय कि वे कहां हैं तो फिर वे सड़कें नहीं मिलेंगी । वे सड़कें वही होती हैं जो पांच सौ साल के पुराने गलियारों पर इधर-उधर बैलगाड़ी की लीक से उठी हुई मिट्टी डालकर बना दी जाती हैं और फिर कह दिया जाता है कि यह सड़कें बन गयीं । तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फर्जी काम करना समाप्त किया जावे और प्लानिंग विभाग के कार्य के विस्तार को कम करके केवल खेती की उन्नति और यातायात के साधनों की उन्नति की ओर ही ध्यान दिया जावे तो हमारे सामने कुछ उन्नति दिखायी देगी और हम वास्तव में कुछ उन्नति करेंगे । इस प्रकार प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग पर चला कर हम देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और हमारे देश की उन्नति हो सकती है । लेकिन उनके पास जो मुख्तलिफ किस्म के मल्टीफेरिअस (विविध) किस्म के काम हैं एक एक प्लानिंग आफिसर के पास दस-दस विभाग हैं और अगर उनके काम करने का क्षेत्र सीमित कर दिया जाय तो काम अधिक हो सकता है । उनको सबसे पहले जो जरूरतें हैं जैसे गल्ले की पैदावार और यातायात के साधन हैं या यातायात के जो मार्ग हैं उनको ठीक करना चाहिये । अगर वह सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर ध्यान दें तो हम समझते हैं कि प्लानिंग सफल हो सकेगी और बजाय इसके कि तमाम चीजों को करें सिर्फ खेती और यातायात इन्हीं दोनों विभागों पर कुल समय लगाकर काम हो तो हम समझते हैं कि देश के सामने कोई ऐसी टैंजिबिल चीज (अनुभाव्य वस्तु) आजायगी कि लोगों को मालूम हो सकेगा कि प्लानिंग विभाग ने इतना काम किया है । उनका क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि उनका काम समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या काम किया । हर आदमी समझता है कि प्लानिंग विभाग उतना तारीफ के काबिल काम नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिये था । प्लानिंग विभाग के संबंध में कोई खास बात इस बजट में नहीं की गई है । मैं निवेदन करता हूं कि इस ओर खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है ।

यह तो बजट की खास-खास छोटी छोटी दो एक कमियां हैं लेकिन यों इसमें जनहित के लिये कार्यवाहियां की गई हैं और बहुत सी चीजें सामने रखी गई हैं और जो तरह तरह की आलोचनायें विरोधी पक्ष की ओर से की जा रही हैं मेरी समझ से वे समीचीन नहीं हैं, उपयुक्त नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, यह बजट जिसके ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं कई दृष्टिकोण से एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बजट है। जब हम कोई तस्वीर बनाते हैं देखना यह होता है कि मामूली तौर से कमोबेश वह तसवीर अच्छी है या नहीं। यों तो जहां तक कमियां निकालने का ताल्लुक है कमियां तो हम अच्छी से अच्छी तसवीर में भी निकाल ही सकते हैं। सन् १९३७-३८ में सबसे पहली बार जब इस सूबे में कांग्रेस सरकार बनी थी उस वक्त उस सरकार को पूरे अधिकार प्राप्त नहीं थे। अंग्रेजों का बोल-बाला इस देश में था इसलिये उस वक्त इस किस्म की सब बातें कर लेने में जिन्हें हम चाहते थे बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन न थे कि हम उन्हें कर पाते। सन् १९४६ ई० में मिनिस्ट्री जिस वक्त बनी उस वक्त हम सन् १९३६ ई० के मुकाबिले में अधिक शक्तिशाली थे और अधिक साधन भी हमारे पास थे लेकिन उस पूरे वक्त में इतनी मुसीबतों का सामना न सिर्फ हमारे इस राज्य को बल्कि सारे भारतवर्ष को करना पड़ा कि वह किसी से छिपा नहीं है। हमारी सरकार को अपनी आमदनी का बहुत सा हिस्सा उन मुसीबतों का मुकाबिला करने में लगाना पड़ा और उस वजह से भी जितना काम करना चाहिये था हम नहीं कर पाये। बड़े संतोष की बात है कि हमारे इस प्रदेश में ही नहीं देश में आज शान्ति है। हमारे पास पहले के मुकाबिले में साधन अधिक हैं तो फिर इस सुअवसर को अगर हम अपनी माली हालत को बेहतर बनाने में न लगा सकें और अपने आप को हर नुक्ते निगाह से अच्छा बनाने में न लगा सकें तो वास्तव में हमारे दुर्भाग्य की बात होगी। मैं इस बजट को जो इस शान्ति के समय में इस सरकार ने इस राज्य में उपस्थित किया है एक दिलेराना बजट कहता हूं।

वाकयी हमारी सरकार ने इस दिलेरी का सबूत दिया है, जब कि उसके रिसोर्सेज (साधन) कम होते हुये भी, इस बात का खयाल न करते हुये कि उन के ऊपर क्रिटिसिज्म (आलोचना) होंगे और उनको मुख्तलिफ दृष्टियों से, अधिक कर लगाने के लिये अच्छा बुरा कहेंगे, ऐसे जमाने में उन्होंने अपने ऊपर यह रिस्क (जोखिम) ले कर एक दिलेरी का काम किया। यह ६५ करोड़ खर्च का बजट जो इस राज्य की माली हालत को अच्छा और इस राज्य में सुख और शान्ति के साथ आम जनता का जीवन निर्वाह करने के वास्ते बनाया गया है यह डेफिसिट बजट (घाटे का आय-व्ययक) है। ४२४ लाख रुपया आमदनी में कम है और ऐसी हालत में कोई भी ऐसा बजट बनाना किसी भी सरकार के वास्ते मुश्किल था। लेकिन मैं इस सरकार को बधाई देता हूं, वह इस लिये कि उन्होंने ४२४ लाख रुपया जमा करने का तहइया कर लिया है, इरादा मुस्तकिल बना लिया है और वह ६५ करोड़ रुपया इकट्ठा करके एक साल के अन्दर विकास की योजनाओं पर उसे सर्फ करना चाहती है, जिससे इस राज्य की माली हालत बेहतर हो। ऐसा निश्चय कोई कम हिम्मत का निश्चय नहीं है और यह इसलिये है कि हमारे सूबे में जो सरकार है उसके जो मंत्री लोग हैं उनमें से कई मंत्री बड़े हौसले वाले मंत्री हैं, नौजवान हैं, बुद्धिवाले हैं और तजुर्बेकार हैं और मुकाबिला करने का साहस रखते हैं। अगर ऐसा न होता तो मेरे ख्याल से आज डेफिसिट बजट न होकर सरप्लस (आधिक्य का) बजट होता और विकास की योजनाओं पर हम जितना खर्च करना चाहते हैं वह न कर सकते। इसलिये मैं कहता हूं कि यह बजट आम पब्लिक का बजट है किसानों का बजट है, मजदूरों का बजट है, सर्वसाधारण का बजट है, दिलेरी का बजट है।

किसी भी बजट को हम दो तीन नुक्ते निगाहों से देख सकते हैं। इनमें पहला यह है कि अगर इस राज्य की माली हालत इस बजट के जरिये, सन् १९५२-५३ ई० में, अच्छी होती है तो इस दृष्ट से यह बजट अच्छा है और अगर इस राज्य की माली हालत इस बजट से अच्छी नहीं होती है तो इस हद तक यह बजट बुरा है। दूसरे यह है कि

[श्री खूबसिंह]

अगर इस बजट के जरिये से जनता में आपस के संबंध, सोशल रिलेशंस (सामाजिक संबंध) अच्छे होते हैं तब तो उस दृष्टकोण से यह बजट अच्छा है और अगर नहीं होते हैं तो उस हद तक हम इस बजट को बुरा कहेंगे। तीसरे अगर इस राज्य में लोगों की तन्दुरुस्ती पहले के मुकाबिले में कुछ सुधरती है तो उस हद तक इस बजट को अच्छा समझा जायगा वरना उस हद तक इस बजट को बुरा बतलायेंगे। जहां तक तहजीब और सभ्यता का ताल्लुक है अगर इस बजट के जरिये से सभ्यता और तहजीब बढ़ती है तो उस हद तक हम क्यों न इस बजट को अच्छा कहें और क्या वजह है कि इसको जो एक तरह से मुखालिफ बेंचेज की तरफ से कहा गया है कि यह बजट ऐसा है कि रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये, रद्दी की टोकरी में फेंकने का साहस करें। अगर इस दृष्टकोण से देखते हैं तो सही-सही पता लग जायगा कि बजट कैसा है। क्या इससे हमारे इस राज्य की खास-खास जरूरतें जो मैंने अभी बतलायी हैं वह पूरी नहीं होती हैं

इस बजट के जरिये से बहुत कुछ रुपया नहरों पर और बांध बनाने में, बिजली तैयार करने में सर्फ होगा और यह बिजली का तैयार करना, नहरों का विकास करना, यह दो चीजें हैं जिनसे इस राज्य की बहुत बड़ी जनता पर असर पड़ता है। बिजली जब इस राज्य में नहीं होगी तब तक हम छोटे-छोटे उद्योग-धंधे को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम सर्वसाधारण जिनके पास जमीन नहीं है, के जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं तो उनके वास्ते काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योग) को जो बिजली के जरिये से चलाई जा सकती है सही तरीके से मुहइया करना होगा। तो इसलिये जहां तक बिजली बढ़ाने का ताल्लुक है बिजली बढ़ा कर हमारे प्रदेश की इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़े पैमाने पर चली जायगी जिससे सर्वसाधारण को, जो मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट भरता है, एक बहुत बड़ा मौका अपने विकास और उन्नति करने का मिलेगा।

जहां तक इर्रीगेशन (सिंचाई) और नहरों का ताल्लुक है यह सही है कि जितनी नहरें हमारे देश में बढ़ती जायंगी उतना ही सूखे का भय भी कम होता जायगा और कई दृष्टिकोण से हम अपने पैरों पर खड़े होते जायंगे। दूसरे देशों से जो अनाज हमें मांगना पड़ रहा है वह हमें नहीं मांगना पड़ेगा और वह रुपया जो अनाज मंगाने पर सर्फ होता है वह दूसरे कामों पर सर्फ होगा। तो अब मैं यह कहता हूं कि बिजली पैदा की जा रही है, बांध बनाये जा रहे हैं, बहुत से पावर स्टेशंस इंस्टाल (बिजली घर स्थापित) किये जा रहे हैं और नहरों को बहुत बड़ी तादाद में बढ़ाया जा रहा है, जिनकी लम्बाई सैकड़ों मीलों तक ज्यादा हो जायगी तो ऐसे हालत में जो यहां के आम लोग हैं जिनको किसान और मजदूर कहा जाता है उनकी बेहतरी इस बजट के जरिये से होगी। तो फिर इस बजट को क्यों नहीं किसानों और मजदूरों का बजट कहा जाय?

जहां तक तालीम का ताल्लुक है, तालीम के वास्ते भी हमारे यहां कम साधन नहीं मुहइया किये गये हैं। साधनों की कमी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन (प्राथमिक शिक्षा) में बहुत काफी सर्फ होता है और हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) भी काफी फैली हुई है और जहां तक शिक्षा के साधनों का ताल्लुक है इस बजट में काफी साधन मुहइया किये गये हैं जिनके जरिये से हम अपनी सभ्यता, तालीम और शिक्षा को बढ़ा सकते हैं।

इन चन्द बातों के बाद मेरा यह भी फर्ज हो जाता है कि तस्वीर में अगर कोई खामी रह गयी है तो उन खामियों का जिक्र भी कर दूं ताकि इस बजट में और आइंदा साल के बजट में अगर मेरी बात कुछ सेंस (विवेक) की बात हो तो मुमकिन है वह आपके और हमारी गवर्नमेंट के काम आ जायं। मैं असल में जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है बिलकुल फ्री एजुकेशन (निःशुल्क शिक्षा) का मानने वाला हूं। हम इस साल न कर पायें तो दूसरी बात है, आइंदा बजट में आइंदा १० साल में, १५ साल में यह करना ही होगा क्योंकि यहां के सर्वसाधारण को

अपने मस्तिष्क का विकास करने के वास्ते पूरी आजादी होनी चाहिये। यहां की शिक्षा फ्री (निःशुल्क) फ्री होनी चाहिये। मुझे अफसोस है कि इस उसूल को, जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है सिर्फ वहीं तक महदूद कर दिया गया है और इससे आगे नहीं बढ़ाया गया है। जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है मुखालिफ बेंच की तरफ से कल किसी ने कहा था कि देहली की सरकार ने यह एलान कर दिया है कि हायर सेकेन्डरी एजूकेशन हरिजनों को मुफ्त दी जायगी और हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस उसूल को हमारी सरकार नेपहले ही से मान ही नहीं लिया बल्कि अमल में लायी है। किसी हरिजन विद्यार्थी को, जहां तक हायर सेकेंडरी एजूकेशन का संबंध है, फीस माफी के लिये दरख्वास्त लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी फीस माफ है और उससे कुछ चार्ज नहीं किया जाता। बहैसियत एक हायर सेकेन्डरी स्कूल के मैनेजर के मुझे तजुर्बा है कि गवर्नमेंट अपने पास से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स (निजी संस्थाओं) को उतना रुपया जितना रुपया हरिजनों की फीस का होता है, देती है और वह मेनेजमेंट (प्रबन्धकों) को दिया जाता है। मैं इससे और आगे बढ़ना चाहता हूं और कहता हूं कि सूनर और लेटर (कभी न कभी) उसूली तरीके से हमें यह मान लेना चाहिये कि शिक्षा सबको फ्री देनी होगी और जब हम इस उसूल को मान लेते हैं तो हमें एक ऐसा वाया मीडिया (मध्यम पथ) निकाल लेना है कि जनता को मालूम हो जाये कि हमने इस उसूल को मान लिया है और आइंदा साल के बजट में या इसी समय जहां तक १२५ रुपये मासिक की आमदनी वाले जो व्यक्ति हैं उनके बच्चों की फीस अगर हम पूरे तौर से माफ नहीं कर सकते तो हम यह उसूल मान करके कि इस देश में हमें फ्री एजुकेशन देना है, उनकी फीस को ५० या २५ फीसदी माफ कर सकते हैं। इससे हमारी नियत का पता हमारी जनता को चल जायगा कि हम इस राज्य में क्या करना चाहते हैं, हम फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं।

इसके अलावा मैं इस उसूल का भी मानने वाला हूं कि हमें इस राज्य में बिलकुल फ्री मेडिकल एड (निःशुल्क चिकित्सा सहायता) देनी चाहिये। इसमें शुबहा नहीं है कि आज हम मुसीबत में हैं, आज हमारे रिसोर्सेज (साधन) कम हैं, आज हमारे साधन बहुत थोड़े हैं, लेकिन हमें यह करना पड़ेगा। अगर आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, परसों करेंगे। हमने इस उसूल को माना है और शहरों में जो सिविल अस्पताल हैं उनमें फ्री मेडिकल एड दी जाती है। गांवों में भी बहुत से अस्पताल खोले गये हैं जहां पर फ्री मेडिकल एड दी जाती है। लेकिन मैं अपनी सरकार के सामने एक सजेशन (सुझाव) पेश करना चाहता हूं। यहां पर हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुये हैं और मुझे उम्मीद है कि यदि वे मेरे सजेशन से इत्तफाक करेंगे तो इस राज्य की जनता को कुछ फायदा हो जायगा। मेरा सजेशन यह है कि देहात के लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं कि फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है, टी० बी० किस तरह से फैलती है, सिफलिस (आतशक) किस तरह से फैलती है और कोढ़ किस तरह से फैलता है। क्यों यह बीमारियां पैदा होती हैं, किस तरह से गांवों में फैलती हैं, क्या इसका इलाज होना चाहिये, ये तीन चीजें हैं जिनके मुताल्लिक सरकार को खुद ख्याल करना चाहिये और वह इस तरह से कि साल में एक मर्तबा देहात में जा करके जिनको कमजोर पाया जाय, या जो इन तीन-चार बीमारियों में से किसी को मरीज होने का शुबहा हो उनका मेडिकल टेस्ट (स्वास्थ्य-परीक्षा) किया जाय और अगर वे इन रोगों में मुबतिला पाये जायं तो एक सार्टिफिकेट के साथ उनको उन मुकामात पर भेज दिया जाय जहां गवर्नमेंट ने इन बीमारियों के इलाज का मखसूस इंतजाम कर लिया है। इस तरह से हमारे देहात के रहने वाले गरीबों को इलाज का साधन मिल जायगा। दूसरे न सिर्फ उनकी जानकारी बढ़ेगी बल्कि आम पब्लिक की जानकारी भी बढ़ेगी कि किस तरह से यह मर्ज फैलते हैं और सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि बहुत से सीधे साधे लोग जिनके बीच में वे लोग रहते हैं, वे उन रोगों में फंसने से बच जायेंगे। इस तरह से घूमने फिरने वाले डाक्टरों के यह गश्ती दस्ते होंगे, जो हर साल हर एक देहात की विजिट (निरीक्षण) करेंगे और इस प्रकार फ्री मेडिकल एड की तरफ हम एक कदम बढ़ायेंगे। ये दो बातें मैंने बतलायीं

[श्री खूब सिंह]

और मुझे उम्मीद है कि आइन्दा अगर मौका मिला तो गवर्नमेंट इन दोनों उद्देश्यों को हासिल करने के लिये कदम उठायेगी।

एक सजेशन मैं करप्शन (भ्रष्टाचार) के मुताल्लिक देना चाहता हूं। यह बतलाया गया कि करप्शन बहुत है, मैं इससे इन्कार नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि करप्शन कम है या बहुत है लेकिन है जरूर। यहां इस किस्म का कोई सजेशन नहीं दिया गया कि करप्शन दूर कैसे हो सकता है। सन् १९३६-३७ की मिनिस्टरी में एक ऐंटी-करप्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने खोला था। मेरा तजुर्बा यह है कि जब तक वह डिपार्टमेंट रहा उस वक्त तक कम से कम पुलिस में उतना करप्शन नहीं रहा जितना कि आज है। आज पुलिस में करप्शन बहुत बढ़ा हुआ है बमुकाबिले सन् १९३६-३७ के। इसकी एक वजह यही नहीं है कि ऐंटी-करप्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने खोला और वह बन्द हो गया। देखा यह जाता है कि जो सौ रुपया तनख्वाह पाने वाले हैं उनमें भी बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत से करप्ट (भ्रष्ट) हैं और जो दो हजार तनख्वाह पाते हैं उनमें भी बहुत अच्छे हैं और बहुत करप्ट हैं। तो सिर्फ यही कारण करप्शन के फैलने का नहीं है कि जिनको कम तनख्वाह मिलती है वही करप्ट होते हैं। कम तनख्वाह वालों के लिये करप्शन के चांसेज (अवसर) ज्यादा हैं लेकिन सिर्फ यही बात कि कम तनख्वाह मिलने से करप्शन होता है यह बात मैं नहीं मानता। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सरकार को एक ऐंटी करप्शन डिपार्टमेंट (भ्रष्टाचार निवारक विभाग) फिर खोलना चाहिये जो न सिर्फ पुलिस के करप्शन को मिटाये बल्कि हर वाक आफ़ लाइफ (जीवन की प्रत्येक अवस्था) में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब तक उसकी पहुंच हो और हर डिपार्टमेंट से वह करप्शन को दूर करने की कोशिश करे। ये तीन चार सुझाव मैंने सरकार के सामने रखे हैं। अब लाल रोशनी मेरे सामने है, आगे नया प्वाइन्ट बतलाने का मौका भी नहीं है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रिया अदा करके कि उन्होंने मुझे समय दे कर अपने विचारों को भवन के सामने रखने का मौका दिया, अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वाभाविक था कि इस हुकूमत से जो बजट पेश हो उससे देश को एक रोशनी मिले। इसलिये कि सबसे पहले इस देश में बालिग मताधिकार के आधार पर अबकी चुनाव हुआ और जो हुकूमत आज काम कर रही है, उसका यह दावा है कि उसको इस देश के बहुमत बालिगों का समर्थन प्राप्त है। बजट की पोथी तो बहुत लम्बी चौड़ी है, उसको तो देखने के लिये समय चाहिये, लेकिन जिस क़दर कि देखा जा सका है उसके देखने से ऐसा मालूम होता है कि परिपाटी जो बजट पेश करने की रही है उससे यह हुकूमत बाहर नहीं जा सकी। सन् १९४६ से ले कर आज तक किसी वर्ष में हुकूमत ने यह स्वीकार नहीं किया कि हमारा बजट जो है खराब है। सन् १९३७ में में १३ करोड़ का बजट शुरू हुआ और आज ६५ करोड़ का है, पांच गुने का बजट है। हमें तो अंदाजा तब लगता जब कि पांच गुने के बजट में पांच गुना बेकारी का सवाल हल हुआ होता, पांच गुना देश की उपज बढी होती, पांच गुना जो लोग नीचे दबे हुये हैं, कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, वे पांच गुना नहीं तो चौगुना, तिगुना, दुगुना भी ऊपर उठे होते। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरफ हुकूमत का ध्यान नहीं गया। अफ़सोस तब होता है कि जब अभी कुछ देर पहले हमारे अन्नदाता जी माननीय अन्न मंत्री ने यह कहा कि इस प्रान्त में कितने अन्न की जरूरत होती है इसकी खबर उन्हें नहीं है। योजना बनायी गयी है। ६५ करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च हो जायगा। सिर्फ़ यहीं का पैसा नहीं खर्च होगा केन्द्र का भी करोड़ों और अरबों रुपया खर्च होगा लेकिन जो सबसे पहली जरूरत है, जो कि हमारी जिन्दगी का पहला सवाल है, साढे पांच करोड़ आदमियों की जिन्दगी

का सवाल है जो गांव में बसते हैं उसी के बारे में इतनी अनभिज्ञता, इतनी कम जानकारी, इतनी लापरवाही, यह मैं समझता हूं बर्दाश्त करने की बात नहीं है, और फिर उसके बाद यह कहना कि यह बजट जो है वह अगले कुछ वर्षों में इस देश में स्वर्ग का सुख भोगने की स्थिति पैदा कर देगा, कैसे इस बात को क़बूल किया जाय।

बधाई ली जा सकती है। बधाई तो तब भी ली जाती है कि जब लोग भूखों मर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भूखों मर रहे हैं लोग। क्या हक़ है सरकार को यह कहने का कि कोई भूखों नहीं मर रहा है जब सरकार को इस बात की भी खबर नहीं है कि सूबे में कितने अनाज की जरूरत है तो सरकार इस बात के कहने के लिये हक़दार नहीं है कि सूबे में कोई भूखों नहीं मर रहा है। मैं जब यह कहता हूं कि लोग भूख से मर रहे हैं तो मैं इसको साबित करने के लिये भी तैयार हूं, तादाद बताने के लिये तैयार हूं और नाम भी बतलाने के लिये तैयार हूं। क्या हुकूमत के पास साहस है कि कोई कमेटी इसके लिये मुकर्रर करे। हुकूमत का तो एक तरीका हो गया है कि अगर कोई आदमी मरता है तो उसकी जानकारी मालूम करने से पहले इंकार करती है और उसके बाद इंक्वायरी (परिप्रश्न) होती है। मैं चार पांच दिन पहले की एक घटना बतलाता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा था मैं देवरिया के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। कोई स्त्री भूख से मरी और उसकी सूचना दी गयी। उसके कुछ दिन बाद कानूनगो साहब वहां पहुंचे। जिस आदमी की स्त्री मरी थी उससे पूछा गया कि जब यह मरी थी तो वह कहां था। उसने कहा कि मैं अपनी रिश्तेदारी में अनाज का बंदोबस्त करने गया था। इस पर उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारी स्त्री भूख से मर रही है और तुम उसे ऐसी हालत में छोड़कर रिश्तेदारी में जा सकते हो और बीबी की देख-रेख नहीं करोगे, कानून की जिम्मेदारी तुम नहीं समझते हो यह जुर्म है। वह बिचारा समझने लगा कि एक तो बीबी मरी और दूसरे यह मुसीबत जेलखाने की और आगई। उसने कहा कि आप जो चाहें वह लिखवा लीजिये और हमारी जान छोड़िये। उसने लिखवा लिया गया कि बीबी हमारी किसी बीमारी से मर गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत को अपना दामन साफ करना है और वह समझती है और उसको इस बात का दावा है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा है तो वह दो तीन आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर कर दे। उसमें एक तो डाक्टर हो, एक जज हो और दूसरे लोग हों और उसकी इंक्वायरी (जांच) कबूल हो और फिर देखें कि साबित होता है या नहीं कि कोई भूख से मरता है या नहीं मरता है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज अखबारों में उसकी रिपोर्ट इसलिये नहीं छपती है कि जिस वक्त बस्ती जिले में हमारे माननीय मुख्य मंत्री दौरा कर रहे थे तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी और वह चेतावनी दो सेंटेंसेज़ (वाक्यों) की है। मैं अध्यक्ष की इजाजत से उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

"कोई भूख से मरने न पाये

माननीय पंत जी ने कहा कि भूख से होने वाली कोई भी मृत्यु हम सब के लिये कलंक की बात होगी। इसलिये सभी का पूरा पूरा ध्यान इस ओर रहे कि कोई भी भूखा न मरने पाये, साथ ही आपने सावधान किया कि अगर किसी गांव में एक भी व्यक्ति भूख से मरा तो वह गांव सहायता से हाथ धो सकता है।"

पंचायत राज से निकलने वाली पत्रिका है जिसमें यह शब्द छपे हैं। कोई हमारी पत्रिका नहीं है। किसी गांव को मुसीबत बुलानी है जो यह कहे कि हमारे यहां कोई आदमी भूख से मर गया। अगर कोई गांव कहता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी की यह धमकी है कि उस गांव को जो कुछ भी तीन छटांक, चार छटांक गल्ला मिल रहा है वह भी उसको नहीं मिलेगा। फिर कौन आदमी ऐसा है जो ऐसी हालत में यह कहेगा कि हमारे गांव में कोई आदमी भूख से मरा।

[श्री बेदा विह]

मैं कहता हूं इसी वजह से भूख से मरने वालों की खबरें अखबारों में नहीं आ रही हैं।

अभी कुछ दिन पहले हमारे अन्न मंत्री जी ने एक घोषणा अन्न के विनियंत्रण की की है। मैं अन्न मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कि उन्होंने सारे सूबे की कोई जानकारी हासिल नहीं की है कि कितने अन्न की हमारे सूबे को जरूरत है क्या उसी जानकारी पर उन्होंने इस सूबे में डिकंट्रोल (विनियंत्रण) किया है। अगर ऐसा है तो फिर यह मुल्क कहां जायगा। यह समझ लेना चाहिये अच्छी तरह से, हमको भी और हमारे अन्न मंत्री जी को भी। मैं बहुत सफाई के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि डिकंट्रोल हुआ, राशनिंग उठाने की चर्चा चली, लोगों को खुशी हुई, आज सारा देश खुशी मनाता है। लेकिन वह इसलिये खुशी नहीं मनाते हैं कि अब उनको अन्न मिलना बन्द हो जायगा बल्कि इसलिये खुशी मनाते हैं कि आज कंट्रोल की जिन्दगी इतनी संकटपूर्ण हो गई है लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका इससे पिंड छूट जाय। राशनिंग की व्यवस्था से आज जनता कराह रही है। इसलिये वह सोचती है कि हम आगे से भी खिलवाड़ करें और हो सकता है आगे आने वाले जमाने में ४८-४९ का जमाना जो डिकंट्रोल का आया था वैसी ही मुसीबत फिर आ जाय और मैं डरता हूं कि अगर सरकार और माननीय अन्न मंत्री जी इन सब चीजों पर गौर नहीं करते जिनका ब्यौरा मैंने दिया है तो यह मुसीबत फिर आयेगी, बराबर आया करेगी। अमेरिका के अन्न पर इस तरह से अभिमान करना और डिकंट्रोल करना खतरे से खाली नहीं है। मुल्क में अन्न की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिये। मुल्क में जैसा कि आर० के० सिधवा साहब ने कहा है अन्न की कमी नहीं है। उस पार पार्लियामेंट में हमारे आज कल जो मौजूदा गवर्नर साहब हैं कहा था कि हमें आंकड़ों के साथ तंग न करो, इससे भी अगर कुछ लोग मान लें जबकि हम उसके कायल नहीं हैं फिर भी जो साधन हमें उपलब्ध हैं उनके जरिये से अन्न की पैदावार बढाई जा सकती है। मैं कृषि मंत्री माननीय चरण सिंह जी का ध्यान उस लेख की तरफ दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने "आज" में दिया था। उसमें लिखा है कि सरकारी कृषि फार्म्स में सन् ४६ से ५१ तक ५ वर्षों में १२ मन से २३ मन प्रति एकड़ की पैदावार बढ गई। मैं कहता हूं कि अगर १२ मन से २३ मन की पैदावार बढ़ गई और इटावा पायलेट-प्रोजेक्ट के बाद जिसके मुताल्लिक पंडित जवाहरलाल से एक प्रेस कान्फ्रेंस में यह कहलवाया गया कि वहां ९ मन से पैदावार २३ मन हो गई, अगर यह बात सही है तो इन तजुर्बों को दूसरी जगह क्यों नहीं काम में लाया जाता। अगर काम में लाया जाय तो फिर क्या हमारा मुल्क अन्न के मामले में स्वावलम्बी नहीं बन सकता? यहां कितनी जगहों पर ऐसा किया गया? मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अगर फार्म्स में १२ मन से २३ मन की पैदावार हो सकती है तो क्या वह तजुर्बा दूसरी जगह पर काम में नहीं लाया जा सकता मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी खेती-बाड़ी का काम जानते हैं।

बजट के दौरान में वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि दुर्भिक्षग्रस्त इलाकों में मदद दी गई, तकावी की बात कही गई। मैं एक बात खास तौर से आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। मालूम नहीं और जगहों पर क्या हुआ लेकिन देवरिया की बात मैं सफाई से कहना चाहता हूं। जो तकावी बीज और खाद के लिये दी गई थी वह बाद में जेड० ए० एफ० (जमींदारी विनाश कोष) में जमा करा ली गई। मैं प्रमाण दे सकता हूं। क्या हुकूमत इसकी जांच कराने के लिये तैयार है? जो तकावी ४९ में दी गई थी वह सारी की सारी जेड० ए० एफ० में जमा करा ली गई, जिस आदमी ने तकावी की रकम ली है उसी दिन जेड० ए० एफ० में उसने उसे तहसील में जमा कर दी, कोई ज्यादा दिक्कत इसकी तहकीकात में नहीं होगी। मालगुजारी की बात कही जाती है कि किसानों को मालगुजारी में छूट दी जाती है मैं एक बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। १९५८ फसली में १ करोड़ ६० लाख रुपये की छूट दी गई और सरकारी हुकुम वसूलीयाब (निलम्बन) का हुआ और सरकारी मालगुजारी वसूल होती रही। जब मालगुजारी वसूल हो गई तो कुछ देर के बाद यह हुकुम गया कि मालगुजारी माफ हुई। जिलों से रिपोर्ट

आई कि मालगुजारी वसूल हो चुकी है। उसके बाद सरकार के यहां से यह हुकुम गया कि वह माफी खारिज कर दी गई और उस मुआफी को वापस ले लिया गया। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि देवरिया में कुछ छूट दी गई यह कहकर कि फसल मारी गयी है, वह वास्तव में छूट मिलेगी इसमें सन्देह है। कितनी छूट दी गई है वह तो एक मामूली सी छूट है, लेकिन जो छूट दी गई है उस छूट के बावजूद भी आज मालगुजारी वसूल की जा रही है। जो कोर्ट आफ वार्डस् का मुहकमा है वह मुहकमा लगान वसूल कर रहा है। अगर यह चीज जिले के अधिकारियों के नोटिस में लाई जाती है तो वह सुनने के लिये तैयार नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक तरफ से देना और दूसरी तरफ से लेना यह तो ऐसी बात है जो सरकार के लिये शोभा नहीं देती है।

मैं आपसे एकाध बात और अर्ज करना चाहता हूं। इस सूबे की बेरोजगारी को हल करने के लिये मैं समझता था कि सरकार बड़ी फिक्रमन्द होगी, लेकिन बजट में मैंने देखा तो निराशा और बढी। एक गुड़ डेवलेपमेंट (विकास) की स्कीम है। वह स्कीम बहुत पुराने जमाने से चली आती है। वह योजना गांधी जी को बहुत प्रिय थी। खादी की योजना और गुड़ की योजना दोनों गांधी जी को प्रिय थीं। इस योजना पर ३ लाख रुपया पारसाल तक था जो लगातार कम किया जा रहा है। यह सुनने में आता है कि इस गुड़ डेवलेपमेंट की स्कीम को समाप्त ही कर देने का विचार है। इसके साथ ही तारीफ भी इस विभाग की की जाती है और बड़ी बड़ी बातें पार्टी में कही जातीं हैं। इंडस्ट्री की रिपोर्ट यह है कि यह गुड़ की इंडस्ट्री सब से बड़ी इंडस्ट्री है हमारे सूबे की और उस इंडस्ट्री के साथ सलूक यह किया जा रहा है। इस इंडस्ट्री से करीब १२ लाख आदमियों को रोजी हमारे सूबे में मिलती है। तो १२ लाख आदमियों को रोजी जिस व्यापार से मिले उसमें दो तीन लाख रुपया सरकार का खर्च होता हो उसको बन्द करना कहां तक मुनासिब है।

मुझे लाल रोशनी देखकर डर सा लगता है कि मेरा समय अब समाप्त हो गया और लाल रोशनी से कुछ मुहब्बत भी है क्योंकि यह हमारा प्यारा रंग है। मैं सिर्फ सरकार से चन्द बातें और कहना चाहता हूं। बजट के संबंध में मेरा विचार यह है कि एक परम्परावादी बजट है। इससे आप पार हो जाइये और पार होकर इस बात को सोचें कि किस तरह से सारे सूबे को खाना मिलेगा, अन्न की समस्या कैसे सुलझ सकेगी, किस तरह से कपड़ा दे सकेंगे, किस तरह से आज हम मुल्क में जुर्म को रोकें, किस तरह से लोगों का नैतिक स्तर ऊंचे उठ सकेगा। अगर इस दृष्टि से यह समस्या को हल करता है तो तब यह बजट सुन्दर है और सही है। चीन की बड़ी मिसाल दी जाती है लेकिन वहां की मिसाल पर हम कब चलते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कभी इसी हाउस में कहा था कि हमारी जो जमींदारी विनाश की योजना है वह चीन की जमींदारी विनाश की योजना से भी क्रांतिकारी है और यह हमारी योजना उससे भी आगे है। यह भुखमरी की समस्या को हल कर देगी। हमारी जो भूमि की समस्या है उसको भी यह हल कर देगी। लेकिन हमारी यह जो योजना है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बेरोजगारी को लाती है, बलवे और मुकदमेबाजी को लाती है, तबाही को लाती है, नये करों का बोझा लाती है। मैं तो यह उम्मीद करता था कि जमींदारी खत्म होने के बाद कोई दूसरा कर लाने की आवश्यकता नहीं होगी। अबकी मर्तबा मैंने देखा कि किसी तरह से इसमें ४ करोड़ ७८ लाख रुपये की आमदनी मालगुजारी से बतलाई गई है। मैं इसको जरा समझना चाहता हूं। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट को जरा दूसरी ही दृष्टि से देखने की जरूरत है और तभी देश का कल्याण हो सकता है।

आय-व्ययक पर सामान्य विवाद में भाषणों के लिये परिमित समय में परिवर्तन

अध्यक्ष—इस से पेश्तर कि हम उठें मैं यह देखता हूं कि कई माननीय सदस्य बजट के विवाद में भाग लेना चाहते हैं और मेरे पास पर्चे भी उन में से कई के आ चुके हैं कि वह बोलना चाहते हैं। समय हमारे पास कम है। ऐसी स्थिति में मैं उचित समझता हूं

[अध्यक्ष]

कि अब २० मिनट के बजाय सवा दो बजे से जो सेशन शुरू होगा उसमें एक सदस्य के बोलने का समय १० मिनट रखा जाय।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की–अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस उन करोड़ों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जो खेतों, खलिहानों और कारखानों में काम करते हैं। ये वे लोग हैं जो आज ही नहीं बल्कि उस समय से जब मनुष्य ने समाज में रहना सीखा, दौलत पैदा करते रहे, लेकिन स्वयं पेट भर भोजन नहीं प्राप्त कर सके। कांग्रेस ने जब शासन संभाला तो उसके सामने इन लोगों की पेट की समस्या सबसे पहले थी। इन लोगों की दुरवस्था को देखते हुये सब से पहले कांग्रेस के लिये यह जरूरी था कि इनके नैतिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करे। यों तो बहुत सी समस्यायें विकास की और शिक्षा वगैरह की हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई समस्या है तो वह भोजन की है और इन करोड़ों लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की है। इसलिये हमारे माननीय वित्त मंत्री ने समय की आवश्यकता को देखते हुये जो सिंचाई और अन्नोत्पादन की समस्या को प्राथमिकता दी है वह आज की परिस्थितियों को देखते हुये मुनासिब है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो बजट हमारे सामने उपस्थित है वह देश के हित में है और जनसाधारण के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये है। जिन लोगों ने यह कहा है कि यह बजट प्रगतिशील नहीं है, प्रतिक्रियावादी है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि किसानों की हालत को सुधारना और उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना प्रतिक्रियावादिता है तो मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन अगर किसानों की हालत को सुधारना उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, भूखों को भोजन देना प्रगतिशीलता है तो हमें माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिये।

यह कहा गया है कि पुलिस की मद में बहुत सा रुपया खर्च किया जा रहा है और शिक्षा के लिये जितना प्रतिशत खर्च होना चाहिये था नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सबसे बड़ी समस्या भोजन की है और किसानों, मजदूरों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की है इसलिये सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं की ओर हमारी सरकार का गया है। जब हम अपने देश के किसानों का और ग़रीब लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा कर लेंगे और अपने प्रदेश में उत्पादन को बढ़ा लेंगे तो आगामी वर्ष में शिक्षा के लिये अधिक रुपया रख सकेंगे।

जहां तक पुलिस के बजट का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संक्रमण काल है इस समय हम उत्पादन के लिये ढांचे में परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले उन थोड़े से लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन थे जो उनका उपयोग उत्पादकों के शोषण के लिये करते थे और अब उत्पादन करने वाले लोगों के हाथ में उत्पादन के साधन दिये जा रहे हैं। वे लोग जो प्रतिक्रियावादी विचार के होते हैं संगठित होकर परिवर्तन को रोकने का प्रयत्न करते हैं। क्रांति के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। आवश्यकता है कि पुलिस ऐसे लोगों की कार्यवाहियों को रोकने के लिये जो क्रांति के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, बनी रहे। प्रतिक्रियावादी शक्तियों को दबाने का प्रयास करे। इसलिये पुलिस बजट में जो रकम रखी गयी है वह आवश्यक है और जब तक हमारा समाज वर्गविहीन नहीं बन जाता तब तक उसकी आवश्यकता रहेगी। हमारी सरकार जिस प्रकार का प्रयास कर रही है, और जिस तरह से वह चलना चाहती है उस तरह से वह शीघ्र ही थोड़े समय में ऐसे समाज की स्थापना करने में समर्थ होगी, जब ऐसा हो जायगा तो पुलिस पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।

समय की आवश्यकता के अनुकूल हमारी सरकार ने देश के नव निर्माण के लिये और देश के उद्योगों को बढाने के लिये जो योजनायें बनाई हैं उनको हमें पूरे तौर पर सफल बनाना है। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि इसमें उनका पूरा पूरा सहयोग होना चाहिये, उनका वैसा ही सहयोग होना चाहिये जैसा कि उन्होंने आज़ादी की जंग में कांग्रेस के साथ किया था। कांग्रेस की पालिसी से थोड़ा बहुत मतभेद होते हुए भी जिस प्रकार उन्होंने आज़ादी की जंग में साथ दिया उसी प्रकार से आज भी वे कांग्रेस सरकार के निर्माण कार्यों में, और देश के उत्थान के कार्यों में कांग्रेस का साथ दें। उनका और चीजों में सहयोग हो या न हो, लेकिन देश की गरीबी दूर करने के प्रयास में, देश के नवनिर्माण के कार्यों में, गरीब जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के सवाल पर पूरा सहयोग हमको मिलना चाहिये। मैं तस्लीम करता हूं कि शिक्षा और पुलिस के लिये जो आदर्श बजट होना चाहिये था वह नहीं है, लेकिन आज की आवश्यकताओं को देखते हुये यह ज़रूरी है कि सरकार निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा रुपया लगाये। आप उपस्थित बजट में देखेंगे कि सबसे ज्यादा महत्व उन्हीं कार्यों को दिया गया है जो निर्माण के कार्य हैं, देश की रचना के कार्य हैं और इसी से हम गरीब जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा कर सकेंगे।

जहां तक योजनाओं का सवाल है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये ये योजनायें बनाई जानी चाहियें। कुमायूं की परिस्थितियां भिन्न हैं। वहां भूमि इतनी कम है कि किसानों की ही हालत ख़राब है। यही कारण है कि उनके जीवन की जो परम आवश्यकतायें हैं, उनको वे पूरा नहीं कर पाते। अभी जब मैं अ.मोड़ा गया था तो चमतोला के एक हरिजन का मामला अदालत में आया हुआ था। जब उसको कोई रोज़गार नहीं मिला और खेती के लिये उसके पास जमीन नहीं थी तो उसे जंगलात की जमीन जोतनी पड़ी। मैं मानता हूं कि उसने कानून का पालन नहीं किया, मैं मानता हूं कि उसने कानून तोड़ कर अपराध किया लेकिन जहां मैं यह मानता हूं वहां यह भी मानता हूं कि उसने मजबूरी से ही यह काम किया। सरकार को चाहिये कि वहां के लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है जो भूमिहीन हैं जमीन मुहय्या करें। सरकार उपज बढाने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन इस कार्य में वह ज्यादा कामयाब इसलिये नहीं हो सकती है कि न तो वहां कुएं खोदे जा सकते हैं, न ट्यूबवेल्स ही बनाये जा सकते हैं और न बड़ी नहरें ही बनायी जा सकती हैं और न सिंचाई के अन्य साधन मुहय्या किये जा सकते हैं। इसलिये सरकार से मेरा सुझाव यह है कि कुमायूं के उन लोगों को जो भूमिहीन हैं या जिनके पास अपर्याप्त भूमि है तराई में बसने के लिये जमीन दी जाय जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। जो लोग तराई में खेती करना चाहते हैं, उनको जमीन देकर वहां बसाया जाय और जितना रुपया मैदानी इलाकों में खेती के संबंध में, सिंचाई के लिये खर्च करने जा रहे हैं अगर उतना ही रुपया तराई में बसने वालों के लिये खर्च किया जाय तो मैं समझता हूं कि कुमायूं के निवासियों को अधिक फायदा हो सकता है। मुझे मालूम है कि मंडल सेरा की जो नहर सरकार ने बनायी है वह इस बरसात में कई जगह टूट गयी है और सैकड़ों रुपया उसके पुनर्निर्माण में लगेगा। पहाड़ी प्रान्तों की समस्या मैदानी इलाकों से बिलकुल भिन्न है। वहां खेत छोटे छोटे सीरदार टुकड़ों में बंटे हुये हैं। सिंचाई के साधनों को मुहय्या करना वहां मुमकिन नहीं है इसलिये वहां जो भूमिहीन किसान हैं या जिनके पास अपर्याप्त भूमि है उनके तराई में बसने के लिये जमीन दी जाय।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट (सामुदायिक योजना) के सिलसिले में जो आयोजना की जा रही है इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह मैदानी हिस्सों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम हो रहा है उसी तरह पहाड़ी इलाकों में भी काम शुरू किया गया तो उससे कुमायूं वालों को ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां की समस्या भिन्न है। वहां तरक्की तभी हो सकती है जब कि जलविद्युत् योजनाओं द्वारा सस्ती बिजली उपलब्ध की जाय। जैसे नार्वे में सस्ती बिजली को पैदा कर वहां के उद्योगों को बढाया गया है और इसी कारण आज खुशहाल देशों में उसका स्थान है। बिलकुल हमारी स्थिति भी नार्वे जैसी ही है। यहां भी हम

[श्री गोवर्धन तिवारी]

सस्ती बिजली पैदा करके अपनी शक्ति तथा अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं और छोटे छोटे उद्योगों को खोल कर अपनी तरक्की कर सकते हैं जैसा की नार्वे वालों ने किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो रुपया खर्च होगा अगर उसको सस्ती बिजली पैदा करने में यातायात के साधनों को बढ़ाने में तथा छोटे मोटे धंधों में इस्तेमाल किया जाय तो कुमायूं के निवासियों की आर्थिक समस्या हल हो सकती है और उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो सकता है। वहां के निवासियों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिये यह जरूरी है कि वहां छोटे छोटे उद्योग-धंधे खोले जायं, लेकिन छोटे छोटे उद्योगों का विकास तभी हो सकता है जब कि वहां पर सस्ती बिजली मुहय्या की जाय। सस्ती बिजली मुहय्या होने पर वहां के लोगों की उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी और उत्पादन शक्ति के बढ़ने से वस्तुओं के उत्पादन का व्यय भी बहुत कम होगा।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं सन् १९५२-५३ के बजट को उपस्थित करने के लिये। मेरे बधाई देने की खास वजह यह है कि इस बजट में बहुत साधनों और योजनाओं का समावेश किया गया है जिनका कि प्रदेश के विकास से संबंध है। कुल मिला कर १४ करोड़ से भी ऊंची रकमें खेती, सिंचाई और पशुओं की उन्नति के लिये रखी गई हैं। जो मेरे सबसे बड़े हर्ष की बात है वह यह है कि जिन योजनाओं को प्रथम स्थान मिलना चाहिये वित्त मंत्री जी ने उनको प्रथम स्थान दिया है। लेकिन मैं कुछ सुझाव के तौर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कुछ योजनाओं की और भी आवश्यकता थी जिनके लिये कोई आयोजन इस बजट में नहीं है।

पहली योजना तो फ्लड कंट्रोल्स (बाढ़ नियंत्रण) के संबंध में है। हमारे प्रदेश में अवध के जिलों में खास कर लगभग प्रतिवर्ष ही बाढ़ से कितनी हानि हो जाया करती है। हमें इस बजट में बाढ़ से रिलीफ (सहायता) के लिये तो पैसा रखा गया मिलता है, लेकिन बाढ़ की रोक-थाम के लिये, बाढ़ का पानी कैसे सिंचाई के लिये उपयोग में आ सके इसका कोई आयोजन इसमें नहीं है। बाढ़ के कंट्रोल के संबंध में सबसे पहले हमारा ध्यान गांधी जी ने दिलाया था कि उससे हानि होने के बजाय लाभ हो सकता है। वह हमारी सम्पत्ति है अगर हम उनका ठीक से उपयोग कर सकें तो इस प्रदेश का उत्पादन बहुत बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार ने मुझे मालूम है कि फ्लड कंट्रोल्स कमेटी बिठलाई थी लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई और इस योजना में भी हम कोई चीज नहीं देख रहे हैं कि बाढ़ों की रोकथाम के लिये क्या किया जा रहा है।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है गो-सदन। हमारे यहां पशुपालन में पशुओं की उन्नति के लिये स्थान है लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है उन पशुओं की जो दूध नहीं देते हैं उनका क्या हो। अगर वे शहरों में रहते हैं या देहातों में ही रहते हैं तो दूसरे पशुओं के लिये चारे की कमी पड़ती है। प्लानिंग कमीशन ने बहुत सोच विचार के बाद इस योजना की सिफारिश की है और एक करोड़ रुपया इसके लिये रखा भी है। लेकिन हमारे प्रदेश में जहां तक मुझे मालूम है एक या दो स्थानों में ही यह योजना सरकार की ओर से चलाने का प्रबन्ध है यद्यपि आजकल हमारे यहां बहुत से स्थानों पर जंगल हैं और जहां जहां जंगल हैं वहां पशुओं के कंसेंट्रेशन कैम्प्स अथवा गोरा सदन कायम किये जा सकते हैं।

तीसरी चीज टैक्सेशन (करारोपण) की है। साढ़े चार करोड़ के करीब यहां की आमदनी में कमी है और यह हमारा डेफिसिट (कमीवाला) बजट है और डेफिसिट बजट होता है तो स्वभावतः लोगों से टैक्स के जरिये वसूल किया जाता है और मैं समझता हूं कि टैक्सेशन के पक्ष में बहुत बड़ी दलीलें हैं। अगर हमारे पास साधन कर्जे वगैरः के खुले हुये नहीं हैं तो सिवाय टैक्सेशन के दूसरा क्या साधन है जिससे हम विकास की योजनाओं को चला सकें। लेकिन जो टैक्सेशन के प्रस्ताव इसमें किये गये हैं उनके बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री के समक्ष कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। वे ये हैं कि इन प्रस्तावों में इस प्रदेश का एक व्यक्ति बाकी नहीं रहा है जिस को

बढ़ा हुआ टैक्स न देना पड़े। प्रदेश के लोगों की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि हर एक आदमी ज्यादा टैक्स दे सके। प्लानिंग कमीशन ने जो आंकड़े तयार किये हैं उसमें बताया है कि सन् १९११-१२ ई० में ८८ एकड़ जमीन गांव के लोगों के पास थी। सन् १९४१-४२ ई० में ७२ एकड़ और १९४८ ई० में शायद इससे भी कम होगी। इसके अलावा जो पैदावार है वह भी कुछ घट गयी। जिन टैक्सों का प्रस्ताव है वह ज्यादातर गांव के लोगों पर ही पड़ेंगे चाहे वह सिंचाई हो, चाहे वह सेल्स टैक्स हो, या यातायात टैक्स हो, अधिकांश गांव के लोगों पर ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये खुशी की बात है कि अक्सर बजट में यह चीजें एक निश्चित रूप में पेश कर दी जाती हैं कि इतना टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। यह एक नयी बात है। उन्होंने केवल यह कहा है कि उन पर टैक्स बढ़ाने की संभावना है। कितना बढ़ायेंगे कितना नहीं बढ़ायेंगे यह बात इसमें खुली नहीं है। तो यह अब भी गुंजाइश है कि हम उन टैक्सों को कम बढ़ायें जो ज्यादातर गांव वालों पर पड़ते हैं।

दूसरी चीज मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां तक खर्चों में कमी करने से हमारा काम चल जाय वहां तक हम टैक्सों को न बढ़ायें और मेरा अनुमान है कि हमारे पास खर्चों में कमी करने की बहुत गुंजाइश है। मैं आप को याद दिलाऊंगा कि जब माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी वित्त मंत्री थे तो जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनका विचार है कि एक रिट्रेंचमेंट कमेटी, खर्चे को कम करने की एक कमेटी इस प्रदेश में बिठायी जाय। लेकिन तब से कोई कमेटी बैठी नहीं, जहां तक मुझे मालूम है। यह आवश्यक है कि वह कमेटी शीघ्र से शीघ्र बैठे। मैं समझता यह हूं कि जिस प्रदेश में ६५ करोड़ का बजट हो उसमें अगर हम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें तो चार करोड़ रुपये की कमी निकालना असंभव बात नहीं है। कठिन भले ही हो, लेकिन वह असंभव नहीं है। हमारे मद्रास प्रान्त में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि मेरा दूसरा शत्रु पी० डब्ल्यू० डी० है। हमारे वित्त मंत्री जी को उतना ही अनुभव पी० डब्लू० डी० का भी है इसलिये उस विभाग में खर्चे में कितनी कमी हो सकती है इसके सबसे अच्छे निर्णायक वही हो सकते हैं। मैं तो उन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषय में काफी खोज और जांच करनी चाहिये।

एक बात मैं और कहता हूं। खर्चे में कमी का जरिया यह भी है कि हम अपनी योजनाओं को चारों दिशाओं में न फैलायें। वित्त मंत्री जी ने लिखा है वह चारों दिशाओं में उसको नहीं फैलायेंगे। तो जो प्राथमिक बातें हैं, खेती की, सिंचाई की, पशुपालन की, इसमें जितना खर्च करना हो करें, लेकिन दूसरी दिशाओं में हमारी आवश्यकता यह है कि हमने जितना विस्तार किया है उन का हम सुधार करें पेश्तर इसके कि हम इसमें आगे कदम बढ़ायें। उदाहरण के लिये शिक्षा का प्रस्ताव है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यह योजना बनायी है कि पांच साल के अन्दर कोई स्थान ऐसा नहीं रह जायगा जहां दो मील के अन्दर प्रारम्भिक स्कूल न हो जायं। लेकिन दो वर्षों के अनुभव के बाद उसमें उन को कमी करनी पड़ी। जो भी आज प्राथमिक पाठशालाएं खुली हैं उनमें इमारतें नहीं हैं। जो एक-एक हजार रुपया इमारतों के लिये दिया गया है वह ज्यादातर खराब गया है। आधी इमारत बनी है और आधी नहीं बनी है। इसलिये विस्तार करने के पूर्व जो अभी तक प्रसार किया है उस को मजबूत करें। यह पहली आवश्यकता है जिस की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसी तरीके से मेरा कुछ संबंध उद्योग विभाग से सन् ३७ से है। उद्योग विभाग की सारी कमेटियों में मैंने काम किया है और मैं आपसे यह कह सकता हूं कि उद्योग विभाग की जो योजनाएं आज पेश की जाती हैं उनसे उतना लाभ नहीं है जितना उनसे होना चाहिये। यह बात दूसरी है कि विभाग अपनी बातों को पेश करता है लेकिन आखिर कुछ अनुभव इस सदन के सदस्यों का है, कुछ सीधा अनुभव हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का और हमारे मंत्रियों का है। इसलिये उन विभागों की योजनाओं को स्वीकार करने के पहले हमें इस बात की जांच करनी चाहिये कि वे योजनायें क्या सही हैं।

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

वोकेशनल क्लासेज (व्यावसायिकशिक्षण केन्द्रों) की बड़ी तारीफ हो रही है और पिछले साल १५ थी और अब १३५ वोकेशनल क्लासेज करने का विचार है। वोकेशनल क्लासेज के लोग आज भी नौकरी की तलाश में रहते हैं चाहे वह बुनाई सीखें, सिलाई सीखें। मैं तो समझता हूं कि हमारे देश में इस प्रकार की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के कारीगर कुशल हैं। वे अपने काम को जानते हैं। वे पुश्तैनी कारीगर हैं। वे अपने काम को जानते हैं और उनके बच्चे उस काम को जानते हैं। इसलिये इस परम्परा को ध्यान में रखते हुये ट्रेनिंग की इतनी जरूरत नहीं है जितनी ग्राम उद्योग की चीजों के खरीदने की है। अगर हम खरीदना शुरू कर दें तो वह काम हो जायगा, वह ट्रेनिंग हो जायगी और उनमें अन्वेषण भी हो जायगा, नई-नई बातें भी निकल आवेंगी। इसलिये ट्रेनिंग की जरूरत बढ़ई-गीरी में नहीं है, बुनाई में नहीं है और कई चीजों में नहीं है और न अन्वेषण की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यह एक दूसरी मद है जिससे हम रुपये की बचत कर सकते हैं।

तीसरी मद, जिसमें रुपये की बचत करने की गुंजाइश है वह मैं सुनाऊंगा कि हमने जितनी नयी नयी योजनायें बनायी हैं उतने ही वैतनिक कार्यकर्ता नियुक्त कर दिये हैं और वह संख्या इतनी बढ़ गयी है कि एक क्षेत्र में कार्यकर्ता अधिक हैं और एक दूसरे के काम का डुप्लीकेशन (द्वित्वकरण) करते हैं और वह काम नहीं हो सकता है। किसी क्षेत्र में इंटेंसिव ब्लाक (घने गुट) बनाये गये हैं। आपका ऐग्रीकल्चर का सुपरवाइजर है, कोआपरेटिव का सुपरवाइजर है, काटेज का सुपरवाइजर है, गुड़ डेवलपमेंट का सुपरवाइजर है, कम्पोस्ट (मिश्रित खाद) का सुपरवाइजर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है। तो क्या ऐग्रीकल्चर का सुपरवाइजर इनमें से अधिकांश काम नहीं कर सकता? मैंने जहां तक सोचा है वह यह कि ये नियुक्तियां केवल बैठे बैठे खाने के लिये की जा रही हैं और उनसे उतना काम नहीं हो रहा है। यह भी एक दिशा है जिसमें हमें जांच करनी चाहिये और खर्चे में कमी करनी चाहिये।

एक चौथी दिशा बतलाता हूं और वह यह है कि सरकार के बहुत से विभाग हैं जो उत्पादन से ताल्लुक रखते हैं। उन उत्पादन के विभागों से सरकार को इतनी आमदनी नहीं हो रही है, जितनी कि होनी चाहिये। आपके पास डेवलपमेंट का विभाग है, सरकारी ऐग्रिकल्चर फार्म्स हैं, मैं केवल यह सुझाव देता हूं कि जहां से आमदनी बढ़ा सकते हैं बढ़ावें।

श्री सारंधर राय (जिला आजमगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, "ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर" (अधिकाधिक संख्या का अधिकाधिक लाभ) के सिद्धांत पर जब हम इस "महान्" बजट की व्याख्या करते हैं और तौलते हैं तो हमें बड़ी मायूसी होती है। यह बजट केवल परम्परावादी बजट ही नहीं है, यह बजट केवल पुलिस बजट ही नहीं है, यह बजट सौ फीसदी पूंजीवादी, सामन्तवादी बजट ही नहीं है, यह बजट हमारे सूबे की जनता के ऊपर मेहनतकश जनता के ऊपर खुले आम लड़ाई का ऐलान है। हम समझते हैं कि इस बजट को पेश करके माननीय वित्त मंत्री ने और उनके दाहने बायें बैठे हुये उनके साथियों ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका आज जनता से कोई सम्पर्क नहीं रह गया है, उनके दिल व दिमाग में जनता के लिये, हमारे सूबे की मेहनतकश जनता के लिये अब कोई जगह नहीं है, कोई दर्द नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा हम ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हुये माननीय वित्त मंत्री और उनके दूसरे साथियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर इस तरह का बजट पेश करके वे जनता के सहयोग की आशा करते हैं तो यह बंध्या से पुत्र की और बकरे से दूध की आशा-मात्र है। मैं समझता हूं कि हमारे देश की, हमारे समाज की और हमारे प्रान्त की जो सब से बुनियादी समस्या है, जो सब से बुनियादी प्रश्न है उसका इस बजट में कोई हल नहीं है। एक इंसान होने के नाते भोजन हमारे लिये बहुत जरूरी चीज है और भोजन जमीन से पैदा होता है। उस जमीन की व्यवस्था का कोई इसमें ऐसा निराकरण नहीं दिया गया है जिस से हमारे सूबे की ६ करोड़ ३ लाख जनता को भोजन मिल सके।

आज हम आप से सोवियत् संघ की बातकरें तो शायद बहुत लोग भड़क जांयगे। अज हम आप के सामने अगर पीपुल्स चाइना नवचीन की बात करेंतो बहुत लोगों को सिरदर्द हो जायगा। इसलिये मैं अपने ही देश के उस भाग का उदाहरण दूंगा जहां पर भूमि व्यवस्था का एक क्रांतिकारी हल पेश किया गया था। हैदराबाद के चार जिले सूर्यपेठ, करीमनगर, वारंगल, और नलगौंडा को हम तेलंगाना के नामसे जानते हैं। वहां के किसान के सपूतों ने तीन हजार गांवों पर कब्जा कर के २५ हजार एकड़ से अधिक अतिरिक्त जमीन देशमुखों से छीन करके किसानों में बांट दिया और बांट दिया उन भूमिहीन किसानों म जो सदियों से पीड़ित थे, जो सदियों से जमीन के भूखे थे और जो सदियों से जमीन चाहते थे। उस २५ हजार एकड़ भूमि को फिर से पुराने मालिकों को दिलाने के लिये नेहरू सरकार के ३६ हजार खूंखार भेड़िये तेलंगाना में इन्सानों का शिकार करने के लिये खुले छोड़ दियेगये जिन्होंने उन चार जिलों के एक हजार गांवों को बरबाद किया, जिन्होंने चार हजार किसानों के बेटे और बेटियों को कत्ल किया, जिन्होंने दस हजार किसानों के बेटे और बेटियों को जेलखाने म ठूंस दिया और जेलखाने की यातनाएं बरदाश्त न कर सकने के कारण १७० किसानों के बेटे बेटियों ने तड़प तड़प कर उन चहार दीवारियों में जान दे दी। कर्नल चौधरी ने बड़े गर्व से कहा था कि हम तीन महीने के अन्दर उस विद्रोह को खत्म कर देंगे परन्तु हैदराबाद सरकार का ४० करोड़ रुपया खर्च करके भी वे १७ महीनों में भी समाप्त न कर सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसान की भूख जमीन की भूख है। जब तक किसान को जमीन नहीं मिलेगी, जब तक भूमि का फिर से बटवारा नहीं होगा, हमारे देश और हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या का हल भी नहीं होगा। उतने अत्याचार के बाद भी कम्युनिस्टों को जो वहां यश मिला है उसको देखने के लिये आचार्य विनोबाभावे वहां पहुंचे। उनको भी वहां यह प्रकाश मिला कि आज तेलंगाना की समस्या कम्युनिस्ट समस्या नहीं है, आज तेलंगाना की समस्या भूमि समस्या है। तेलंगाना में जो भूमि का वितरण हुआ था, जिन किसानों को खेत मिल गये थे, उनसे लेकर पहले के मालिकों को दिलाने के लिये ३६ हजार फौज और पुलिस वाले भेजे गये थे लेकिन उनसे उन किसानों ने अपने खेतों की रक्षा के लिये बहादुरी से लड़ाई लड़ी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपके जरिये ट्रेजरी बेंचेज में बैठे हुये अपने माननीय मंत्रियों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस वास्तविकता को महसूस करें कि जमीन का बटवारा उन्हें करना होगा। उन्होंने इस बजट को पेश करते हुये बड़े गर्व से कहा है कि हमने जमींदारी का खात्मा किया, जमींदारी के खात्मे का कानून बनाया लेकिन मैं समझता हूं कि उस कानून की कीमत दो कौड़ी भी नहीं है। उससे भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी, उससे गरीब किसानों को एक बिसवा जमीन अधिक नहीं मिलेगी, उससे मध्यम किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी, उससे जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी मजदूरी के बढ़ने की कोई बात नहीं दिखाई देती। उससे फ़ायदा हुआ बड़े-बड़े भू स्वामियों को, उससे फ़ायदा होगा उनको जो देश के बड़े-बड़े पूंजीपति हैं। जमींदारी खात्मे के कानून के लागू होने के बाद, जब छोटे-छोटे किसान भूमिहीन हो जायेंगे, जब उनकी जमीनें बिक जायंगी और वे मारे-मारे फिरेंगे तो सस्ते दामों में बड़े-बड़े भू-खंडों के स्वामियों के यहां मनमानी मजदूरी पर काम करने के लिये बाध्य होंगे। वे बड़े शहरों की ओर जायंगे। वहां पर आज जो बेकारी की समस्या है उसको वे और ज्यादा बढ़ायेंगे और सस्ते रेट पर पूंजीपतियों को, लुटेरी ताक़तों को, जनता को चूसने का मौका मिलेगा। इस जमींदारी खात्मा के क़ानून से ग़रीबों को कोई फ़ायदा नहीं होगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो भूमि समस्या है, जो किसानों की बुनियादी समस्या है, उसका हल तभी होगा जबकि माननीय मंत्री लोग फिर से नया कानून सुधार बनायेंगे और जमीन के फिर से बटवारे की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने ३५ करोड़ मुआविजा वसूल किया है, जिसके लिये उनको बहुत नाज है कि १७० करोड़ में ३५ करोड़ वसूल कर लिया है, उसमें ज्यादा वसूली झगड़े के खेतों की है कि एक ही खेत पर तीन-तीन चार-चार उम्मीदवार पड़े हुये हैं और सब ने जमा किया है, उसका

[श्री आरखंडे राय]

उनको नाज है वह फिर उन किसानों को वापस करें और बिना मुआविजा जमींदारी का खात्मा करें और जमीन का फिर से बटवारा करें, लगान आधा करें। तब किसानों को महसूस होगा कि ये मंत्री महोदय हमारे मंत्री हैं। तब उनको महसूस होगा कि ये आदरणीय मंत्री हमारी भलाई सोचते हैं; तब उनको मालूम होगा कि इस आजादी में उनको भी कुछ राहत मिली है।

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का इस बजट में कहां जिक्र है? छोटी-छोटी तनख्वाह वालों का जिनमें यहां पर कुछ चपरासी भी खड़े हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने का कौन सा उपाय किया गया है? बेकारी की समस्या हल करने के लिये कौन सी राह निकाली गयी है? आज शिक्षित लोग नौकरी के लिये दरख्वास्ते लिये मारे-मारे बन्दरों की तरह दफ्तरों में उछलते फिरते हैं। कहां है वह बजट जिसमें यह गारन्टी दी गयी है कि उनका जीवन सुरक्षित है कि पढ़ने के बाद उनके जीवन का उपयोग किया जायगा और अनिवार्यतः काम मिलेगा? जो बे पढ़े लिखे बेकार हैं, हमारे सवा छः करोड़ की आबादी के बीच में, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। जब हमारे अन्न मंत्री को यही पता नहीं है कि हमारे सूबे में कितने अन्न की जरूरत है तो उनको और उनके साथियों को यह पता कहां होगा कि हमारे यहां बे-पढ़े लिखे बेकार लोग कितने हैं। तो हर दृष्टि-कोण से मैं यह समझता हूं कि यह बजट हमारे प्रदेश की मेहनतकश जनता के प्रति एक लड़ाई का एलान है। यह पूंजीवादी सामन्तवादी सरकार का बजट है और इस लड़ाई के ऐलान का, हमें विश्वास है, हमारे सूबे की क्रांतिकारी जनता उचित उत्तर देगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट इस सदन में पेश हुआ है मैं माननीय वित्त मंत्री को उस बजट को पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूं और साथ साथ बधाई भी देता हूं। इसका बहुत ही जबरदस्त कारण है। इससे पहले जितने भी बजट पेश हुये हैं मैं देखता हूं कि उन की अपेक्षा आज इस बजट की जहनियत बदली हुई है। पहले बजट शहरों में रहा करता था, तांगों और इक्कों में चला करता था और शहर की हद तक ही महदूद रहता था। लेकिन आज हमने देखा कि यह बजट पैदल चलना सीख गया है। यह गांव की ओर अपने क़दम बढ़ा रहा है, यह गरीब किसानों की झोपड़ियों की तरफ जा रहा है। यह गांव की नहरों में बैलगाड़ियों में चल कर गांव के ग़रीब लोगों के पास जाना चाहता है। इसलिये बधाई है और कई बार बधाई है। इसके साथ साथ मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता ने और उनके साथियों ने सरकार पर इस बजट के सिलसिले में बड़े बड़े आरोप लगाये हैं। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि यह जितने भी आरोप लगाये गये हैं वह बिल्कुल निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। क्यों आप बजट की बात करते हैं। आज पेटीकोट गवर्नमेंट (महिला शासन) से लेकर ट्रूमैन की गवर्नमेंट, स्टालिनकी गवर्नमेंट का या परमात्मा की सरकार का ही बजट क्यों न हो, सारी दुनिया के बजटों का यही हाल है। आज दुनिया एक असाधारण परिस्थिति में मौजूद है। उसको देखते हुये तथा समय की गति को देखते हुये और संसार के घटनाचक्र को देखते हुये जो बजट पेश हुआ है वह बहुत ही अच्छा बजट है।

इस बजट के संबंध में यह भी कहा गया है कि यह किसान और मजदूरों के फायदे का बजट नहीं है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि गांवों में जितनी भी व्यवस्था की जा रही है, जितनी भी नहरें खुदवाई जा रही हैं, जितने भी देहातों में ट्यूबवेल और कुयें खुदवाये जा रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि यह गांवों के किसान और मजदूरों के लाभ के लिये नहीं है? क्या आप समझते हैं कि यह नहरें वगैरा गांवों में न बहकर शहरों में चली जायंगी? हरगिज नहीं। यह पहला बजट है जो गांवों के किसान और मजदूरों के फायदे का है। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने सारे बजट को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि यह बजट गढ़वाल जिले को कतई भूल गया है। यह बजट गढ़वाल, में बद्रीनाथ की यात्रा को ही गया है और वह भी केवल गाड़ी की सड़क से गया है। जो कुछ इसके लिये पैसा रखा गया है वह आपकेसामने मौजूद है और पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी उन्होंने बतलाया कि इसके लिये ५०,००० रुपया दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो

यात्रा लाइन है यह सारे हिन्दुस्तान की हिन्दू जनता के लिये हैं और इस पर जो कुछ भी रुपया यानी ५०,००० रुपया खर्च होगा तो गढ़वाल पर इसका कोई अहसान नहीं हो सकता है क्योंकि यह तो हिन्दुस्तान की हिन्दू जनता के लिये है ।

अब मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में बतलाना चाहता हूं कि मेरा इलाका २०० मील से ज्यादा लम्बा और १०० मील से ज्यादा चौड़ा है और यह तिब्बत के बार्डर (सीमा) से मिला हुआ है । वहां के लोग शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुये हैं । मैं आपको वह जवाब बतलाना चाहता हूं जो वह देते हैं जबकि उनसे पूछा जाता है कि तुम अपने लड़के को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, तो पता चलेगा कि वह लोग कितने पिछड़े हुये हैं । किसी से पूछा जाय कि अपने लड़के को क्यों नहीं भेजते हो तो वह कहते हैं कि मेरा लड़का तो महीने भर पढ़ लिया है । अब गांव के मुखिया का काम है कि वह अपने लड़के को भेजे । क्या मैंने ही ठेका ले रखा है । मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों में सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह वहां पर शिक्षा को कम्पलसरी (अनिवार्य) कर दे । मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय इस दिशा में आगे कदम बढ़ायें । बजट में शिक्षा के लिये उचित प्रबन्ध किया जाना आवश्य है ।

अब मैं आपको इस दिशा में बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिला गढ़वाल में एक पौड़ी तहसील है । वहां सिर्फ एक ही कालेज है । आपके यहां तो प्रोफेसर्स को ५०० रुपये से लेकर १,२०० रुपये मासिक तनख्वाह देते हैं । रामपुर बनारस वगैरा में नये डिग्री कालेज खोले गये हैं लेकिन हमारे यहां पौड़ी में सिर्फ एक ही हाई स्कूल है । इसके अलावा वहां पर एक और इण्टर-कालेज था जिसके ऊपर गवर्नमेंट ५०,००० रुपया खर्च किया करती थी उसको अब सरकार ने मिशनरीज को सौंप दिया है और आज मिशनरी पैसे के अभाव के कारण मजबूर है कि उसको बन्द कर दे । इसका क्या कारण है ? जहां सरकार पहले ५०,००० रुपया खर्च किया करती थी वहां क्या अब वह २५,००० रुपया मिशनरी को देकर कालेज को चालू नहीं रख सकती है ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिये । अगर मैं इस हाउस में आकर सत्यता की आवाज बुलन्द नहीं करता, और मैं उसका गला घोंटता हूं तो मुझे इस हाउस को छोड़कर बाहर चला जाना चाहिये । इसलिये मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और ऐसी बातें हमको नहीं करनी चाहिये । पौड़ी में जो कालेज है उसने ११ महीने पहले गवर्नमेंट को नोटिस दिया था कि सरकार ग्रांट नहीं बढ़ाती । ८०० रुपया सालाना उसको दिया जाता है ; कैसे सरकार इस तरह से उम्मीद कर सकती है कि इण्टर कालेज चल सके ?

लोभा खनसर के अल्मोड़ा के बार्डर (सीमा) से मिला हुआ है, राम गंगा का फाट कम से कम ८० फीट चौड़ा है और उसपर कोई भी पुल नहीं है । जिसके कारण वहां की जनता छः मास तक एक दूसरे से बल्कुल कट आफ (पृथक्) रहती है कितने दुख की बात है । सूबे में और जगहों पर सड़कें हों, हवाई जहाज के लिये रास्ते हों, लेकिन उनके लिये आप रास्ता भी देने के लिये तयार नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि इस पिछड़े हुये इलाके की तरफ आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिये । इसके ऊपर मैंने एक नोट लिख कर गवर्नमेंट को भेजा था लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । उस इलाके में दो पट्टियों के बीच में चलने के लिये एक भी रास्ता नहीं है । मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस की व्यवस्था की जाय ।

इसके अलावा मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि वह इलाका इतना गरीब है जिनके बदन पर कपड़े के स्थान पर चीथड़े मिलते हैं । ऊपर और नीचे सब सपाट है, बदन दिखाई देता है । क्या इस तरह के पिछड़े हुये लोगों का उत्थान करना हमारी सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? मैं समझता हूं कि इस उत्तरदायित्व से आप अपने को बरी नहीं कर सकते । इसमें सन्देह नहीं कि हमारा जिला गरीब है लेकिन हमारे अन्दर सहनशीलता है, हम डिसआर्डरली (अव्यवस्थित) बिल्कुल नहीं हैं । हम सहनशील और डिसिप्लिंड (अनुशासित) हैं, कागजों और अखबारों में तूफान व धूल उड़ाना नहीं जानते, लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हमारी आवाज इस भवन के अन्दर सुनाई न दे और हमारे दुखों को दूर करने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास न हो। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिये।

तिब्बत के बार्डर से लगा हुआ जो इलाका है, कम्युनिस्टों का वहां जोर है। वहां एक कौम रहती है जो अपने साथ बकरी, भेड़, बैल वगैरह रखती है लेकिन मोटर सड़क जाने से उनकी सारी तिजारत खत्म हो गई है। वे बेकार हो गये हैं। उनकी तिजारत खत्म होती जा रही है। सरकार को उनकी दयनीय दशा की ओर ध्यान देना चाहिये और उनको रिहेबिलिटेट (पुनर्स्थापित) करना चाहिये और उनके दुखों को दूर करना चाहिये। इसके लिये इस बजट में मुझे कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आती। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

आप लोग यह न समझें कि मैं सरकार के खिलाफ हूं। मैं उनको देशद्रोही व कौम का दुश्मन समझता हूं जो भूचाल के होते हुये कहते हैं कि कोई भूचाल नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मैं कहता हूं कि जो लोग खुशामदखोर होते हैं वे मुल्क के लिये एक अभिशाप हैं। सरकार का फर्ज है कि वह देखे कि उसके सामने क्या खतरा है, कौन सी खाई है। सरकार के सामने जो खाई नजर आ रही है जो उसको बतलाता है वही कौम और सरकार की मदद करता है लेकिन आम तौर से होता यह है कि लोग समझते हैं अगर वह ऐसा करेंगे तो सरकार समझेगी कि वह हमारे खिलाफ है।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सन् १९५२-५३ के बजट को सरसरी निगाह से देखा। मुझे उसकी बातों को देखकर खुशी है और मैं अपनी कांग्रेस मिनिस्ट्री को बधाई देती हूं लेकिन उनके सामने जो गत समय का अनुभव है उसको रखना भी मैं मुनासिब समझती हूं, क्योंकि इधर हमारे गांवों के अन्दर जो परेशानी आयी है उसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं और उसको सरकार की निगाह में डालना लाजिमी है। इस समय हमारे देहातों के अन्दर सिंचाई से लेकर सब मुहकमों मे एक बड़ी परेशानी उपस्थित हो गई है जिसके लिये दौड़ते हुये हम लोगों को कई महीने बीत जाते हैं और कोई कामयाबी नहीं मिलती है। नहर के मुहकमे को ही आप ले लीजिये कि उसके अन्दर अगर कहीं पर जरूरत होती है तो ऐसे कुलाबे लगाये जाते हैं कि जिनसे खेतों को पानी नहीं पहुंच सकता है। अगर उसकी शिकायत की जाती है तो पतरौल उसको बन्द कर देते हैं। मैंने कई शिकायतों की खुद जांच की और उनको सही पाया। अगर मिनिस्टर साहब से कहा जाता है तो उनको दिखाने के लिये हमारे गांवों के अन्दर कोई सड़क नहीं है, जिससे उनको तकलीफ दे सकें और वह वहां मौके पर जाकर कुछ देखभाल कर सकें। संडीला तहसील के खास वहां पर मेरी कांस्टीट्यून्सी (निर्वाचन क्षेत्र) है उसके अन्दर कोई भी ऐसी एक सड़क नहीं है जिससे वहां पर जाया जा सके। आजकल बरसात के दिनों में वहां पर इतना पानी भर जाता है कि जाना मुश्किल हो जाता है और दूसरी बात कि ऐसी बदमाशियां बढ़ी हैं जिससे देहातों के अन्दर और भी मुसीबत आजाती है। जब शिकायत की जाती है तो उसका जवाब दिया जाता है कि ऐसा पुलिस का कौन सा अफसर है कि जिसके यहां चोरी नहीं हुई है। कलेक्टर साहब हैं और दूसरे लोग हैं जिनके यहां चोरी हुई है। क्या इन बातों को हम यों कह सकते हैं कि यह ठीक बात है? क्या मिनिस्टर साहब इस बात को ठीक समझते हैं? यहां तक नौबत आती है कि किसान लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागते हैं जब कि जमींदार उनको परेशान करते हैं। यह इस तरह की बात है कि जिनको किसी तरह से भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान का जीवन इस पर निर्भर करता है और इसी से हिन्दुस्तान की तरक्की हो सकती है। इधर स्त्रियों की शिक्षा के लिये, हमारी महिलाओं के लिये जो बजट में रुपया रखा गया है वह बहुत ही कम है। मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि अगर मातायें शिक्षित नहीं हुईं तो आप तरक्की नहीं कर सकते और हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर वह संस्कृति की नींव नहीं पड़ सकती जिससे हिन्दुस्तान की तरक्की हो। उसका कारण यही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर अगर संस्कृति की उन्नति करना है तो इस चीज की तरफ पूरी तरह से ध्यान दिया जाय।

लोग उस समय यही उम्मीद करते थे कि जब हमारी कांग्रेस सरकार की मिनिस्ट्री बनेगीतब गांवों की तरक्की होगी और गांव वालों को आराम मिलेगा और सुख मिलेगा लेकिन आज वह सबबड़े दुख में पड़े हुये हैं और उनको काफी तकलीफें हैं। इसलिये मैं चन्द शब्दोंमें आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह बजट पास करें और खुशी से पास करें लेकिन साथ ही इस पर भी ध्यान दें कि गांव की जो दशा बिगड़ी हुई है और खेतों की जो खराब हालत है उस ओर भी ध्यान दिया जाय क्योंकि गांव में इस वक्त जब से जमींदारी अबालीशन हुआ है तब से कत्ल की तादाद बढ़ रही है और जगह-जगह से क़त्ल होने की खबर आती है, चोरी और डकैती बढ़ रही हैं। जहां पर किसान कमजोर हैं उनसे जबरदस्ती जमींदार खेत छीन लेते हैं, जबरदस्ती जमींदार इस्तीफा ले लेते हैं। मैंने शिकायत भी की है लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे क्योंकि इस जमींदारी उन्मूलन से अगर अवस्था और बिगड़ी तो उसमें हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिये देश की तरक्की के लिये इस तरफ ध्यान देना चाहिये। जो टैक्स लगने की बात है उसके विषय में मेरी राय यह है कि अगर वह न लगता तो अच्छा था वरना हम लोगों को कहीं आने जाने में सुविधा नहीं मिलेगी, लोग गालियां देंगे और सरकार को बुरी भली कहेंगे। इसलिये इन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आप इस पर ध्यान दें। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से इस भवन में जो १९५२–५३ के बजट पर भाषण हो रहे हैं उन को बहुत गौर से सुन रहा हूं। मेरा बहुत उद्देश्य हमारे मित्रों ने पूरा किया। हर तरफ से इस बजट के लिये जो लोगों के विचार थे और जो बहुत कुछ मेरे विचारों से मिलते जुलते हैं पेश किये गये। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी हिम्मत कर के अपनी सरकार के सामने कुछ विचार कर बढ़ान के विरोध में ऐसे रखे हैं जिनके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत दृढ़ता पूर्वक सच्चाई के साथ अपने और जनता के विचार भवन के सामने रखे हैं।

श्रीमन्, मैंने जो इस बजट को देखा तो मैं यह जरूर कहूंगा कि यह इतना सुन्दर बनाया गया है और इतना परिपूर्ण बनाया गया है कि इसके लिये बधाई देना कोई विशेषता नहीं है। हमारे मंत्री और हमारी कांग्रेस सरकार पहले पहल इस बजट को पेश नहीं कर रही है, बल्कि हम देखते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद दिन पर दिन सरकार के बजट अच्छे ही आते थे और जनता के फायदे केलिए आये लेकिन मुझे साथ ही साथ बहुत गम्भीरतापूर्वक नम्र निवेदन करना है कि इधर निर्माण कार्य के बहाने उसकी आड़ में आप खर्च को बढ़ा रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनायें लाने की हिम्मत करते हैं लेकिन आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि अगर आप आज के अखबारों में स्वतंत्र भारत और पायनियर के कारटून (व्यंग्य) को देखें तो आपको मालूम हो जायगा कि जनता की क्या दशा है और जिस तरह से एक जमाने में यहां पर विदेशी राज्य पर लांछन लगाया जाता था कि वह अपने खर्च के लिये जनता की तमाम जिन्दा रहने की ताक़त का प्राण छीन लेना चाहती थी, वही लांछन उस कारटून में दिया गया है। हमारी सरकार भी नये करों के द्वारा जनता पर वही कष्ट पहुंचाने जा रही है जिसके बारे में मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सरकार को इस पर अभी विचार करना चाहिये सभी सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार ने जिस वक्त पिछले साल का बजट पेश किया था उस वक्त उसने यह आश्वासन दिया था कि बिक्री कर व कृषि आय–कर निर्माण कार्यों के लिये लगाये जा रहे हैं और उनको उसी वक्त तक रखा जायगा जब तक कि वह जनता के हित के लिये होंगे। मैं देखता हूं कि इस साल सरकार ने बड़ी धूम से और बड़े उत्साह से एक वह कार्य किया है, मैं तो इसको नहीं मानता और हमारे सोशलिस्ट भाई भी नहीं मानते साथी झारखंडे राय भी नहीं मानते कि जमीदारी विनाश से कोई विशेष लाभ किसानोंका हुआ है।

[श्री राजा वीरेन्द्र शाह]

इतनी बड़ी क्रान्तिकारी योजना आपकी यहां आयी जिससे २३ लाख जमींदार बेकार हो गये और उनके परिवार मिलाकर क़रीब १ करोड़ आदमी इससे बेकार हो गये । यह समस्या आपके सामने है, अन्न की समस्या आपके सामने है और इसी के साथ साथ खेती की और मंहगाई की समस्या भी आपके सामने है । निर्माण कार्य के लिये आप जनता पर और कर लगाना चाहते हैं । श्रीमन्, आप के द्वारा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के भाइयों ने एक समय कर न देने का आन्दोलन उठाया था उसी तरह से हमारी जनता कर न देने का आन्दोलन उठा सकती है और सरकार ने इस पर सोच विचार नहीं किया तो वह समय आ गया है कि जो कर लगाये जा रहे हैं उनका असर ग़रीब से ग़रीब जनता से लेकर अमीर से अमीर पर पड़ेगा । इस समय इसकी व्याख्या करने के लिये समय नहीं है । यह कहा जाय कि हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा शोचनीय है, यह भी नहीं कहा जा सकता है । आपके योग्य माननीय सदस्य परिपूर्णानन्द जी ने जो कि हमारे सामने बैठे हैं बड़ा सुन्दर चित्र इस प्रान्त की आर्थिक दशा का खींचा था । मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि जो सवा चार करोड़ के घाटे का बजट सरकार बतलाती है वह कदापि नहीं है । सरकार उसे एक योजना से पूरा कर सकती है । ऐसी भी सरकारी योजनायें हैं जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं है कि उन्हें नये कर लगा कर बलाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि निर्माण कार्य कहने में तो बहुत अच्छा है लेकिन देहात की जनता का विचार यह है कि जब तक उन्हें स्वयं उसका अनुभव न हो कि उनके लिये कोई फ़ायदे की चीज हुई तब तक वह तरक्की या निर्माण कार्य को नहीं समझ सकती है । टैक्स को वह यह समझती है कि हमारे ऊपर यह एक प्रकार का बोझ लादा जा रहा है । जमींदारी उन्मूलन के लिए आप समझते थे कि जनता आपको १ अरब ७२ करोड़ रुपया दे देगी । जनता का उससे कोई फायदा नहीं हुआ और उसने रुपया नहीं के बराबर दिया।

आपको खर्च को भी कम करने की कोशिश करनी चाहिये । अभी कांग्रेस पार्टी के बीच विधान भवन में एक भाषण माननीय श्री अमरनाथ झा का हुआ था जो अखबारों में भी छपा हुआ है । उन्होंने चाइना के बारे में बतलाया कि वहां की सरकार ने दो साल के अन्दर अपने यहां से करप्शन और फ़िज़ूलखर्ची को बन्द कर दिया । हमारे यहां हम देखते हैं कि ऐन्टी-करप्शन कमेटियां (भ्रष्टाचार निवारक समितियां) बनीं लेकिन उनमें कोई नहीं जाता और कोरम (गणपूर्ति) भी पूरा नहीं होता । आज तक कोई भी कार्यवाही ऐसी नहीं हुई जिससे करप्शन बन्द हो । यहां के सभी सदस्यगण जानते हैं कि लोग ऐसे लोगों की सिफारिश करने जाते हैं जिनके ऊपर यहां लांछन है कि उन्होंने कोई चोरी की है या अपना काम ठीक नहीं किया है । सरकार को यह भी देखना चाहिये कि हमारे प्रान्त का खर्चा किस तरह से कम हो । सब कहते हैं कि टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन (अधिक वेतन भोगी कर्मचारियों से युक्त प्रशासन) हो रहा है । हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि एक कमेटी बनाई गई थी । हमारे पुलिस मंत्री जो उस समय वित्त मंत्री थे उनके जमाने में यह तय हुआ था कि रिट्रेंचमेंट कमेटी (छंटनी समिति) बनेगी और यह ख़याल किया जायगा कि कौन दो से विभागों का कार्डिनेशन (एकीकरण) किया जाय। जिस तरह से हमारे इन्तजाम को चलाने का खर्च कम किया जाय। मैं सरकार से कहूंगा कि यह मौक़ा है कि उसकी बैठक होनी चाहिये और हमारा खर्चा कम होना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये से अनुरोध करूंगा कि यद्यपि मंत्री जी ने यह लिख दिया है कि नये कर दो साल के लिये ही लगाये जावेंगे, जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन यह दो साल भी ज्यादा होगा । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि क़तई कोई कर न लगाया जाय । यह समय नये कर लगाने का नहीं है चाहे किसी योजना में हमें कमी क्यों न करनी पड़े और योजनायें प्रान्त के चारों कोनों में नहीं हो सकती हैं । जितने सदस्य यहां आये हुये हैं उनमें से हर एक यह कोशिश करता है कि हमारे क्षेत्र में तरक्की हो, विकास योजनायें हमारे यहां लागू हों लेकिन सरकार को यह देखना चाहिये कि जहां से तत्काल जनता को फायदा होता हो, वहां की योजनायें पहिले ली जायं । कोई कारण नहीं कि आज कई जगहों

के लिये सबको खुश करने के लिये आप रुपये को बांट दें ताकि सब जगह के लोग खुश रहें और किसी को भी आप नाराज न करना चाहें । मैं बुंदेलखंड से आया हूं अगर वहां दो रिजर्वेयर (जलाशय) ही बन गये तो काफी होंगे । एक ललितपुर में बन रहा है और दूसरा सोपरा में । यह फौरन् तैयार हो जायें तो हमारे प्रान्त में अन्न की जो कमी रहती है वह बहुत कुछ कम होवेगी और हमारा प्रान्त सरप्लस (आधिक्य का) प्रान्त हो सकता है ।

मुझे यह खुशी होती अगर कांग्रेस सरकार ने जो काम विकास में किया गया वह पंचायतों के जरिये से किया जाता । मैं आप के जरिये सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देहात के जितने भी विकास के कार्य हैं, उनकी उन्नति के कार्य हैं वे सब ग्राम सभाओं के जरिये से होने चाहिये । मुझे खुशी है कि ग्राम सभाओं के सेक्रेटरियों की तनख्वाह सरकार दे रही है लेकिन यह कोई काफी नहीं है । यह तो आपका फर्ज पहिले ही था । कर्मचारियों को रखना तो आपका फर्ज हुआ ही । ग्राम सभाओं को उनकी उन्नति के लिये रुपया दीजिये । बहुत सी ग्राम सभाओं को ग्राम-सुधार और ग्राम-उत्थान के लिये रुपये की जरूरत है लेकिन वह चीज आप तक पहुंची ही नहीं अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है । सड़कों की यह हालत है कि शहरों से लगाव सब जगह देखा जाता है लेकिन यह नहीं देखा जाता है कि जिलों के अन्दर ऐसी भी जगहें हैं जहां बरसात में चार चार महीने तक रास्ता नहीं रहता । वे दूसरे हिस्सों से बिलकुल अलहदा हो जाते हैं, द्वीप हो जाते हैं । अगर कोई कहता भी है तो कह दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उनको बनायेगा ।

इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग का मामला है वह भी शहरों तक ही सीमित रह गया है । शहरों में ऐक्स रे लग रहे हैं, आई हौसपीटल्स (आंख के अस्पताल) खुल रहे हैं लेकिन क्या आपने कभी विचारा है कि देहात की क्या हालत है । ५२ डिस्पेंसरी (औषधालय) जिलों के अन्दर ऐसी हैं जिनमें डाक्टर नहीं है और वहां पर कम्पाउन्डर ही काम कर रहे हैं । हमारे अस्पतालों से जो नवयुवक पढ़ कर जाते हैं वे भी शहरों में ही रह जाते हैं । मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे उनसे ऐसा बांड (प्रतिज्ञा-लेख) भरवावें कि उनको कम से कम ५ साल तक देहात में सर्विस करनी होगी उसी को गवर्नमेंट सर्विस में लिया जायगा । तभी डाक्टरों की कमी पूरी होगी । इससे जनता को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा । ऐसी और भी स्कीमें हैं जिनसे हमारे देहातों को बहुत फायदा हो सकता है ।

मैंने यहां अनेक भाषण सुने । उनमें हमारे विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि बहुत से जमींदार जमीनों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं और काश्तकारों की जमीनें ले रहे हैं क्योंकि पटवारी के काग़ज़ात में उनका नाम लिखा हुआ नहीं है । उनकी जायदाद तो सब सरकार ने ले ही लीं । उस लूट में आप भी लूट करना चाहते हैं । अब जो चीज रह गयी है वह इसी कानून की वजह से रह गई है । अब अगर पटवारी के काग़ज़ात में भी इन्दराज है सही रूप में तो वह चीज उसी की है । अब आप उसको लेना चाहते हैं तो श्रीमन्, मैं आपके जरिये सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह बजट पर फिर से गौर करे । इन शब्दों के साथ में सरकार से अर्ज करूंगा हमारे प्रान्त की जनता नये करों के भार को कदापि सहने के लिये तैयार नहीं है और इसलिये वह न लगाये जायें ।

श्री भूपाल सिंह खासी (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री को इस सुयोजित और समुचित बजट को प्रस्तुत करने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं । मैं यह केवल शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं बल्कि यह मेरी वास्तविक भावना है और मैं समझता हूं कि यह केवल मेरी ही भावना नहीं है बल्कि इस सदन के सभी दलों की भावना है । मुझे इस वक्त तक इस संबंध में जो विचार सुनने को मिले उसमें मैंने यह पाया कि केवल सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इस बजट के सिलसिले में कुछ विरोध की बातें कही गयीं । लेकिन वह विरोध एक पोलिटिकल स्पीच (राजनीतिक भाषण) के तरीके का है न कि किसी आर्थिक ढांचे या आर्थिक सिद्धांतों का । कल विरोधी दल के

[श्री भूपाल सिंह खाती]

नेता जी ने फरमाया कि बजाय इसके कि वे कुछ अपने आंकड़े सामने रखते या कोई और बात कहते, उन्होंने सिर्फ एक शब्द में यह कहा कि इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर उस दल के लोग हर किसी चीज को, चाहे वह अच्छी ही क्यों न हो, रद्दी की टोकरी में फेंक दें तो इसमें मुझे कई आपत्ति नहीं है। इसका खमियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा जैसा कि उन्होंने भुगता भी है।

जो बात उस दल की तरफ से कही गयी वह यह थी कि देश में ग़रीबी है, देश में अन्न नहीं है, देश में कपड़ा नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस दलील के पीछे कौन सी नयी बात है। यह तो हम सभी मानते हैं और इतने वर्षों हमने इस देश में परेशानियां भुगती हैं। जो माननीय वित्त मंत्री ने १४ करोड़ रुपये की योजना इन कमजोरियों को दूर करने के लिये प्रस्तुत की है वह इसलिये की है कि देश से भुखमरी दूर हो, देश में अन्न ज्यादा पैदा हो, देश में कपड़ा ज्यादा पैदा हो। मगर जब तक आप किसानों को पानी नहीं देते हैं, जब तक आप किसानों को अच्छी खाद नहीं देते हैं, जब तक विद्युत् शक्ति का विकास नहीं करते हैं, तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि देश की ग़रीबी और भुखमरी कैसे दूर होगी।

दूसरी बात मेरे एक लायक दोस्त ने यह भी कही कि जब तक फिर से भूमि का बटवारा नहीं होता तब तक इसका कोई सुझाव नहीं निकल सकता है। श्रीमन्, अगर आप इस प्रान्त के आंकड़ों को देखेंगे तो यह सब को विदित हो जायगा कि जब तक हम अपनी जनता की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग उद्योग में नहीं लगायेंगे तब तक सिर्फ भूमि का फिर से बटवारा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं अपने जिले ही की बात कहूं कि पिछले सेनसस (जनगणना) से वहां की आबादी ८ लाख २५ हजार है और वहां पर कृषि योग्य भूमि केवल ३ लाख एकड़ प्राप्य है। इन आंकड़ों के ऊपर विचार करके जमीन का बटवारा कर देने से भी मैं नहीं समझता कि इससे हमारी ग़रीबी दूर हो जायगी। हमारी गरीबी तो तभी दूर हो सकती है जब कि हमारे देश के अन्दर ज्यादा अन्न पैदा हो, कृषि के नये साधन प्राप्त हों और हमारे देश में खास कर उद्योगों का विकास हो। उद्योगों में हमारी जनता का बहुत बड़ा भाग लगाया जा सकता है।

श्रीमन्, कल माननीय निहालुद्दीन साहब ने कुछ सन् ३७-३८ के आंकड़े रख कर इस बात को बतलाने की कोशिश की कि इस बजट में बहुत बड़ी कमियां हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसे ही आंकड़े रखे जो उनके लिये सुविधाजनक थे खासकर उन्होंने पुलिस के और शिक्षा के आंकड़े रखे। उन्होंने सन् १९३७-३८ और ५२-५३ के आंकड़े देकर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि वर्तमान सरकार शिक्षा पर कम खर्च कर रही है और पुलिस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। लेकिन मैं माननीय विरोधी दल के सदस्य को बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सी बातें जो विकास की सन् ३७ और ३८ के बजट में स्थान नहीं पाती थीं वह हमारे वर्तमान बजट में स्थान पा गई हैं। शिक्षा में उस वक्त केवल २ करोड़ के लगभग खर्च किया जाता था जबकि इस वक्त ८ करोड़ के लगभग खर्च किया जा रहा है। इसी तरह से सार्वजनिक कार्यों में ६६ लाख रुपया खर्च किया जाता था जबकि इस साल ७ करोड़ १० लाख रुपया खर्च किया जायगा। इसी तरह से सिंचाई—विद्युत में उस वक्त १ करोड़ के लगभग खर्च किया जाता था, तो इस वर्ष इसमें करीब ५ करोड़ खर्च करने की योजना है। स्वास्थ्य पर केवल ५६ लाख रुपये खर्च किये जाते थे जब कि इस वक्त तीन करोड़ ४३ लाख रुपये के करीब खर्च किया जायगा। कुटीर उद्योगों के बारे में भी बहुत बड़ा फ़र्क नजर आता है। इस वर्ष करीब ९४ लाख रुपये के इसमें खर्च करने की योजना है, जब कि ३७-३८ में १४ लाख के करीब खर्च किया जाता था। जो विकास के कार्य हम पंचायतों तथा नियोजन समितियों के जरिये से कर रहे हैं वह हमारे सन् १९३७ और १९३८ के बजट में स्थान भी नहीं पाते थे। हमारे विरोधी दल की तरफ से अगर कुछ ऐसी बातें आयें जिन पर सरकार विचार कर सके और इस सदन के माननीय सदस्य जिनसे लाभ उठा सकें तो मैं समझता हूं कि सदन

के समय का सदुपयोग होगा लेकिन ऐसी निरर्थक बातें कह कर सदन के समय को बरबाद करना कुछ उचित नहीं जंचता ।

अब मैं इस सदन का ध्यान कुछ पर्वतीय प्रदेशों की ओर दिलाना चाहता हूं । मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा । उन्होंने प्राथमिकता विद्युत, कृषि और पशुपालन को दी है, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ऐसे इलाके हैं जहां कृषि, विद्युत आदि की बहुत बड़ी संभावना नहीं है । जो हमारी सब से बड़ी आवश्यकता ऐसे स्थानों के लिये है, वह है आयात निर्यात के रास्तों को, कम्यूनिकेशन्स (यातायात) की सबसे बड़ी जरूरत है । अगर हम पर्वतीय प्रदेशों की तरक्की किसी तरीके से कर सकते हैं तो है वह वन सम्पत्ति को मार्केटों में लाना । जब तक यह हम नहीं करते हैं तब तक वह प्रदेश ऐसे ही पड़े रहेंगे । यह मैं मानता हूं कि सरकार ने पिछले मंत्रिमंडल के समय बहुत सारा रुपया पर्वतीय प्रदेशों की सड़कों के लिये खर्च किया है, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है । आज भी मैं यह देखता हूं कि अल्मोड़े जिले में, जो लगभग दो सौ मील लम्बा और डेढ़ सौ मील चौड़ा है, अल्मोड़ा शहर तक ही सड़क है जो दूसरे जिले की सरहद से केवल ४ मील पर स्थित है । जिले की सीमा यहां से १५० मील और १६४ मील दूरी पर है और वहां तक कोई यातायात के साधन नहीं हैं । अगर हमें वास्तविक उपकार पहाड़ी प्रदेशों का करना है, ख्वाह वह नैनीताल , अल्मोड़ा या गढ़वाल हो, तो विशेष प्राथमिकता वहां के लिये मोटर की सड़कों पर दी जानी चाहिये । साथ ही साथ मैं दूसरी बात यह कहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस बात पर खुशी प्रकट की है कि हमने इस प्रदेश से जमींदारी का उन्मूलन कर दिया है । कहीं नक्कारे की आवाज में तूती की आवाज दब न जाय । अभी आपके प्रदेश में ऐसे इलाके हैं जहां जमींदारों का बोलबाला है और वह है अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के जिले । सन् १९३८ में कुमायूं के लिये इस संबंध में एक कमेटी बैठाई गई थी । उससे यह आशा की जाती थी कि वह काश्तकारों के लिये कानून बनायेगी । लेकिन आज तक पता नहीं है कि उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ और सरकार ने क्या कदम उठाये यह भी हमें मालूम नहीं है ।

इसी तरह से फलों के उद्यान और खास कर भेड़ों के पालन से हमारे पहाड़ की तरक्की हो सकती है । मैंने सारे बजट को टटोला तो मुझे मालूम हुआ कि भेड़ों की नसल को सुधारने के लिये और ऊन को ज्यादा पैदा करने के लिये केवल १,५०० सौ रुपये के आवर्त्तक अनुदान का प्रबंध किया गया है । भेड़ों की नसल सुधारने के लिए और ऊन ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए केवल १,५०० रुपये का आवर्त्तक अनुदान रखा गया है और केवल मेरे ही जिले में एक लाख भेड़ें ऐसी हैं जो ऊन पैदा करती हैं । तो मैं समझता हूं कि इन समस्त भेड़ों की नसल सुधारने हजार वर्ष के लिये रुकना पड़ेगा । हमें याद रखना चाहिये जैसा माननीय चन्द्रसिंह रावत ने कहा कि करीब दस हजार मन ऊन तिब्बत से आती थी, अब वहां कम्युनिस्टों का अधिकार होने से हमें उस ऊन से हाथ धोना पड़ेगा । इससे हमारे यहां के तो कुछ हजार व्यक्तियों के हाथ से रोजगार चला जायगा लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में जो ऊन इस प्रदेश को मिलता था वह नहीं मिलेगा । इसलिये सरकार को ऊन की पैदावार बढ़ाने के लिये समुचित क़दम उठाने चाहिये ।

साथ ही मैं सरकार का ध्यान, श्रीमन्, आपके द्वारा इस संबंध में भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जिले में स्वास्थ्य की हालत भी बहुत खराब है । शायद इस प्रदेश के लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि मेरे जिले में ६० मील तक कोई अस्पताल नहीं हमारे यहां आखीरी अस्पताल अस्कोट के पास है । वहां से गर्व्यांग करीब करीब ७० मील है । उसके बाद हमारे यहां अस्पताल बेनीबाग में है । वहां से मिलम करीब ६० मील है । इस बात का प्रयत्न किया गया कि वहां अस्पताल खोल दिये जायं, लेकिन आजतक उसमें कामयाबी प्राप्त नहीं हुई ।

अब मैं सरकार का ध्यान भूमि की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया हमारे ही जिले की आबादी सवा आठ लाख है और वहां जो भूमि कृषि

[श्री भूपाल सिंह खाती]

योग्य है वह केवल तीन लाख एकड़ है । इसलिये एक बहुत बड़ी जन संख्या ऐसी है जिसके पास भूमि नहीं है । हमने बार बार कोशिश की कि उनको तराई भावर में जमीनें दिलाई जायं लेकिन इसकी तरफ सरकार की ओर से समुचित क़दम नहीं उठाया गया । पिछले वर्ष जब बहुत जोर दिया गया तो टनकपुर में अनेकों को जमीनें दे दी गयीं, लेकिन आज तीन वर्ष से वे चिल्ला रहे हैं परन्तु पानी का नाम नहीं है । वहां पर हजारों एकड़ जमीन किसानों को मिल चुकी है । लेकिन श्रीमन्, यह साधारण ज्ञान की बात है कि भाबर में तब तक खेती नहीं हो सकती जब तक वहां पानी का समुचित प्रबन्ध न हो । इसी तरह बहुत सी जमीन हल्द्वानी और रामनगर तहसीलों में भी जो दी गयी है वह भी सिंचाई का प्रबंध न होने के कारण अनुत्पादक रूप में पड़ी हुई है ।

अंतिम बात मुझे वहां के कानूनी सिलसिले में कहनी है यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने इस बात की महती कृपा की है कि कुमायूं में भी न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग करना चाहते हैं लेकिन इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि आज हम वहां यह देखते हैं कि जिनको किसी किस्म की शिक्षा नहीं मिली है, जो किसी कम्पेटीशन (प्रतियोगिता) से पास हो कर नहीं आये हैं, ऐसे मुंसीशिल आफिसरों का वहां पर राज्य है। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अभी तक माननीय मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू नैनीताल में आते थे । नैनीताल कुमायूं कमिश्नरी में होने के कारण, कुमायूं भर के लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलती थी । लेकिन किसी कारण से सरकार ने उसे तोड़ दिया । अब गरीब लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है । वहां पर उनको कोई ऐसा वकील नहीं मिलता है जो उनके मुकदमों की पैरवी कर सके क्योंकि कुमायूं के टेनेन्सी रूल्स भिन्न हैं, जिनसे साधारणतया देश के वकील अपरिचित रहते हैं ।

जिन बातों की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है मुझे आशा है, श्रीमन्, कि सरकार उन पर विचार करेगी । साथ ही मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं ।

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ)—श्रीमन्, जहां तक इस बजट के वाद-विवाद का संबंध है यह आज दो रोज से हो रहा है । मैं पहले एक नया आइटम जो इस बजट में लाया गया है उसी के बारे में पहले निवेदन करना चाहता हूं और वह है नये टैक्सेज । जहां तक सरकारी टैक्सों का संबंध है, करों का संबंध है, वह एक पहले से जैसी प्रथा चली आती है वह वित्त मंत्री की बजट स्पीच से भी जाहिर होता है कि अपनी नई नई योजनायें चलाने के लिये सरकार को कर लागू करने आवश्यक हैं । उसी प्रथा के अनुसार जिसको फस्कल पालिसी (आर्थिक नीति) कहते थे सरकारी कर लगाये जाते हैं मैं समझता हूं आज भी उसी के आधार पर टैक्स लगाने की चेष्टा की गयी है । सिद्धांत रूप से एक जमाना बदला और मैं समझता हूं कि हमारा देश भी और खास कर हमारा प्रदेश भी और आगे बढ़ा है और उसको यह सिद्धांत अब छोड़ना है । केवल एक सिद्धांत जो सरकारी कर लगाने का है वही उसको अपनाना चाहिये और वह यह कि अपने देश की योजनाओं को चलाने के लिये सिर्फ खर्चे के लिये ही टैक्स नहीं लगाना चाहिये, बल्कि जो असली क़ौमी सम्पत्ति है उसका वितरण ठीक ढंग से हो जाय और गरीब उस टैक्स से बचे और अमीर पर वह जाय । यह एक माना हुआ सिद्धांत टैक्स का है । मैं चाहूंगा कि अब हमारे प्रदेश की सरकार को इसकी ओर ध्यान देकर इस पर अमल करने की चेष्टा करनी चाहिये । वर्ना अगर हम इस सिद्धांत को नहीं मानें तो आम जनता पर जो टैक्स का बार पड़ता है और उससे योजनाओं पर लाभ पहुंचाते हैं तो वह एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना है । असल में टैक्स का जो सिद्धांत है वह यही है कि खर्चे के लिये ही नहीं, बल्कि कौमी सम्पत्ति का ठीक ठीक वितरण, ठीक ठीक बंटवारा ठीक ढंग से बराबर बराबर किया जा सके । यह

एक उसका सब से बड़ा सिद्धांत है । इसलिये पहली बात तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह नये टेक्सेज़ लगाने में इस सिद्धांत को खास तौर से ध्यान में रखें।

दूसरी बातें जो इस टैक्स के लागू करने के संबंध में है वह यह है कि कुछ जमीनों पर टैक्स लगाने की चेष्टा की जा रही है । कुछ तो वह जमीनें हैं जो गैर आबपाशी शुदा हैं, जो खाकी जमीनें हैं, उन पर कम कर लगाने का जिक्र उसमें किया गया है । मैं अर्ज़ करूंगा कि जहां तक हमारे नये अबालिशन आफ जमींदारी कानून का संबंध है उसमें एक दफा आई है कि हम ४० साल तक किसी किस्म का भूमिधरों पर और कर नहीं लगायेंगे । यह कहा जा सकता है, वित्त मंत्री का यह मंशा हो सकता है कि हमने कानून अबालिशन आफ़ जमींदारी में सिर्फ यह कहा है कि जो मालगुजारी होगी उसको नहीं बढ़ायेंगे । मगर जमीन पर कर के मानी मालगुजारी के केवल होते हैं और दूसरे मानी उसके नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि जमीन पर कर बढ़ाने का मतलब होगा उसकी मालगुजारी बढ़ाना और जहां तक मैं समझता हूं एक कानूनी अड़चन भी आयेगी कि जब हम अबालिशन आफ़ जमींदारी कानून की एक दफ़ा में कहते हैं कि ४० साल तक हम कोई किसी किस्म का रेवेन्यू नहीं बढ़ायेंगे तो क्या वजह हो सकती है कि हम मालगुजारी बढ़ायें या कोई टैक्स जमींन पर लगायें ? दूसरे उन जमींनों पर टैक्स लगाने की बात है जिनसे आबपाशी की जाती है । मैं अर्ज़ करूंगा कि वैसे ही आब-पाशी काफी बढ़ी हुई है और फिर जो आबपाशी के जराय सरकार के हैं वह इस क़िस्म के हैं कि कोई ईमानदारी से यह जांच नहीं सकता कि वाकई किसी जमीन को सरकार की पानी की सप्लाई की योजनाओं से लाभ हुआ है और वह इस निर्णय पर पहुंचेगा कि ठीक उसको लाभ हुआ या नहीं कहना बड़ा कठिन है।

जितने ट्यूबवेल्स और नहरें हैं उनका कमांड एरिया (निरीक्षक-क्षेत्र) इतना अधिक है कि वहां जितने पानी की आवश्यकता है वह पानी ठीक समय पर कभी आज तक मिला ही नहीं। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि दो साल से एक अजीब योजना चल रही है जो नहरों के संबंध में खासतौर से है कि जहां पहले कुलावे छः इंच थे, उनको चार इंच कर दिया गया, जहां चार इंच थे उनको तीन इंच कर दिया गया और कमांड एरिया अधिक बढ़ाया जा रहा है । जैसा मैंने अर्ज किया यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि आपकी आबपाशी की योजना से फसल को पूरा लाभ हुआ या नहीं हुआ । जब आप यह गारन्टी नहीं करते अगर फसल को नुकसान पहुंचे तो वह सरकार की जिम्मेदारी होगी । कोई वजह समझ में नहीं आती कि फिर सरकार यह कैसे कर सकती है कि वहां एक दफा पानी दिया और उस पानी से वह फसल बो दी गयी और फिर पानी न मिलने से सूखकर वह फसल बर्बाद हो गयी इसलिये नया कर लगाये । इस प्रकार उस पानी की सुविधा से बजाय लाभ के बीज का नुकसान हुआ, किसान की मेहनत का नुकसान हुआ और वह कोई पैदावार भी उससे नहीं ले सका । तो मैं समझता हूं कि जहां तक आबपाशी की जमीनों पर कर लगाने की बात है वह बहुत कठिन समस्या है । मैं यह नहीं कहता कि टैक्स न लगाये जायं क्योंकि नयी योजनायें तभी चालू हो सकती हैं जब टैक्स लगाये जायं । इसका अच्छा तरीका वही हो सकता है जैसा मैंने अर्ज किया कि हमारी सरकार ने पहले एक ऐग्रीकलचरल इनकम टैक्स (कृषि-आय-कर) लगाया था और उसमें यह रखा गया था कि ५० एकड़ तक जिस की जमीन खुदकाश्त में है उससे टैक्स नहीं लिया जायगा और उससे जिसके पास अधिक जमीन है उससे टैक्स अधिक लिया जायगा । इसी किस्म से इस सिद्धांत के मातहत कि हमारी कौम की सम्पत्ति का बटवारा ठीक ढंग से हो जाय, यह सरकार को तय करना पड़ेगा कि जो छोटे काश्तकार हैं, जो थोड़ी मालगुजारी देते हैं उनपर कतई मालगुजारी माफ़ होगी और जिनके पास अधिक और अच्छी जमीनें हैं उन पर ज्यादा मालगुजारी बढ़ा दी जायगी । इस सिद्धांत को अपनाने के साथ साथ मैं समझता हूं कि जमीनों के साथ और जगह भी इसी सिद्धांत को लागू करने की चेष्टा करनी चाहिये ।

सेल्स टैक्स (बिक्री-कर) की बात कही गयी है । मैं समझता हूं कि जहां तक दूकान-दारों का संबंध है, उनका कोई वास्ता सेल्स टैक्स से नहीं है । वे तो केवल एक मुनीम का

[श्री फतेह सिंह राणा]

काम करने वाले हैं । आज जनता पर ही सेल्स टैक्स का भार पड़ता है और उसको फिर बढ़ाना और आम जनता के ऊपर उसका भार डालना यह उचित नहीं जान पड़ता है, बल्कि उचित यही होगा कि जो लग्जरी (विलासिता) की चीजें हैं, जो ऐश करने वाला सामान है, जिनका अमीर या अच्छे खाते पीते आदमी इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं पर अधिक टैक्स होना चाहिये । आम टैक्स का लागू करना, मैं समझता हूं, आम जनता पर और भार बढ़ाना होगा । खेती करने वाले या ग्रामीण जनता पर यों ही काफी टैक्स लगे हैं, पंचायत के टैक्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स हैं, इसी प्रकार यदि आप मालगुजारी, आबपाशी, सरचाजज (विशेष-कर) और दूसरे आइटम्स (मदों) को एक एक करके देखें तो आपको मालूम होगा कि जहांतक टैक्सों का संबंध है वे अधिक से ज्यादा उन पर लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरकार यह उचित समझती है खेती करने वालों पर या आबपाशी करने वालों पर टैक्स और अधिक बढ़ाया जाय तो उसका तरीका यह होना चाहिये कि जिसके पास अधिक सम्पत्ति है, जिसके पास अधिक जायदाद है, जो ज्यादा आबपाशी करता है उस पर अधिक टैक्स हो और जिस की कम सम्पत्ति है और जो बहुत कम आबपाशी करता है उस पर कतई टैक्स माफ कर दिया जाय ।

अब जो और नई योजनायें हमारे बजट के संबंध में रखी गयी हैं उनके संबंध में मुझे अर्ज करना है । जहां तक योजनाओं का संबंध है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कुछ बनेंगे । निहायत अच्छी चीज है । मगर मुझे डर है कि कहीं जिस तरह से ग्रो मोर फूड स्कीम (अधिक अन्न उपजाओ योजना) के मातहत एक नया महकमा मैसोनरी वेल्स (पक्के कुये) का खोला गया था, खासकर पश्चिमी जिलों के लिये, जो बेकार था और आखिर में सरकार की समझ में आया और मुद्दत तक कहने के बाद उस महकमे को खत्म किया गया । तो कहीं इन प्रोजेक्ट्स (योजनायें) में भी नये महकमे और नये आदमियों को रख कर सरकार अपने खर्चे का अधिक भाग उनकी तनख्वाहों पर ही न खर्च कर दे । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जहां तक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, पंच-वर्षीय योजना का संबंध है या और जितनी नई योजनायें हैं उनका संबंध है, उनका तरीका एक होना चाहिये कि उनका सीधा संबंध जनता से हो । अगर वह किसानों की संबंध की चीज है तो उसको एक्जीक्यूट (निष्पादन) करने वाले किसान होने चाहियें । जो आफिशियल्स (कर्मचारी) हैं उनको सिर्फ टेक्निकल एडवाइस (प्राविधिक परामर्श) देना चाहिये एक दोस्त के तरीके से कि इस तरीके से यह काम करना है । जहां उस पर रुपया खर्च होने का संबंध है वह सब जनता के ही मार्फत होना चाहिये । एक्जीक्यूशन जो आफिशियल्स के मातहत होता है मैं समझता हूं कि इसमें बहुत खामी रह जाती है और जो रकम उस पर खर्च की जाती है वह ठीक ढंग से जनता के पास नहीं पहुंचती है । कहने के लिये तो आमतौर से कहा जाता है कि जनता के सहयोग के बगैर कोई स्कीम नहीं चलेगी, यह भी कहा जाता है कि जनता में अगर उत्साह नहीं होगा तो ये योजनायें कामियाब नहीं होंगी । लेकिन वह जोश पैदा कैसे होगा ? मैं माफी चाहता हूं अगर मैं यह कहूं कि जहां तक कुछ आफिशियल्स का ताल्लुक है, कुछ नहीं बल्कि अधिकांश ऐसे वर्ग से आते हैं, ऐसे वातावरण में पले हुये होते हैं जो जनता की तकलीफों का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं । मैं यह नहीं कहता कि उनकी नियत में खराबी है, बल्कि मैं यह समझता हूं कि वे ईमानदारी से अगर अनुभव करना भी चाहें तो भी वे नहीं समझ पाते कि जनता की क्या तकलीफें हैं । तो जब वे यह नहीं समझ पाते तो उनको दूर करने का क्या तरीका होगा यह उनकी समझ में आना असम्भव है । इसलिये सब से आसान तरीका जो है वह यह है कि वे जनता में पले हुये हों ताकि वे ठीक ढंग से उनकी दिक्कतों को समझ सकें और उनको दूर करने में हमदर्द हों । इसका इलाज मैं समझता हूं कि जहां तक सर्विसेज (सेवाओं) में भर्ती का संबंध है वह बदलना चाहिये और यह उसूल रखना चाहिये कि वे जनता के पले हुए आदमी हैं ।

एक बात मुझे और अर्ज करनी है । जहां तक खेती करनेवालों पर टैक्स का संबंध है मैं समझता हूं कि अब उसे उल्टे सरकार को सोचना होगा और वह इसलिये कि क़ीमतें जो खेतों की पैदावार की हैं वे नीचे जाना शुरू हो गयी हैं । जैसे गुड़ का भाव फसल में १६ रुपये मन था पर अब १२ रुपया मन है । सरकार को इस ओर ध्यान करना है । मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से गुड़ की क़ीमत ऊपर उठाने के लिये काफी कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे । मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक हमारे सूबे की गवर्नमेंट की बात है वह ऐसी है कि इसका संबंध केन्द्र से है उससे बचने की चेष्टा नहीं कर सकती है बल्कि केन्द्रीय सरकार और सूबे की सरकार को मिल कर ऐसी बातों की ओर अवश्य ध्यान देना होगा ।

श्री जटाशंकर शुक्ल (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि १५ मिनट के बजाय १० मिनट कर दिये जायं ताकि अधिक से अधिक सदस्य अपने विचार आपके सामने रख सकें ।

उपाध्यक्ष—यदि भवन की अनुमति हो तो ऐसा हो जाना मुनासिब ही होगा । मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि सदन के बहुत से महानुभावों को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है । इसलिये जितना ज्यादा सदस्य बोल सकें उतना ही अच्छा है ।

श्री सुल्तान आलम खां—(जिला फर्रुखाबाद)—इधर के लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत मिल गई है इसलिये मैं बोल लूं । इसके बाद फैसला हो जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता मिलने के बाद, पहले चुनाव के बाद आज पहला बजट हमारे सामने पेश हुआ है । जहां तक योजनाओं का सवाल है हमारे बहुत से भाई बोल चुके हैं लेकिन जहां तक टैक्सेशन का सवाल है उस पर मैं कुछ भवन के सामने कहना चाहता हूं । हमारे भाई श्री खूबसिंह जी ने कहा कि यह बजट बहुत ही सुन्दर और खूब सूरत है । मुझे पता नहीं कि सुन्दर और खूबसूरत की क्या व्याख्या होती है । लेकिन मंत्री माननीय वित्त ने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं वह अवश्य सुन्दर हैं । उन्होंने कहा है कि यह बजट किसानों और मजदूरों का है । अवश्य यह किसानों और मजदूरों का है क्योंकि इसके पास होते ही हमारे गांवों में जो बसने वाले हैं और जो लोग मोटरों पर चलते हैं और शहरों में जो लोग रोडवेज की बसेज पर जाते हैं और जो अब तक छै पैसे में जाते थे वे अब दो आने में जायेंगे । तब उन्हें पता चलेगा कि हमारी स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव का पहला यह बजट है और उसी का यह इनाम मिला है । जो चीजें बेची जायंगी उन पर सेल्स टैक्स लगेगा तो लोगों को मालूम होगा । मैं बिहार में गया तो एक दूकान पर बैठकर मैंने चाय पी । उसने मुझे एक छोटा सा काग़ज़ का टुकड़ा दिया । उस पर लिखा था कि दो आने की चाय और दो पैसे सेल्स टैक्स के । मैंने कहा कि चाय पर भी टैक्स हो गया । उसने कहा जी हां, सरकार का हुक्म । यह चीज यहां भी होने वाली है । दुकानदार वैसे ही इस टैक्स से बहुत परेशान हैं और जब यह चीज आयगी तो वह गवर्नमेंट की बदनामी करेंगे । इस तरह से जितने टैक्स लगे वह सब किसानों के ऊपर लगे, मजदूरों के ऊपर लगे। परन्तु अफसोस इस बात का है कि सब ने माननीय वित्त मंत्री को बधाई दी । हमारे माननीय परिपूर्णानन्द जी से माननीय वित्त मंत्री ने पूछा ही नहीं । नहीं तो वह कुछ और बतला देते । शायद वह यह भी कहते कि हवा के ऊपर टैक्स लगा दो । जब लोग हवा में सांस लें तो उन पर टैक्स पड़ जाय । क्योंकि वह उसी एटमासिफियर (वातावरण) में हैं ।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो उस समय हमारे मित्र परिपूर्णानन्द जी मखमल के स्प्रिंगदार गद्दों पर बैठ कर कैपीटेलिस्ट्स (पूंजीपतियों) का बजट देखते थे और देखते थे कि कैसे उनको रुपया ज्यादा मिले।

श्री रामस्वरूप गुप्त--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं।) यह जो पर्सनल (व्यक्तिगत) आक्षेप हमारे वक्ता महोदय कर रहे हैं क्या उनको इसकी इजाजत है ? यह क्या पार्लियामेंटरी (संसदीय) है ?

उपाध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि माननीय सदस्य को किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा आक्षेप न करना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--न मैंने कोई आक्षेप किया है। मैं तो उनकी काबिलियत का बयान कर रहा हूं और यह चाहता हूं कि जब जनवरी, फरवरी में नया बजट आये तो उनकी राय ली जाय ताकि जो कसर बाकी रह गयी है वह भी पूरी हो जाय। यही कहने के लिये आपके सामने आया हूं। यह सवाल किसान मजदूरों का है। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हमारे विरोधी भाई छोड़ गये। सबसे पहले वे टैक्सेशन के विषयों पर चले जाते थे, जिससे और सब बात छूट गयीं।

ट्रान्सपोर्ट विभाग हमारे यहां सब से बड़ा विभाग है जिसमें इस हुकूमत ने सवा तीन करोड़ रुपया इंवेस्ट कर रखा है। इस बिजनेस के बारे में सदन में कुछ नहीं कहा गया। मुझे खुशी है कि हाल ही में जब हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर (परिवाहन मंत्री) साहब इधर उधर गये तो उन्होंने रोडवेज के काम को देखा। उनके साथ बड़े बड़े आफिसर्स नजर आते थे। इस पांच ऐसे लोग भी होते थे जो कहते थे हां हुजूर बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है। मैं अपने ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से कहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट में बहुत खराबियां हैं। ट्रान्सपोर्ट की एक एक बात मैं उनको बतलाऊंगा जब ट्रान्सपोर्ट का आइटम आयेगा।

एक आवाज--आप यही काम तो करते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं जानता हूं। इसलिये कहता हूं कि मैं इस काम में माहिर हूं और इसी लिये इसमें ज्यादा बातें करूंगा। हमारे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब यह आश्वासन दें कि जो सुझाव मैं उनको दूंगा वह उसको मान लेंगे तो ट्रान्सपोर्ट का महकमा सम्भल जायगा और अगले साल का बजट जब पेश होगा तो ट्रान्सपोर्ट विभाग साफ रहेगा। यह बिजनेस लाइन पर चलेगा और जनता को भी सुविधा होगी। यह इन्हीं दो चीजों के लिये बनाया भी गया था। जनता को सुविधा और प्रान्त में कुछ रुपया भी आये। दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। कैसे इसे दुरुस्त किया जाय यह मैं आपको बाद में बतलाऊंगा।

कुछ हमारे बीच में कंट्रोल्स की बातें आयीं। कंट्रोल डिकंट्रोल हुआ। अन्त में एक हवा डिकंट्रोल की फैल गयी। उसका क्या नतीजा होगा मैं नहीं कह सकता। पब्लिक चाहती थी कि किसी तरह से कंट्रोल की बला हट जाय, वह हटी लेकिन मुझे डर है कहीं थोड़े दिनों के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया से सबसिडी (राज्य-सहायता) बन्द होने पर जो राशन की दुकानों पर गरीबों को चावल और आटा मिल रहा है वह भी बन्द न हो जाय। इसलिये मैं खाद्य मंत्री से कहूंगा कि वह इस बात को भी नजर में रखलें। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सबसिडी बन्द कर दी तो वह यह न कहें कि हम क्या करें अगर क़ीमतें बढ़ गईं। उसका बहुत बुरा असर हमारे प्रांत पर पड़ेगा। ऐसी सूरत में हम सत्याग्रह करेंगे जैसा बम्बई में हुआ।

हमारे भाई परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि कोई सुझाव बतलाओ। मैं सुझाव देता हूं कोई मानने को भी तैयार है ? हमारी तराई के अन्दर हमारे भाइयों ने बतलाया कि जमीन खाली पड़ी हुई है, मिलती नहीं है। एक नया कालोनाइजेशन (उपनिवेशन) विभाग खोला गया।

है । उन्होंने हमारी ३० हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है । पता नहीं किसके लिये उसको रख छोड़ा है । हमने ५ हजार अर्जियां भेजी हैं। हमने कहा जमीन हमको दे दी जाय । जिनके पास जमीन नहीं है वे उसको खो देंगे लेकिन कानों पर जूं नहीं रेंगती । कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन से कहता हूं, इस सरकार से कहता हूं कि वह जमीन हमको दे दी जाय । हम बहुत सी समस्यायें उससे हल करेंगे । बेकारी को दूर करेंगे । हजारों नौजवान जो हाई स्कूल , मिडिल पास करते हैं और नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं उनको हम काम देंगे । उस जमीन पर कब्जा करने के लिये हम इस हुकूमत के दरवाजे खटखटायेंगे । अगर यहां सुनवाई न हुई तो दिल्ली जा कर जवाहरलाल जी के दरवाजे खटखटायेंगे । लड़कों को ले जायेंगे बिला टिकट जायेंगे और धरना देंगे कि हम काम चाहते हैं । तुम्हारे ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुये हैं, तराई में जो जमीन पड़ी हुई है उसको हमें दे दी जाय, रुपया चाहे हमें खाने को न दो, एक बैरिक में खाने का इंतजाम कर दो । एक साल में सारा रुपया हम वापस कर देंगे और मुल्क में ज्यादा अन्न पैदा करके दिखलायेंगे । लेकिन यह हमारी स्कीम गवर्नमेंट स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । अगर हम उस जमीन को ले लेते हैं तो एक साल के अन्दर उस जमीन को खोद डालेंगे । सब सामान हमारे पास है । लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम लोग पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास देने के लिये पैसा नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारी हुकूमत इस बात पर ग़ौर करे ।

अब सवाल आता है कोआपरेशन (सहयोग) का । सभी कहते हैं कि सहयोग करो सभी कामों में चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। मैं आप से कहता हूं कि हम लोग यहां पर विरोध करने के लिये ही नहीं आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हकूमत आपकी है और आप ५ साल तक यह हकूमत करेंगे, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं । लेकिन बताइये किस तरह से आपके साथ चलें । अगर आपके स्वागत में फाटक बनें और गले में बड़ी बड़ी फूल की मालायें डाली जायं और आप इसको ही सहयोग समझते हों तो यह तो हम लोग करने वाले नहीं हैं। आप कोई क़दम उठाइये उसमें हम आपका साथ देंगे । हमारे ज़िले के अन्दर भी सुना है कि एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट की स्कीम है । मुझसे तो बात करते हुये वहां पर लोगों को डर लगता है क्यों कि मेरे सर पर यह लाल टोपी है । उनको डर लगता है कि कहीं दूसरे कांग्रेसी एम० एल० ए० बदली न करवा दें क्योंकि वहां की ठंढी हवा उनको लग गई है । लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कोई अफसर वहां पर गये थे और उन्होंने यह फैसला भी कर लिया है कि किस जगह पर वह बनेगा । कहीं पर भी बने मुझे इस बात का मलाल नहीं है लेकिन काम अच्छा होना चाहिये । मैं तो यह चहता हूं कि लाखों रुपया बरबाद न हो जाय और तरक्की के काम में लगने के बजाय यह रुपया गढ़े ही में न चला जाय । हम लोग तो बराबर सहयोग करने के लिये तैयार हैं लेकिन कोई काम भी तो ऐसा हो जिसमें हम कुछ करके दिखा सकें । खाली मुंह जबानी बात करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है ।

वित्त मंत्री जी ने सेल्फ हेल्प (स्वावलम्बन) की स्कीम को रखा है । गढवाल में आप जाइये वहां पर आप देखेंगे कि दो तिहाई की स्कीम पर कितना काम हो चुका है और कितने सड़कें तैयार हो चुकी हैं। मैं तो यह आप से निवेदन करता हूं कि आप इस चीज को तय कर लें कि जहां पर लोग खुद काम करने के लिये तैयार हों वहां पर आप अपनी मदद दीजिये और वहीं पर पैसा दीजिये तो आपको खुद मालूम हो जायगा कि वहां पर लोग ज्यादा तादाद में काम करने के लिये तैयार हैं और वहीं पर पैसा दिया जाय और जगह पर न दिया जाय । अभी मैंने चन्द्रसिंह जी की स्पीच भी सुनी । मुझे अफसोस है कि वह इस तरह की टोन तो जरूर दिखलाते हैं कि इस तरह से होना चाहिये और उस तरह से होना चाहिये लेकिन वह चीज कार्यरूप में परिणत नहीं दिखाई देती है । मुझे मालूम है वह जनता के सामने भी इसी तरह से बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इस तरह से नहीं बोला जायगा तो वह उनको

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

यहां पर नहीं आने देगी । भूपाल सिंह जी ने भी बताया सब ने बताया कि यह हो सकता है । मैं भी कहता हूं कि हमारे यहां फल पैदा होते हैं और हमारा जिला उत्तर प्रदेश का स्विटजरलैंड हो सकता है । अभी पिछले दफा जवाहरलाल जी जब रानीखेत आये तो उन्होंने भी कहा कि यह हिन्दुस्तान का स्विटजरलैंड हो सकता है लेकिन क्या इस तस्वीर पर भी स्विटजरलैंड हो जायगा ? हमारे गवर्नर साहब गये उन्होंने भी यही कहा कि यह हमारे देश का स्विटजरलैंड बन सकता है लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर कोई भी इंडस्ट्री (उद्योग) नहीं है । एक इंडस्ट्री तो जरूर है और वह है बरतन मलने के लिये नौकर पैदा करना । आज हमारे यहां टरपेन्टायन की इंडस्ट्री हो सकती है , फल की इंडस्ट्री हो सकती है, चमड़े की इंडस्ट्री हो सकती है लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है । तो फिर आप कैसे कोआपरेशन चाहते हैं । मैं तो यह कह सकता हूं कि आप के जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें सब से ज्यादा राटन डिपार्टमेंट (सड़ा हुआ विभाग) यह कोआपरेटिव का है । हमारे यहां ये आटा चावल की दुकान का काम करते हैं । अब राशन हट गया है । वहां पर बैठे हुये हैं और जितना शेयर का रुपया है उसको तीन-चार महीने तक खायेंगे क्योंकि उनके पास अब कोई काम नहीं है । मैंने एक कोआपरेटिव सोसाइटी डेवलपमेंट के बनाने के लिये डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव अफसर के यहां दरख्वास्त दी । अभी तक उन महाशय ने एकनालेजमेंट (प्राप्ति की स्वीकृति) नहीं दिया है । नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया या कुछ नहीं भी किया । मैं कोआपरेटिव सोसाइटीज का बनाना ही नहीं देखना चाहता हूं बल्कि मुझे तो आशा है कि हमारे मंत्री जो कोआपरेटिव के चार्ज में हैं वह एक मिशनरी स्पिरिट (सेवा भाव) के आदमी हैं और वह जरूर इनको अच्छी तरह से चलावेंगे ।

कोआपरेटिव कामनवेल्थ बनाने की बात कही गयी । महज कह देने से उसकी जड़ नहीं जमाई जा सकती । पुरानी बात को जाने दीजिये अंग्रेजों के साथ गई और कुछ पिछले सालों में आपने जो कुछ किया वह तो हुआ लेकिन अब देश की एनर्जी (शक्ति) जो खराब जा रही है उसको हमें संचित करके काम में लाना है और तभी देश का फायदा हो सकता है । इसलिये मैं आपके द्वारा इस सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं और हमारी पार्टी सब भले कामों में आपका और इस सरकार का साथ देगी, लेकिन खराब कामों में मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हम कोई सहयोग देने को तैयार नहीं हैं और जिस बात में जनता का फायदा देखेंगे उसको यहां भी हम कहेंगे और यहां से बाहर भी कहेंगे । पहाड़ से जो लोग आये उन्होंने अपने पहाड़ी इलाके के बारे में कुछ ढीले शब्दों में कहा लेकिन मैं तो उन शब्दों को ढीलेपन से प्रयोग नहीं कर सकता । मैं तो जोर के साथ कहता हूं कि हम भी कांग्रेस में रह कर बड़े पद को पा सकते थे लेकिन मैंने कांग्रेस को इसलिये छोड़ा कि हमारे यहां के लोग कांग्रेस को नहीं चाहते । लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी भी पहाड़ के हैं वह तो राजा हैं और पहाड़ी लोगों का राज है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश में सबसे खराब व ग़रीब इलाक़ा पहाड़ का है ।

(इस समय ४ बज कर १५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि हम आपके सहयोग हर अच्छे काम में देने को तैयार है लेकिन किसी भी ग़लत काम में आप हमारा और हमारी पार्टी का सहयोग नहीं पा सकते हैं, यह मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं । इस समय १५ मिनट का समय था वह खत्म हो गया है अब फिर हर आइटम पर मैं कुछ न कुछ कहूंगा, अगर आगे मौका मिला । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यावाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पहली बार उपस्थित हुआ हूं कि यह जो बजट है उसके विषय में मैं कुछ कहूं । बजट को

देखने से पढ़ने से और सुनने से मालूम होता है कि हमारा जो समाज पिछड़ा हुआ है उसके साथ वित्त मंत्री जी ने काफी सहानुभूति दिखलाई है। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी कहना पड़ता है कि जब एक मोर बड़े जंगल में नाचता है तो वह खुश होता है लेकिन जब वह अपने पैरों की तरफ देखता है तो वह रो उठता है। जितनी स्कीमें दिखलाई गयी हैं उनसे मालूम होता है कि कितने सुधार किये गये हैं। इस बजट में हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिये जो कुछ रखा गया है मैं उसको देख कर खुशी मनाता हूं लेकिन सरकार ने जिस योजना को चलाया है वह योजना मैं समझता हूं कि सन् १९४७ से चल रही है। यह योजना सबसे पहले सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट (सामाजिक नियोग्यता अधिनियम) के द्वारा आयी थी और कहा था कि इसको लागू करने के लिये सरकार अपनी पूरी शक्ति लगावेगी। लेकिन आज तक अभी कोई ऐसा सुधार नहीं हो सका है और कोई कानून ऐसा नहीं लागू हुआ है जो समाज और दलित समाज के लिये लाभदायक होता।

आज हम देखते हैं कि हमारे लड़कों को जो स्कालरशिप (छात्रवृत्ति) और किताबें वग़ैरह दी जाती हैं उनसे उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिये, क्योंकि वह सहायता कभी समय पर नहीं पहुंच पाती और इस तरह से तो वह और भी दुःखदायी हो जाती है। आज इस हालत में जो हरिजन सहायक बोर्ड हैं उनके द्वारा यह छात्रवृत्ति वग़ैरा जल्द से जल्द मिलना चाहिये लेकिन मैं आपको अपने ज़िले की परिस्थिति बतलाना चाहता हूं कि आज साल भर हुआ लेकिन किसी के पास न किताबें हैं और न उनके पास वज़ीफे ही पहुंचे हैं। ऐसी हालत में इस तरह की सहायता से हमें कोई लाभ नहीं है। गवर्नमेंट तो हमारे लिये सब कुछ करना चाहती है लेकिन जितने अधिकारी हैं वह हमारी तरफ से निगाह हटा कर बैठे हैं। सरकार जितना अपलिफ्ट (उत्थान) हम लोगों को देना चाहती है, उतना हमें नहीं मिल पाता है।

उन भावनाओं के साथ साथ वे अपनी भावनाओं से हमको दबाना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब तक आप ऐसी भावनाओं को उनके दिमाग से नहीं हटावेंगे तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। आज मैं आपको काटेज इंडस्ट्रीज (कुटीर उद्योगों) के बारे में बतलाऊं कि हमारा समाज काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में कितना पिछड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इतना पीछे और कोई नहीं होगा। जब आपने हमारे समाज को उठाने का वादा किया है और आप प्रगतिशील हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि क्यों फिर हम लोग आगे न बढ़ें। हमारे लिये टैनरी (चर्मशोधनालय) और मुर्दा मवेशियों के उठाने की योजनायें बनाई गई थीं, लेकिन वहां हमारे लिये कोई भी काम नहीं हुआ। यह चाहा गया था कि अछूत चमड़ा उतारने का काम अच्छी तरह से सीखें और ५० हजार रुपया साल खर्च के लिये रखा गया था लेकिन एक वकील जो वहां का सुपर-वाइजर होता है, वह जाकर उन लोगों को यह सिखलाता है कि चमड़ा किस तरह से अच्छी तरह उतारा जाय। वह हमेशा अपने झूठे टूअर (दौरा) दिखा कर सरकार को धोखा देता रहा। मैंने इसके बारे में अपने भूतपूर्व मेम्बर श्री शिवदान सिंह जी से यहां सवालात भी कराये थे वह अब भी सदस्य हैं। लेकिन नहीं मालूम किस तरह उन सवालों को स्थगित कर दिया गया। मैंने मुख्य मंत्री जी के पास भी उनकी खबर पहुंचाई थी, तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनको उठाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। अगर ५० हजार रुपया ठीक तरह से एक जिले में खर्च किया जाय तो मैं तो समझता हूं कि वह जिला स्वर्ग बनाया जा सकता है और जनता को हर तरह से टैक्निकल (शिल्प) स्कूलों से तथा और तरीकों से भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वह रुपया हमेशा कागजी कार्यवाहियों में ही खर्च किया गया।

रिजर्वेशन (सुरक्षण) का सवाल जब आता है तो हमारे लिये १० प्रतिशत रखा गया है। लेकिन सन् ४७ से लेकर आज तक किसी भी डिपार्टमेंट में १० परसेंट पूरा नहीं हुआ है। हमारे अलीगढ़ में कलेक्टरेट में या पी० डब्लू० डी० और अन्य महकमे में एक भी आदमी नहीं लिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जल्द से जल्द १० परसेंट हमारा रिजर्वेशन (सुरक्षण) पूरा करे। इसी तरह हमारा उत्थान हो सकता है।

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज (नियोजन संस्था) की बात मैं आप को बतलाऊं कि यह डिपार्टमेंट आपने बिलकुल बेकार का खोला है। इस पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है उससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट वाले स्वयं अपने यहां के लिये लोग छांट लेते हैं। पहले भी ऐसा ही होता था देखा यह जाता है कि वे लोग चौराहों पर जाते हैं और दो, चार मजदूरों के नाम नोट कर लाये और सरकार को दिखला दिया कि हमने बहुत काम किया है। हमारे यहां के दो लड़कों ने मैट्रिक पास किया था लेकिन आज तक उनको कहीं नहीं लगाया गया है। जमींदारी विनाश के लिये लोग लिये जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की चिट्ठी जो ए० एफ० ब सिलसिले में यह जाती है कि बगैर तजुर्बे के लोग न लिये जायं। हमारे यहां कोई ऐसा एक्सपीरियन्स्ड (अनुभवी) नहीं है। तो मैं नहीं समझ सकता कि कैसे १० फीसदी आदमी लिये जायंगे। क्रिमिनल ट्राइब्स (अपराधी जातियों) के साथ अन्याय होता है। आज भी उन्हें थानों के या चौकियों के सामने रखा जाता है और दिन भर उनसे मेहनत ली जाती है और रात को मर्दों को थाने में और औरतों को घर पर अलग-अलग रखा जाता है। तो उनकी हालत चकवा चकई की सी हो जाती है।

इलैक्ट्रिक (विद्युत) का सवाल है। हमारे जिले में एक बिजली कम्पनी है। मैं समझता हूं कि अपने यहां अगर बिजली पैदा की जाय तो वहां जो दो स्टेनबाई प्लांट पड़े हैं उनसे रोजाना २०० कीलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन उसको दिखावटी तौर पर बना रखा है। उसको कभी भी देखा नहीं जाता और जितना रुपया वहां लगा हुआ है वह सब व्यर्थ जा रहा है जिससे हमारे यहां काफी पावर पैदा की जा सकती है।

इसी तरह से कासिमपुर में जो बिजलीघर है वहां पर एक कंट्रेक्टर है। वहां भी बहुत ज्यादा धांधली मची हुई है। बहुत सा कोयला गायब कर दिया गया और जब मालूम हुआ तो वह कोयला नहर में डलवा दिया गया। अभी तक वह कोयला नहर ही में पड़ा हुआ है। तो ऐसी हालत में जब हम इस बजट को देखते हैं तो मालूम होता है कि जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने इस बजट से बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन देहात में किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर किसानों का फायदा हो तो मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि वह और ज्यादा टैक्स लगा सकती है। लेकिन हम देखते हैं वे लगान भी देते हैं और आबपाशी भी लेकिन उनको टाइम से पानी भी नहीं मिलता। अगर उनको पानी भी टाइम से मिल जाय तो काफी है। हमारे यहां ट्यूबवेल बने हुये हैं लेकिन आज न जाने क्यों उनके लिये कापर वायर (तांबे का तार) ही सरकार के पास नहीं है और उनकी वजह से ट्यूबवेल्स बेकार पड़े हुये हैं। यहां पर बूंदें पड़ी हुई हैं लेकिन मेरे खैर के इलाके में नहीं पड़ी हैं ऐसी हालत में किसान क्या कह सकता है, उसके लिये ऐसी हालत में भी कापर वायर नहीं है।

आम पुलिस डिपार्टमेंट भी है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी सरकार ने रखे हैं लेकिन फिर भी बहुत से केसेज (मुकदमें) ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती। नतीजा यह होता है कि गवर्नमेंट का केसेज के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत से केसेज तो दो दो साल से पड़े हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जुडिशियल आफिसर्स और आनरेरी मैजिस्ट्रेट का बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा हुआ है उनके लिये बैठने को जगह भी नहीं है। एक तरफ बजट को देखते हुये जब हम इस खर्चे को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह बजट हमारे हित के लिये है जब अमल में लाया जाता है तो वह आफिसरों के फायदे का होता है।

मैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में क्या कहूं। हमारे माननीय मंत्री जी भी वहीं के रहने वाले हैं। उनको भी वहां का काफी ज्ञान है। वहां की कैसी बुरी हालत है।

हरिजनों के बारे में मैं जानता हूं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है उनके बारे में सरकार काफी प्रयत्नशील है लेकिन अफसोस है कि यहां जो स्कीम चालू की जाती है, चाहे हरिजन सहायक आफीसर रखा जाता हो, या बोर्ड मुकर्रर किया जाता हो, किसी से भी कोई फायदा नहीं हो पाता। किसी हरिजन अधिकारी को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वह हरिजनों का उत्थान कर सके। वेलफेयर सुपरवाइजर नियुक्त हुये लेकिन उन्हों ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी कि गवर्नमेंट को हरिजनों के बारे में क्या एक्शन [कार्यवाही] लेना चाहिये। अगर गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट दी भी जाती है तो उस पर कोई ऐक्शन दिखायी नहीं देता।

एक डिपार्टमेंट और है जिस पर गवर्नमेंट का काफी रुपया खर्च हो रहा है। वह प्रांतीय रक्षा दल है। लेकिन उसकी हालत है कि यह अभी तक थानों में लोगों को रिपोर्ट लिखाने के लिये कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। तो ऐसे थाना औरगनाइजर या रक्षकदल का रखना फिजूल है। जब तक ऐसी हालत है इस बजट से कोई फायदा नहीं हो सकता।

दूसरी बात लाइसेंस की बाबत कहनी है। बिजनेस में लाइसेंसिंग की बिना पर कंट्रोल है। उसमें एक कैद यह लगा दी गयी है कि जिसने सन् ४० से पहले काम किया है या किसी भी तरह से पहले लाइसेंस होल्डर रहा हो उसी को बिजनेस करने की इजाजत मिलेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमें एक समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है तो फिर यह कैद लगाने की क्या जरूरत है। अगर यह कैद नहीं हटायी गई तो हमारा समाज पीछे रह जायगा और वह आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि जो हमेशा से काम करने वाले रहे हैं वही उस काम को करते रहेंगे तो हम लोग जरूर पीछे रह जायेंगे।

मैं देखता हूं कि जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या टाउन एरिया कमेटीज़ हैं और जहां हमारे भी मेम्बर हैं वहां पर आज तक उनको बहुत काफी इम्दाद मिलती है लेकिन वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से स्कूल वगैरह खोले जाते हैं उससे हमारे कंडीडेट्स (अभ्यर्थी) किसी न किसी तरह से वहां से हटा दिये जाते हैं उससे उन लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से उससे सभी चुनाओं में हमारे कंडीडेट्स के लिये रिजर्वेशन रखा है उसी तरह से सर्विसेज में भी रिजर्वेशन कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। सरकार ने जिस तरह से अछूतोद्धार के लिये, समाज का सुधार करने के लिये, समाज को ऊपर उठाने के लिये डाइरेक्ट कदम उठाया है और सन् १९४७ से जो एलेक्शन में रिजर्वेशन हमें दे दिया है उसी तरह से सर्विसेज में भी हो जाने से समाज को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके लिये हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।

श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई देते हैं। जब कि यह घाटे का बजट है तो इस का अर्थ ही यह होता है कि यह किसानों और मजदूरों का बजट है, क्योंकि इसमें प्रयत्न इस बात का किया गया है कि जहां तक हो सके हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट का कोई काम न रुके और सेल्स-टैक्स या इंटरटेनमेंट टैक्स (मनोरंजन कर) या डेवेलपमेंट लेवी (उत्थान कर) या बाहर से ही एड (सहायता) लेकर वह रुपया पूरा किया जाय लेकिन डेवेलपमेंट का काम न रुके। मैं समझता हूं कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग (घाटे का बजट) हमारे प्रदेश के लिये चार वर्ष के लिये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बजट में पंच वर्षीय योजना का प्रबंध किया गया है। पारसाल जो बजट हमारे सामने पेश हुआ था उसमें भी १७ करोड़ रुपया पूंजी व्यय के लिये था लेकिन उस १७ करोड़ के अतिरिक्त जो राजस्व आय थी उससे यह नहीं प्रतीत होता कि कोई भी प्रयत्न हमारे प्रदेश में इस तरह का किया गया है जिससे हमारी राजस्व आय ज्यादा हो वह बढ़े और उससे हम अपना काम पूरा कर सकें। तो इस मर्तबा यह डेफिसिट ५ वर्ष फाइनेंसिंग बजट, जो है वह इसलिए कि हमारे पंजवर्षीय योजना में दिया हुआ है कि हर प्रदेश को तक डेफिसिट फाइनेंसिंग करना होगा और इसलिये यह जरूरी हो गया है कि हम इसे डिफिसिट फाइनेंसिंग करें। पंचवर्षीय योजना के लिये नेशनल प्लानिंग कमीशन ने जो एडवाइस (परामर्श)

[श्री कालिका सिंह]

किया है उसे विरोधी दल के लोग भी मान ही सकते हैं। ऐसी हालत में प्लानिंग कमीशन ने डेफिसिट फाइनेंसिंग करके २१३ करोड़ रुपया रखा है क्योंकि भारत के जितने स्टेट्स हैं उनको पांच वर्ष में किसी न किसी तरह से २१३ करोड़ रुपया प्राप्त करना है और हमारे इस प्रदेश को पांच वर्ष में ९१ करोड़ रुपया खर्च करना है। उसके लिये हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रयत्न किया है कि कुछ टैक्स बढ़ा कर या कुछ लोन (ऋण) लेकर या पब्लिक एकाउंट से या और किसी फंड (कोष) से लोन लेकर इस काम को करें।

मार्च, ५२ में जो बजट पेश हुआ था उसमें डेफिसिट (कमी) सिर्फ ४७ लाख का था लेकिन बजट में ४ करोड़ २४ लाख का घाटा है। जो नई मदें व्यय की इसमें रखी गई हैं उनका कुल टोटल ७ करोड़ २२ लाख ७५ हजार रुपये हैं और यह न्यू आइटम्स आफ एक्सपेन्डीचर (व्यय की नई मद) हैं। इसको इसमें किसी न किसी तरह लाना ही था। इसमें २ करोड़ २० लाख ९२ हजार ५ सौ रुपये फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) के यानी जो प्लानिंग कमीशन की सलाह से है उसके मुताबिक हैं और ५ करोड़ १ लाख १५ हजार रुपये साधारण व्यय जो साधारण डेवेलेपमेन्ट (विकास) के लिये हैं उसमें रखे गये हैं। तो ४ करोड़ २४ लाख तो राजस्व के कन्सालिडेटेड फंड (संचित निधि) से इसमें दिये गये हैं और बाकी को पूंजी में डाल दिया गया है यानी जो पहले १७ करोड़ रुपये था वह अब २० करोड़ के ऊपर पहुंच गया है।

अब रहा रुपया। वह तो किसी न किसी तरह से प्राप्त करना ही है। नेशनल प्लानिंग कमीशन के फाइव ईयर प्लान में जो आउटलाइन (रूपरेखा) है उसके पृष्ठ ४९ पर यह सलाह दी हुई है कि २१३ करोड़ रुपये हर एक प्रदेश को इसमें खर्च करने ही हैं और हमें लाजिमी है कि हम उसकी पाबन्दी करें और उसमें यह है कि वह रुपया कहां से पैदा किया जाय। वह रुपया इस्टेट ड्यूटी (सम्पत्ति शुल्क), से बेटरमेंट लेवी (सुधार कर) से, वाटर रेट (पानी कर) से और सरटेन अदर माइनर टैक्सेज आन मोटर वेहिकिल्स एटसेट्रा (मोटर गाड़ियों आदि पर छोटे-छोटे अन्य कर) से पैदा कर सकते हैं। उसके मुताबिक हम देखेंगे कि सेल्स टैक्स (बिक्री कर) हमारे यहां लगा हुआ है। सेल्स टैक्स लगाने के लिये हमें दो चीजें देखनी हैं। एक तो सेल्स टैक्स इस तरीके से लिया जाता है कि रुपया जो आवश्यक हो वह जरूर मिल जाय। सेल्स टैक्स हमारे यहां ही नहीं है बल्कि इस वक्त बम्बई और मद्रास में भी है। बम्बई हमसे छोटा प्रदेश है लेकिन बम्बई में इस टैक्स से ११ करोड़ की आय होती है। मद्रास भी हमसे छोटा है लेकिन वहां भी इससे १६ करोड़ की आय है। लेकिन हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स के इतने बड़े ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के बाद भी सिर्फ ५ करोड़ रुपयों की आय होती है। इससे मालूम होता है कि बम्बई और मद्रास में जैसे बढ़ाया गया वैसे ही इसे आगे बढ़ाने की गुंजाइश है। यह टैक्स पहले पहल जर्मनी में सन् १९[illegible]६ में इंट्रोड्यूस (प्रचलित) किया गया था। उसके बाद हमारे यहां ट्रावनकोर ने किया और फिर श्री राजगोपालाचार्य ने मद्रास में इसको किया और इसके बाद सन् १९४८ और १९४९ में हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स लगाया गया। हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स इस तरह से किया जा सकता है कि समान रूप से सब के ऊपर भार आ जाय। हमारे प्रदेश में जो शहरों में रहने वाले हैं उनकी इनकम पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति आय) जो साढ़े सात सौ रुपया के करीब आती है और देहातों में रहने वाली जनता की पर कैपिटा आमदनी १७६ की है। तो अगर हम थोड़ा सा भार शहर वालों पर डाल दें तो देहातों के रहने वाली जनता के ऊपर भार कुछ कम हो जाय और इस तरह से इनकम में ईक्विलिब्रियम (संतुलन) ला सकते हैं। इसी तरह से बहुत सी चीजों पर मल्टीपिल प्वाइंट पर टैक्स लगा हुआ है जैसे मद्रास और बम्बई में बहुत सी चीजों पर लगा हुआ है। मल्टीपिल प्वाइंट सिर्फ फर्नीचर, सुवर्ण, फल, मसाले और टायर्स पर मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स दफा ३ के मातहत टैक्स लगा हुआ है। लेकिन केवल मोटर के टायर ट्यूब, रेफ्रीजिरेटर, रेडियो, कैमरा, सिल्क और बनस्पति घी इन सब चीजों के ऊपर अभी हम लगा रहे हैं यह समझा जाता है कि मोटर, टायर, ट्यूब, रेफ्रेजिरेटर, रेडियो, कैमरा,

सिल्क, बनस्पति घी इन चीजों से किसी किसान का कोई संबंध नहीं है। मामूली जनता से संबंध नहीं है, मिडिल क्लास से संबंध नहीं। अगर इन पर मल्टिपिल टैक्स करके ५ करोड़ की आमदनी बढ़ा करके १० करोड़ और १५ करोड़ कर बढ़ा दें और उससे किसान का भला कर दें तो यह जो हमारे समाजवादी भाई हैं और कोई भी हों वह इसका समर्थन करेंगे। इसलिये सेल्स टैक्स का वाइडर कवरेज (वृहत क्षेत्र) होना चाहिये, उसका बेटर ऐडमिनिस्ट्रेशन (श्रेष्ठ प्रशासन) होना चाहिये जिससे दस बारह करोड़ की आमदनी यहां भी संभव हो सके।

बेटरमेंट लेवी का तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। सुधार का मतलब यहां लिया गया है कि जिन एरियाज (क्षेत्रों) में सिंचाई की आवश्यकता है वह अपने ही से कोई शुल्क देकर के उसको करें। पश्चिमी क्षेत्रों में तो बेटरमेंट हुआ है और जहां पर कोई सिंचाई नहीं हुई है वहां पर अगर हम सिंचाई करना चाहते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप शुल्क देकर सिंचाई करें। तो हम इसका समर्थन नहीं कर सकते अभी तक ३६ करोड़ रुपया जो नहरों पर, अपर गंगा, लोअर गंगा, आगरा, शारदा पर लगा वह पश्चिमी जिलों के लिये लगा। सन् २८ से ३६ तक पश्चिमी जिलों के लिये टियूब बेलों पर ६ करोड़ रुपया लगा, ८ करोड़ अपर गंगा नहर में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक (जलविद्युत) में लगा। इस प्रकार से ५० करोड़ रुपया लगा है यह क्या सुधार नहीं हुआ? पूर्वी जिलों में या दक्षिणी क्षेत्रों में जहां सिंचाई नहीं है वहां जो बेटरमेंट होता है उसके लिये लेवी लगाई जाय उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन डेवेलपमेंट लेवी जो होती है, जो डेवेलपमेंट हो चुके हैं, उनपर अवश्य टैक्स लगना चाहिये। वे भाई जिनके यहां ५० वर्ष पहले से सिंचाई हो रही है उनका कर्त्तव्य है कि वे डेवेलपमेंट लेवी दें जिससे कि उन लोगों के लिये फायदा हो जिनके ऊपर कोई सिंचाई अब तक नहीं हुई।

दो एक बातों पर और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह है कि फूड प्रोडक्शन (खाद्यान्न उत्पादन) के मुताल्लिक। हमारे देश में ४४४ लाख टन गल्ला पैदा होता है। औसतन हमको जो जरूरत पड़ती है वह ५०० लाख टन की जरूरत पड़ती है, यानी ६० मिलियन टन की कमी होती है। उस कमी के अभी तक भारत सरकार ने जो आंकड़े निकाले हैं वह इस हिसाब से हैं कि प्रति मनुष्य अगर १३ आउन्स दिया जाय तो ६० लाख टन की कमी हो जाती है। हम समझते हैं कि अभी गुंजाइश और है। अगर ४४० लाख टन से बढ़कर ५०० लाख टन पैदा करेंगे तो १३ की जगह १४ आउन्स करेंगे वह भी कम रहेगा। इसी प्रकार १८ आउन्स दिखला करके १०० मिलियन टन तक कमी दिखलाई जा सकती है। तो इस तरह से वास्तविक कमी है या नहीं, इस संबंध में हम नहीं जाते। लेकिन हमारे प्रदेश में जहां तक कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट है जैसा कि आज हमने प्रश्नों के समय कहा था कि भारत गवर्नमेंट की रिपोर्ट यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्यभारत यह दो सूबे जो हैं वह आत्म-निर्भर हैं गल्ले के मामले में और जो सूबे नार्मली सरप्लस (साधारणतया आधिक्यपूर्ण) कहे जाते हैं वह मद्रास, पेप्सू, पंजाब, उड़ीसा और आसाम हैं और डिफीसेंट हैं वह हिमाचल, वेस्ट बंगाल, सौराष्ट्र इत्यादि हैं। तो अगर हमारे प्रदेश में खाने की या गल्ले की कमी नहीं है, ७ लाख टन की कमी जरूर पड़ती है, लेकिन अगर यह कंट्रोल हट रहा है तो हम यह समझते हैं कि गल्ले की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिये। शहर वाले भी कहीं न कहीं से खा लेंगे। परेशानी एक रह जाती है कि क्या जितने हमारे फूड प्रोजेक्ट हैं, बजट में जिसके लिये प्रोवाइड किया गया है ग्रो मोर फूड, उसको प्रायर्टी (प्राथमिकता) दें या इरिगेशन (सिंचाई) को प्राथमिकता दें। ग्रो मोर फूड में तराई भावर, गंगा खादर, मनू नगर योजना हो चुकी हैं, लेकिन किसी से विशेष फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा ही हम समझते हैं कि अब उन प्राजेक्ट्स (योजनाओं) को जो कालोनाइजेशन (उपनिवेशन) वगैरह के हैं उन को बन्द होना चाहिये। सिंचाई की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। रिहन्द बांध केन्द्रीय सरकार अगर ले रही है तो उसे अवश्य लेना चाहिये। वह बहुत जरूरी बांध है।

[श्री कालिका सिंह]

एक बात और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायिक योजनाओं) के बारे में है। हमारे यहां पांच छः कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं। ६५ लाख रुपये का खर्चा है। लेकिन यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पहाड़ों में न होने चाहिये क्योंकि जिस प्रकार कश्मीर में अमेरिकन घुसना चाहते हैं, अगर म्युचुअल सीक्योरिटी एड ऐक्ट के अन्तर्गत अमेरिकन पहाड़ों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स रखने हैं और वे पहाड़ों में घुस जाते हैं तो यह हमारे लिये बहुत महंगा साबित हो सकता है जैसा कि वर्किंग कमेटी ने कहा है कि वह साढ़े तीन करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स बना दें किन्तु प्रदेश भर में। वह ठीक है। लेकिन पहाड़ों में अमेरिकन्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की आड़ में घुसना चाहते हैं, जहां पर नेपाल की सीमा मिलती है, हमारे बार्डर है, वहां पर हमारे पहाड़ी भाइयों को अमेरिकन्स को घुसने नहीं देना चाहिये।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने परिश्रम के साथ स्वतंत्र भारत का बहुत ही उत्तम बजट बनाया है। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि जब हमारे सोशलिस्ट भाई इस बात को कहते हैं कि इस बजट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये, यह स्वतंत्र भारत का बजट नहीं है। तो क्या वे भूल गये कि अभी हाल ही में चुनाव में जब उन्होंने यह ऐलान किया था कि हम अलादीन के चिराग हैं, हम हर एक योजना को तुरन्त कार्यान्वित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जनता ने उनको चुन कर नहीं भेजा जब कि हमारे ३९० महारथी उसी चुनाव से चुन कर आये हैं। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ महानुभाव हैं उन्होंने इस बजट को तैयार किया है। तो क्या इस बात का बखौल है? आप इस बात को अपने हृदय में तौल लें कि क्या यह वास्तव में किसानों का बजट है या नहीं। अभी हमारे गेंदासिंह जी ने कहा कि अभी दो वर्षों के अन्दर हर एक चीज में पांच गुना भाव हो गया है। तो क्या हमारे मिनिस्टर साहब ने जो बजट बनाया है उसमें किसानों को पांच गुना लगान देना पड़ेगा। क्या उन का लगान बढ़ा दिया गया है। आप इस बात को गौर से देखिये। जितना लगान किसान पहले देते थे अगर इस महंगी का ख्याल करते हुए अगर कोई दूसरे पुराने जमाने के आदमी होते या दूसरी पार्टी के मेम्बर होते तो उन्होंने किसानों का उतना लगान कर दिया होता। जिस वक्त बैलगाड़ी पर अनाज को ले कर किसान बाजार में बेचने जाता है तो उसको पांच गुने दाम मिलते हैं। इस प्रकार आज किसान को जो रुपया पहले की दर से पांच सौ देना पड़ता, केवल एक सौ रुपया देना पड़ता है और लगान के रूप में चार सौ रुपया उसकी बचत हो जाती है। इस प्रकार से यह बजट किसानों का कहा जायगा। आज हर चीज के दाम पंचगुने हो गये हैं। लेकिन किसान का लगान जो पहले था वही आज भी है, क्या आपने कभी इसबात पर ध्यान दिया है।

आज से पंद्रह साल पहले आप ने शहरों को देखा होगा, देहातों में भी गये होंगे, आज कितनी ही तारकोल की सड़कें बन गयी हैं। आज प्रदेश के कोने-कोने में पक्की सड़कें दिखाई दे रही हैं। पिछले पांच साल के अन्दर कांग्रेस सरकार ने १९ सौ मील लम्बी सड़कें बनवा दी हैं और २१ सौ मील लम्बी सड़कें पांच साल के अन्दर तैयार हो जायेंगी। इतनी लम्बी सड़कों का तैयार करवाना यह हमारी कांग्रेस सरकार का एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके अलावा जब आप सिंचाई की ओर देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि हजारों मील लम्बी नहरें इन पांच सालों में बन गयी हैं। सपरार और ललितपुर डैम बन करके तैयार हो गये हैं और माताटीला नाम की जो स्कीम है जिस में कई करोड़ रुपया व्यय किया जा रहा है वह बन करके तैयार होने वाली है। तमाम पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स बन करके तैयार हो गये हैं। यह तमाम बातें किसानों के लिये नहीं हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस के लिये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि किसानों और मजदूरों के लिये यह बहुत उत्तम बजट है और इसके लिये मैं अपने यहां की जनता की ओर से अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। हां, यह हो सकता है कि कुछ बातें त्रुटियों की हों क्योंकि त्रुटियां तो हर काम में होती ही हैं, लेकिन मैंने जैसा आप को बताया कि आप जिस बात का दावा करते हैं कि सोशलिस्ट

पार्टी अलादीन का चिराग है, कांग्रेस इस बात को कभी नहीं कहना चाहती। हमारा तो प्रोग्राम धीरे धीरे अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का है। इन पांच वर्षों के अन्दर जितना काम मुमकिन होगा किया जायगा और उसके बाद अगले पांच वर्षों की जो स्कीम होगी वह आप के सामने पेश की जायगी। मिनिस्टर साहबान के सुझाव के लिये त्रुटियों को आप भी पेश कर सकते हैं और मैं भी पेश कर सकता हूं। मैं झांसी ज़िले की गरौठा तहसील का रहने वाला हूं। वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं बतौर जानकारी के मिनिस्टर साहब के सामने पेश करूंगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हम उकताते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भी नम्बर कभी आयेगा। हम जानते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार यदि आज पूर्वी ज़िलों में कार्य कर रही है तो आगे चल कर हमारा भी नम्बर आयेगा जब अपने इलाके के अन्दर काम करा सकेंगे।

अब आप ज़रा शिक्षा की ओर देखिये। पांच वर्ष पहले आप के प्रांत के अन्दर केवल १९ हजार प्राइमरी स्कूल थे लेकिन आज ३३ हजार प्राइमरी स्कूल हैं। इस देश में केवल आपका ही प्रान्त ऐसा है जहां पर पांच यूनिवर्सिटियां हैं। भला बताइये इस देश में और कौन ऐसा प्रान्त है जहां पर इतना बड़ा शिक्षा का प्रबन्ध है। यहां जो आप के सेकेंड्री स्कूल्स हैं वे इंटर कालेज किये जा रहे हैं और जो जूनियर हाई स्कूल्स थे वे दर्जन के दर्जन हाई स्कूल हो चुके हैं और आप के प्राइमरी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार यहां शिक्षा का इतना प्रचार हुआ है कि आज से दस साल पहले अपने प्रान्त के अन्दर जब हाई स्कूल की परीक्षा होती थी तो उसमें लगभग ५ हजार विद्यार्थी सम्मिलित होते थे लेकिन आज लगभग डेढ़ लाख विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। आप इन बातों की तरफ क्यों आंखें बन्द किये हुए हैं। क्या आप को यह बातें दिखाई नहीं देती है कि रुपया गरीब लोगों के लिये ज़िलेवार बंट रहा है और गरीबों का फायदा हो रहा है। पहले इन गरीबों की तरफ किसने देखा? क्या अंग्रेज़ी राज्य या दूसरे राज्य में इन बातों की तरफ दृष्टिपात किया गया? यह कांग्रेस सरकार है जिसने प्रान्त के कोने कोने में सिंचाई व शिक्षा का जाल फैला दिया है।

जहां तक त्रुटियों का संबंध है, यदि आप सुझाव के तौर पर त्रुटियों को पेश करें तो हम आप का स्वागत करेंगे लेकिन जब त्रुटियों को हौवा बना करके उपस्थित किया जाता है और यह कहा जाता है कि हम अलादीन के चिराग हैं तो हम उसको मानने के लिये कभी तैयार नहीं हो सकते। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने ज़िले की कुछ त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं जैसा कि हरएक आदमी कर सकता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी तहसील गरौठा बेतवा और एक दूसरी नदी धसान से घिरी हुई है और हम झांसी शहर से लगभग ५० या ६० मील के फासले पर रहते हैं। इस प्रकार इन नदियों से घिरे होने के कारण हमारा संबंध झांसी-कानपुर रोड से कतई विच्छेद हो जाता है और वहां तक पहुंचने में हमको बड़ी कठिनाई होती है। अगर वहां एक रपटा एरछाव पर बना दिया जाय तो दो लाख जनता का कल्याण हो सकता है। मैं आप की सेवा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वहां रपटा बना दिया जाय तो ज्यादा से ज्यादा आठ साल के अन्दर आप का लगा हुआ रुपया आप को वापस मिल सकता है।

हमारे ज़िले में जो मुकाम रामनगर है वहां जब से रपटा बन गया है हजारों आदमियों को जाने में सहूलियत मिल गयी है। इस रपटा के बनाने में करीब ३० हजार रुपये का खर्चा हुआ। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एक लाख रुपये की मदद दे और कुछ रुपया बोर्ड खुद इस स्कीम पर खर्च करने के लिये तैयार है तो वहां की जनता को बहुत आराम मिल सकता है।

एक दूसरी बात मुझे और कहनी है कि हमारी गरौठा तहसील के अन्दर पानी पीने के कुओं की बड़ी भारी कमी है। अभी सरकार की ओर से जो पत्रिका मिली उसमें सफा १९० पर सरकार ने भी इस बात पर जिक्र किया है कि वहां पर जो ट्रैक्टर काम कर रहे हैं पानी की कमी के कारण प्रति घंटा एक हजार रुपये का नुक़सान हुआ है। अभी गर्मी में पानी की कमी की वजह से मज़दूरों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर आप तहसील गरौठा के अन्दर बंधियों की स्कीम चालू कर दें तो वहां की जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा।

[श्री रामसहाय शर्मा]

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अन्दर सड़कों पर, अस्पतालों पर माध्यमिक शिक्षा पर या किसी भी और योजना पर कम से कम दस बीस साल के अन्दर एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। हमारे जिले की एक तहसील के अन्दर जिसकी आबादी लगभग दो लाख है माध्यमिक शिक्षा पर सरकार एक पैसा भी नहीं खर्च कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की ओर सरकार और वित्त मंत्री भी ध्यान दें।

इसी प्रकार अस्पतालों की बात है। एरछाव गरौठा में अस्पताल बने हैं मगर एक में तो केवल इमारत ही बन कर रह गयी है और एक अस्पताल में तो तीन ही फीट की दीवाल बनी है। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट के मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपा करके उसको पूरा करा दिया जाय और वहां की जनता के लिये अस्पताल की पूरी सुविधायें प्रदान की जायं।

इसके अलावा जो इलाके झांसी से इतनी दूर पड़ते हैं कि वहां से ५० मील के फासले पर हैं और कानपुर सड़क वहां से बिल्कुल टूट जाती है तो ऐसी हालत में वहां की सड़कों की ओर आपका विशेष ध्यान होना चाहिये। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि इस इलाके के अन्दर दो टाउन एरिया और एक नोटिफाइड एरिया हैं। जो टाउन एरिया गुरसराय है वहां पर बरसात के दिनों में सड़कों की खराब हालत हो जाती है कि नौ नौ इंच जमीन के अन्दर पैर चला जाता है। मैं अपने मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसी टाउन एरिया के अन्दर जो दो लाख आबादी के केन्द्र में हो, कम से कम सड़कों का प्रबन्ध पूरा पूरा होना चाहिये। इस बजट में टाउन एरियाज के सिलसिले में ५० हजार रुपये रखे गये हैं। समझ में नहीं आता कि यह ५० हजार रुपया कहां कहां दिया जायगा। मैं समझता हूं कि जो टाउन एरियाज बहुत बुरी हालत में हैं उनकी एक लिस्ट सरकार बना ले और सर्वप्रथम उनको ही मदद देने की कृपा करे।

एक बात की ओर मैं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि उन इलाकों की ओर जो इस राज्य में विलीन हुये हैं झांसी जिले में एक सिमथर का इलाका है जहां की आबादी १० हजार के करीब है। वहां के राजा साहब वहां बिजली लगवा रहे थे। खम्भे वगैरह सब लग चुके थे। मगर जब से उसका विलीनीकरण हो गया तब से वहां इस संबंध में कुछ नहीं हुआ। वहां नोटिफाइड एरिया की तरफ से केवल एक लालटेन लगा दी गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और वहां रोशनी का पूरा प्रबंध करना चाहिये। यही हालत सिमथर में शिक्षा की है। सिमथर ऐसे इलाके में जिसकी आबादी १० हजार की है केवल एक प्राइमरी स्कूल है। भला एक प्राइमरी स्कूल से वहां के लोग किस प्रकार शिक्षा पा सकते हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और वहां के लोगों की पढ़ाई के लिये उचित प्रबन्ध करना चाहिये।

ये तो त्रुटियां हैं। मैं इस बात को नहीं कहता कि ये सारी बात हम लोगों के इलाके के लिये जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है आप तुरन्त ही कर दें। आप सारे प्रान्त की योजनायें बनाते हैं इसलिये मुझे विश्वास है कि हमारे क्षेत्र का भी आप इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से दूसरे स्थानों का रखते हैं। आपने जो योजना बनाई है वह अत्यन्त सुन्दर है। दूसरी पार्टी के आदमियों ने जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है और जैसे भाषण हुये हैं मैं उनको कतई पसंद नहीं करता हूं और न उनको इतना साहस होना चाहिए क्योंकि वह अखाड़े के अन्दर कह चुके हैं कि जनता उनके साथ है। लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आई और पब्लिक ने साबित कर दिया कि ४३० में से आज कांग्रेस ने ३९० महारथी यहां पर भेजे। उन्होंने फरमाया कि कांग्रेस इस चीज को नहीं कर सकती है। मैं

कहना चाहता हूं कि पांच वर्ष के अन्दर हमारा प्रत्येक देशभक्त यहां पूरा काम करेगा क्योंकि हमारे मैदानों के अन्दर जितने काम करने वाले हैं उनमें से हमारा हर एक आदमी एक संस्था है। आपको यह बात याद होनी चाहिये। अगर आप कार्यरूप में देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि हमारा कार्यक्रम क्या है। आपकी थोथी बातों से कोई काम नहीं हो सकता और न उसकी कोई कद्र ही है। जयहिंद।

बैठक के कार्यकाल में वृद्धि

श्री सुल्तान आलम खां—मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अभी बहुत से बोलने वाले रह गये हैं। इसलिये दरख्वास्त करूंगा कि आज असेम्बली का टाइम दो घंटा बढ़ा दिया जाय और कल दस बजे से असेम्बली हो और कल सवालों को समय न दिया जाय।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

वित्त मंत्री (मुहम्मद इब्राहीम)—मैं इस बात से तो कतअन इन्कार करता नहीं हूं कि वक्त बढाया जाय। वक्त बढ़ाया जरूर जाय। आज दो घंटे बैठना मैं समझता हूं कि सदन के मेम्बरान को अपने दिल में तकलीफदेह होगा कि दो घंटे बैठे रहे। कल जो दस बजे से असेम्बली होने के लिये कहा गया और सवालों के बारे में कहा गया उसमें भी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। आज बैठने के मुताल्लिक़ मैंने अर्ज कर दिया। अगर हाउस चाहे तो दो घंटे बैठे। इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि--

अध्यक्ष—दो घंटे न हो तो कितना समय बढ़ा लिया जाय?

श्री मुहम्मद इब्राहीम—एक घंटा कर लिया जाय।

अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जी हां, ठीक है, बैठा जाय। अगर हाउस दो घंटे बैठ सकता हो तो हम बैठने के लिये तैयार हैं। कल के लिये सवाल जरूर रखे जायं चाहे एक घंटा शाम को बढ़ा लिया जाय। कल दस बजे से ग्यारह बजे तक सवाल लिये जायं और उधर शाम को के छै बजे तक कर दिया जाय लेकिन जो सवाल कल के लिये रखे हैं उनको हटाना ठीक नहीं मालूम होता।

श्री सुल्तान आलम खां—अगर माननीय नेता विरोधी दल को एतराज है तो मैं यह तजवीज करूंगा कि आज दो घंटे बैठें। कल १० बजे से ११ बजे तक सवाल करें। शाम को बजाय ५ बजे के ६ बजे तक असेम्बली रहे।

अध्यक्ष—कल सुबह के लिये मैं अभी तय कर दूंगा और कल शाम को अगर बैठना होगा तो प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आज के लिये सदन दो घंटे बैठे या एक घंटे बैठे इस संबंध में मैं सदन की राय लेता हूं। जो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अभी दो घंटे बैठा जाय वह 'हां' कहें। एक घंटे की संबंध में 'हां' की राय ज्यादा मालूम होती है। इसलिये एक घंटे हम लोग आज अधिक बैठेंगे और यह आम राय मालूम होती है कि कल दस बजे से बैठा जाय। मैं समझता हूं कि यह सही है। यदि किसी को विरोध हो तो वह नहीं कहें।

(किसी ने कुछ नहीं कहा)

इसका मतलब यह है कि कल दस बजे से हम लोग बैठेंगे और पहले एक घंटा सवाल होंगे और ११ बजे से बजट पर विवाद जारी होगा और शाम के लिये कल ही निश्चय कर लेंगे कि बैठने की आवश्यकता है या नहीं। तो आज का अधिवेशन छः बजे तक जारी रहेगा।

वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के आय व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस बजट पर बोलूं मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका दिया। साहित्य के आचार्यों का कहना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक इसी तरह से अगर यह समझा जाय कि बजट भी उस दल की जो शासनारूढ़ है मनोवृत्ति का परिचायक होता है तो यह गलत न होगा। यह बजट एक आइना है जिसमें सरकार की मनोवृत्तियों का पता चलता है। हमें इस दृष्टि से इसको देखना है कि सरकार किस दिशा की तरफ जाने वाली है, यह बजट उस उद्देश्य और आदर्श को प्राप्त करने में कितना सहायक होता है जो हमारे सामने है। हमें देखना है कि जिस जनतंत्र और जमहूरियत की स्थापना का आदर्श हमारे सामने है, जिसको हम कार्य रूप में परिणित करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में हमारा यह बजट कहां तक सहायक है। इसके देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि १९४६ से ले कर सन् १९५२ तक जितने बजट हमारे सामने उपस्थित हुये, उन बजट्स में जिन जिन आवश्यक मदों में रुपया खर्च हुआ उनसे हमें आर्थिक वृद्धि हुई है, हमारे रचनात्मक कार्य आगे बढ़े हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। अगर इस दृष्टि से हम बजट को देखते हैं, इस नजरिये से बजट को देख कर हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो मद सबसे अधिक आवश्यक है वह है जनरल डेवलपमेंट (सामान्य विकास) की उस में ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च करने के लिये रक्खी गई है। समाज का फंडामेंटल स्ट्रक्चर (आधारभूत ढांचा) आर्थिक पक्ष होता है। आज हमें यही देखना है कि आया यह कांग्रेस सरकार जब से आई आज तक आगे तबसे बढ़ने में अपनी योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने में, हमने कहां तक सफलता प्राप्त की है।

हम देखते हैं जहां तक कृषि का संबंध है, बिजली की शक्ति का संबंध है, जितनी भी योजनायें हैं जिनसे हमारी आर्थिक शक्ति सुदृढ़ हो सकती है वे आगे बढ़ी हैं। सन् १९४६ में हम जहां थे वहां हम आज सन् १९५२ में नहीं हैं, हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारी शक्ति अगर इसी तरहसे बढ़ती रही, हमारा यही दृष्टिकोण बना रहे तो हमें यह कुल्ली उम्मीद है, तवक्को है कि हमारा आदर्श पूरा हो कर रहेगा। एक समय आयेगा, एक वक्त आयेगा जब कि आर्थिक दृष्टि से हम सुदृढ़ माने जायेंगे और साथ ही साथ हम आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होंगे तो हम यह कह सकेंगेकि हमने वास्तविक जनतंत्र सरकार की स्थापना की। इसमें कुछ कमियां भी हैं लेकिन अगर विवेचनात्मक दृष्टि से हम किसी कमी की व्याख्या करें तो कमी उसी को कहा जा सकता है कि हमारे पास शक्ति हो और शक्ति होते हुये भी हम उस चीज को पूरा न कर सकें। हम तो इससे आगे बढ़ने में केवल अभी आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हैं। हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो बाधक रूप में हमारे सामने खड़ी हुई हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनको हम पार करना चाहते हैं लेकिन पार करने में कुछ कठिनाइयां हैं। यह सब होते हुये भी हमारी इच्छा है कि हम आगे बढ़ें। जब इसको हम इस नजरिये से देखते हैं तो यह पता चलता है कि हम डेवेलपमेंट (विकास) की ओर धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। शिकायत के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम भी पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं और वहां पर सब चीजों की कमी है हम, शिकायत के तौर पर यही कह सकते हैं लेकिन भौतिक परिस्थितियों को सम्मुख रख कर ऐसी शिकायत करना गैर वाजिब है। अगर इस दृष्टि से हम इस बजट को देखें और अवलोकन करें तो हम यह कह सकते हैं कि हम बराबर आगे बढ़ते चले जाते हैं।

दूसरी तरफ अपनी शिक्षा में भी हम काफी आगे बढ़े हैं। सन् १९४६ ई० से लेकर हमने स्कूलों की संख्या को बहुत काफी बढ़ाया है और हमने काफी सफलता इस शिक्षण के मामले में प्राप्त की है। कहा जाता है कि मौजूदा शिक्षा से बेकारी बढ़ती है यह बात किसी अंश तक मानी जा सकती है। लड़कों में स्वावलम्बन की भावना इससे पैदा नहीं होती है। इस स्वावलम्बन की भावना को पैदा करने के लिए यह आवश्यक है जैसा कि बजट में बताया गया है कि हर स्कूल में एक ऐसा विषय रखा जाय जो टैक्नीकल (प्राविधिक) विषय हो। टैक्नीकल विषय को लेकर विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। हम यह मानते हैं कि अगर शिक्षा की यही दशा रही तो ज्यादा

फायदा होने वाला नहीं है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब हम इस जगह पर पहुंच गये हैं जब हम यह कह सकते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन होना जरूरी है और जब तक इसकी बाडी (ढांचे) में चेन्ज (परिवर्तन) नहीं होगा तब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे सामने है और न हम विद्यार्थियों के अन्दर स्वावलम्बन की भावना भर सकते हैं। हम इस बात का फख्र तभी कर सकते हैं जब विद्यार्थी मैदान में आकर स्वावलम्बन रूप से काम करें। इस कारण मेरा निवेदन यह है कि टैक्नीकल शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाय और तभी हम आगे बढ सकते हैं।

अगर हम पंचायत की तरफ जाय, अगर हम कोआपरेशन (सहकारिता) विभाग को देखें तो पता चलेगा कि जब से पंचायत राज कायम हुआ है हजारों की तादाद में हमारे यहां पंचायती अदालतें काम कर रही हैं। हम यह देखते हैं कि हम बराबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम यह देखते हैं कि जहां गांवों के अन्दर व्यक्तिवाद फैला हुआ था अब उसको विनाश करके हमारे यहां पंचायतें कायम हो गई हैं और यक्तिवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हमारे यहां इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज (औद्योगिक सहकारी समितियां), कोआपरेटिव स्टोर्स हैं, कोआपरेटिव फार्मिंग (खेती) हैं और इनकी तादाद बराबर बढती चली जा रही है। झांसी जिले में मैंने खुद देखा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के विषय में बहुत तरक्की हुई है और बराबर तरक्की होती चली जाती है। हो सकता है कि हमको कोई अधिक फायदा नहीं हुआ हो जितना कि हम चाहते थे लेकिन फायदा जरूर हुआ है; हमारे यहां जो व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही थी उसके स्थान पर व्यक्तित्व का कारण एक सामाजिक कारण हो रहा है।

हम आज उस केंद्र को देख रहे हैं और हम अपने प्रयत्न से उस जगह जा रहे हैं जिसको हम गणतंत्र की सुन्दरतम एक सीढ़ी कह सकते हैं। अगर आप बजट में आगे गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पुलिस विभाग पर अब उतना खर्च नहीं है जितना कि पहले किया जाता था। मैं इसके लिये कि अब पुलिस विभाग में पहले से खर्चे में कमी हुई है सरकार को बधाई देना चाहता हूं। आज हम पर और हमारे प्रदेश पर जो आर्थिक दवाब पुलिस विभाग के कारण था वह कम हो रहा है और दूर होता जाता है। हमारी शक्ति हर तरह से बढ़ रही है और हम आगे बढते चले जा रहे हैं और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे जैसे बढ़ेगी और जैसे जैसे हमारे समाज का नैतिक स्तर ऊंचा होगा, हमारी पुलिस की आवश्यकता कम होती जायगी और हम काफ़ी लाभ इस प्रदेश की जनता का कर सकेंगे, अगर हमारा व्यक्तिवाद इसी प्रकार कम होता रहा और समाज में कोआपरेटिव स्प्रिट बढ़ती चली गई और सहयोग की भावना जागृत होती चली गई तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम हर दिशा में बहुत आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह से एक जमाना वह भी आ सकता है कि जब हम कह सकेंगे कि हमें पुलिस की आवश्यकता नहीं है और उस समय हमारे जीवन का वह स्तर आ सकता है जिसमें हमारा आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समन्वय होगा और हर दिशा में हमारे ज्ञान की वृद्धि हो सकेगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वह समय शीघ्र ही आ सकता है जब हम इसी तरह उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है और जैसा हमारा ध्येय है। हमें यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कहां तक सफलता मिली है बल्कि हमें यह देखना चाहिये कि कांग्रेस की टेन्डैन्सी (प्रवृत्ति) क्या है, और वह किधर जा रही है। अगर उसकी प्रवृत्ति और दिशा सुन्दर है और पुष्ट है और वह उसी ओर पहुंचने में अग्रसर है जो गोल (लक्ष्य) डेमाक्रेसी (प्रजातंत्र) का है, जो मक़सद जमहूरियत का है या जो केंद्र गणतन्त्र या जनतंत्र का है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति और सब का समन्वया है तो कह सकते है कि हमारा लक्ष्य अब निकट है।

इनटैलेक्चुअल ग्रोथ (बौद्धिक विकास) जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वह तभी हो सकती है जब हम हर तरह से हर प्रकार की एजूकेशन (शिक्षा) को अपने यहां फैलावें। आप जानते हैं कि साइबेरिया में जहां कोई उन्नति नहीं थी और तमाम वन थे वहां रूस ने काफी परिवर्तन किया।

[श्री गंगा प्रसाद सिंह]

वहां सतत प्रयत्न से पुनः जागृति और रोशनी फैलाई गई । वहां अब अनक्षरता का नाश हो गया, हर दिशा में वहां प्रगति हुई। यदि हमारी प्रवृत्ति भी एक सुन्दर और यथेष्ट दिशा की तरफ बढ़ रही है और अग्रसर हो रही है तो हमारा उत्थान भी अवश्यम्भावी है ।

हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह बजट रिएक्शनरी (प्रतिक्रियावादी) और रिग्रेसिव (प्रतिगामी) है । अगर यह बजट इस तरह का है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब लेनिन से ट्राटस्की ने पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हैं तब उसने कहा कि अब हमारे लिये यही जमाना है कि हम रूस की हर प्रकार की तरक्की करें और मजबूत करें और दुनिया में रोशनी फैला कर दुनिया की ग़रीबी दूर करें । क्या यह चीज यहां नहीं लागू होती ? क्या आर्थिक साधनों को सुदृढ़ करना प्रतिगामिता का परिचायक है ? मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से रिएक्शनरी हैं । यदि लेनिन को रिएक्शनरी नहीं मानते तो हम भी नहीं हैं; लेनिन के भांति पं० जवाहरलाल भी आगे बढ़ने वाली शक्ति हैं । हमारा बजट भी एक सुन्दर संतुलित बजट है ।

एक सज्जन ने कहा कि हम कोई टैक्स नहीं चाहते । आप यह भी चाहते हैं कि हम आर्थिक दिशा में आगे बढ़ें । ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं ? अगर आप यह चाहते हैं कि हम उन्नति करें तो टैक्सेशन (करारोपण) जरूरी है । हमारी जनता पर भार जरूर पड़ेगा परन्तु यह नहीं है कि किसानों की कमर झुक जाय । आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिये टैक्सेशन जरूरी है । यह टैक्स नहीं देश को बढ़ाने के लिये एक दान है ।

श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूरी आशा थी कि नये बजट से गरीब किसानों का उत्थान होगा। लेकिन बातें बिलकुल दूसरी ही हैं। एक वाक्य में यह बजट किसान की ठठरियों पर सरकार का घृणित रूप है । क्या मैं ऐसे बजट का समर्थन करूं जबकि गाजीपुर जिले में एक भी डिग्री कालेज का प्रबन्ध नहीं किया गया, जबकि वहां के बहादुरगंज क़स्बे में जहां १० हजार की बस्ती है अस्पताल का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ? क्या मैं ऐसे बजट का समर्थन करूं जिसमें प्रारम्भिक स्कूलों के टीचरों का वेतन बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है ? इस जमाने में जहां कि पानी और लकड़ी पर कंट्रोल है एक अध्यापक कैसे ४०--४५ रुपये में अपना गुजर कर सकता है । भगवान न करे उसके दो-चार लड़के हो जायं वरना फिर तो उसका मरण ही हो जाय । कुछ दिन पहले बातें चल रही थीं कि काशी में संस्कृत यूनीवर्सिटी की स्थापना की जायगी, वह इलेक्शन का जमाना था। ब्राह्मणों से वोट ले लिये गये । कल मैं बैठे बैठे सुन रहा था और इन्तजार कर रहा था कि श्री परिपूर्णानन्द जी या लालबहादुर सिंह जी इसके लिये कुछ कहें । लेकिन अफ़सोस कि वे इस विषय से दूर ही रहे । कालिजों और स्कूलों से निकले हुए विद्यार्थियों में बेकारी बढ़ रही है लेकिन बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं है । मैं बजट के पन्नों को बड़े चाव से देख रहा था लेकिन उसमें कहीं भी गोरखपुर के डी० एम० की तनख्वाह घटाने की चर्चा नहीं है । बजट को देखने से साफ मालूम होता है कि वित्त मंत्री जी किसानों से कुछ न कुछ चाहते हैं। किसानों के पास कौन सा खजाना है कि वे टैक्स के बोझ से लादे जा रहे हैं ?

सरकार 'अधिक अन्न उपजाओ' तक का नारा लगा रही है लेकिन किसानों को भूमि का मालिक नहीं बनाती । जब तक किसान भूमि का मालिक नहीं होगा वह अन्न पैदा नहीं करेगा । आखिरकार वह दूसरों के लिये कब तक कमाता रहेगा ? मैं यह नहीं चाहता कि सरकार बजट के पन्नों में रोटियां या चावल लपेट दे। लेकिन उसे जनता के हित के लिये काम करना चाहिये जिससे सबको प्रसन्नता हो । अब मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं ।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि अपनी सरकार को और अपने वित्त मंत्री को मुबारिकबाद दूं । इसके पहले कि मैं बधाई दूं उन्हें यह भी बताना मुनासिब समझता हूं कि यह बधाई कोई रस्मी तौर की बधाई

नहीं है। यह बधाई उस मजदूर की सी है जो अपने चतुर इंजीनियर के साथ अपने खयालात की दुनिया बसाने में लगा हुआ है। अगर इस बजट को ध्यान से देखा जाय तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विरोधी पक्ष के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी आंखों से उस चश्मे को उतार दें जिससे रंग बदला हुआ दिखाई देता है। यह बजट मजदूरों, किसानों और मजलूमों का बजट है। इसके साथ ही साथ मैं इसलिये भी बधाई देता हूं कि यह बजट एक नये पथ का निर्देशन करता है जिस पर चल कर हम साल भर में अपने रास्ते का पांचवां हिस्सा तय कर लेंगे और अगले वर्षों में भी इसे ही बजट बना कर अपने लक्ष्य पर पहुंच जायेंगे जहां कि भारत का नक्शा रंगीन नजर आयेगा' देश हरा भरा होगा। किसान सुखी होगा। जब वह सुखी होगा तो आज का झोंपड़ी का किसान नहीं होगा बल्कि किसानों के घरों से उस दिन बधाई की आवाजें आयेंगी और तब विरोधी पक्ष के सदस्यों की आखें खुल जायेंगी। पेशतर इसके कि मैं इस बजट पर बहुत बातें करूं एक बात और कहने को जी चाहता हूं क्योंकि भय लगता है कि कहीं उसे भूल न जाऊं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ से आज एक नई दुहाई दी गई और कहा गया कि वे हमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं। वह कोआपरेशन (सहयोग) देना चाहते हैं लेकिन शर्त यह लगाते हैं कि काम अच्छे हों। जहां तक कोआपरेशन की बात है उनका तजरबा हमको बहुत है और जहां तक अच्छे कामों का संबंध है तो अच्छे कामों को करने की जो उनकी परिभाषा है वह हम करने को तैयार नहीं है। मैं एक कोओपरेशन (सहयोग) का उदाहरण देना चाहता हूं। इस सदन में आज भी और आज के पहले भी देवरिया और पूर्वी जिलों की भुखमरी की आवाजें आईं। इससे बढ़कर और सुन्दर काम हो ही क्या सकता है और उसमें जो प्रशसंनीय सहयोग हमें विरोधी दल के सदस्यों का मिला है, मुझे इसका एक किस्सा मालूम है। जबकि सरकार प्रकृति से लड़ने को तैयार थी, जब कि सरकार ने अपनी सारी शक्ति वहां पर लगा रखी थी केवल वहां के ही आदमी नहीं, बल्कि वहां से बाहर के आदमियों की शक्ति से सरकार भुखमरी का मुकाबला कर रही थी तो हमें एक घटना का विश्वासनीय सूत्र से पता चला। इससे हमें यह मालूम हो जाता है कि जो लोग सहयोग और कोआपरेशन की पुकार करते हैं वे कैसा सहयोग और कोआपरेशन देते हैं। उन्होने उन लोगों से जो टैस्ट वर्क्स में काम कर रहे थे कहा कि तुम लोग टैस्ट वर्क्स में काम मत करो, बैठे रहो। अगर तुम सब के सब मिल कर बैठे रहो तो गल्ला मजबूर होकर सरकार तुम्हारे पास पहुंचा देगी। जब उनको समझाने के लिये आदमी जाते हैं तो कह दिया जाता है कि अगर आदमी आयें तो लेट जाओ फिर खाना भी वहां पहुंच जायेगा। यह तजुर्बात हमको आपके कोआपरेशन और सहयोग के मिले हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं लेकिन समय मेरे पास अधिक नहीं वह केवल १५ ही मिनट का है।

इसके अलावा एक बात और कहने का यहां जी चाहता है। वह यह है कि दूसरे पड़ोसी जो यहां दूसरी तरफ बैठते हैं उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर कर लगाया तो जनता इसका विरोध करेगी, आन्दोलन करेगी, सत्याग्रह करेगी और कर नहीं देगी। मैं पिछले सदन में तो नहीं था लेकिन जिस पार्टी से उनका सबंध था उनके भाषणों को पढ़ने का हमें मौका मिला है। जब जमींदारी तोड़ने का प्रस्ताव यहां पर पेश था और उस पर बहस होती थी तो यह आवाज होती थी कि अगर जमींदारी तोड़ी तो देश में क्रांति हो जायगी, बलवा हो जायगा, एक लाख जमींदार हैं, ४ लाख उनके नौकर हैं, कितने रिश्तेदार हैं और कितने नातेदार हैं। उस लड़ाई को भी हमने देखा है। वह लड़ाई महदूद रही। अच्छा हुआ कि ये आखिर में एक अच्छे रास्ते पर आये। महज कुछ वकीलों को कुछ लाख रुपये देकर अदालत के मैदान में उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। तो इन सब बातों से कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं।

दूसरी तरफ यह भी बात कही गयी, एक सज्जन और आये जो सम्भवतः अपनी पार्टी के अकेले ही इस प्रान्त में हैं। उन्होंने हमें चीन का हौवा दिखलाया, तैलंगाना के खून के भरे नक्शे का दृश्य दिखलाने की कोशिश की। जहां तक कि तैलंगाना की हरकतों का संबंध है,

[श्री रामनरेश शुक्ल]

जहां तक उनके कामों का संबंध है और जहां तक चीन के हौवे का संबंध है उसे मैं आगे चल कर कहने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के एक और सदस्य को नहीं भूलना चाहता हूं क्योंकि वे भी संयोगवश इस प्रांत में अपनी संस्था के इकलौते ही प्रतिनिधि हैं। उन्होंने आज यह आवाज उठायी कि यह बजट इसलिये अच्छा नहीं है कि इसमें नैतिकता और गीता पाठशालाओं के खोलने की योजना नहीं है। बड़ा अच्छा लगा लेकिन जब मुझे याद आया कि उन्होंने कहा कि इस बजट का बिसमिल्ला ही गलत है तो मैं सोचने लगा कि हिन्दू महासभा का एक प्रतिनिधि बिसमिल्ला से शुरू करता है तो यह ख्याल आता है कि नैतिकता और गीता पाठशालायें खोलने का उनके दिल में कितना गुब्बार है। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि वे यहां पर इस समय मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं आपके द्वारा उनके पास पड़ोस बैठने वालों के जरिये अपनी आवाज उन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि वे इस देश के अन्दर नैतिकता और धर्म के लिये सरकार का सहारा न लें। कोई भी धर्म किसी सरकार का सहारा लेकर इस देश में नहीं चल सकता है। इस देश की संस्कृति, इस देश की जमीन ऐसी है कि सरकार का सहारा लेकर किसी धर्म या संस्कृति का प्रचार यहां नहीं हो सकता है। अगर किसी ने कभी ऐसी गलती की है तो वह कम से कम इस देश में नहीं पनप पाया है। बौद्ध धर्म संसार का सुन्दर धर्म माना जाता है लेकिन उसने भी एक गलती की कि महाराजा हर्ष और महाराजा अशोक का दामन पकड़ा। वह धर्म दुनिया के किसी कोने में हो सकता है लेकिन वह भारतवर्ष में नहीं के बराबर है। तो जितना उनको अपने धर्म और संस्कृति का ख़याल है, मैं समझता हूं कि कम से कम मुझे अपनी संस्कृति का उनसे बहुत ज्यादा ख़याल है। अकेले सरकार का सहारा न लेकर और रास्तों को अपनाने की कोशिश करें।

अब मैं एक दो बातों की तरफ अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के तमाम सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने भाषण के दौरान में श्री निहालुद्दीन साहब ने यह फरमाया कि इस प्रदेश में पुलिस का खर्चा इस बजट में बहुत काफी है और साथ ही साथ यह भी कहा कि और शायद मेरी समझ में वे भूल गये और यह कह गये कि यहां पर पुलिसवालों की तनख्वाहें बहुत कम हैं। अगर पुलिस का खर्च ज्यादा है और तनख्वाहें अगर ज्यादा बढ़ा दी जायं तो वह खर्चा और बढ़ जायगा। जहां तक पुलिस की संख्या का संबंध है मैं आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने हिसाब लगाया तो एक पुलिस का सिपाही ३७०० आदमियों पर आता है। बड़ा कठिन हो जाता है ३७०० आदमियों की देखरेख करना और सारा प्रबन्ध करना तो वस्तुस्थिति को देखने के बाद यदि उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जायं और उनकी संख्या भी कुछ और बढ़ाई जाय तब तो फिर यह जो संख्या हमारे बजट में है वह बहुत ही कम है। लेकिन उनकी जानकारी के लिये मैं अध्यक्ष महोदय' यह उपस्थित करना चाहता हूं कि आया यह खर्चा इस वर्ष के बजट में ज्यादा है या पिछले वर्षों की अपेक्षा कम है। सन् १९३७-३८ में पुलिस के महकमे में २ करोड़ ६५ लाख का खर्चा था जो कि कुल आमदनी का १/६ था। सन् १९४७-४८ में पुलिस पर ६ करोड़ ४१ लाख रुपये का खर्चा था जो कि कुल आमदनी का १/६ था और अब १९५२-५३ में ७ करोड़ ११ लाख खर्चा है जो कि कुल आमदनी का १/९ है। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि १/६ और १/९ में कौन सा कम है। तो जब हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य इस किस्म की दलीलें देने लगते हैं तो बात समझ में नहीं आती है।

एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं और वह बुनियादी बात है। बड़ी आवाजें आयीं उधर से और दुर्भाग्य से इस तरफ की भी कुछ आवाज मिल गई कि पुलिस में रिश्वतखोरी है और कर्त्तव्यहीनता है और सरकारी अफसर अपने कर्त्तव्य के बाहर चले जाते हैं।

एक सदस्य--- यह तो आपकी तरफ से भी कहा गया है।

श्री रामनरेश शुक्ल---यह तो मैं खुद ही मानता हूं कि आपकी आवाज इतनी तेज थी कि कुछ इधर उधर के लोग भी बहक गये। जहां तक रिश्वतखोरी का संबंध है अगर ध्यान से

उसको समझा जाय या कर्त्तव्य परायणता का जहां तक संबंध है आज के समय में यह बात दावे के साथ कही जा सकती है इसमें किसी भाषण देने की कला का प्रदर्शन नहीं है बल्कि इसका संबंध वास्तविकता से है कि आज यह सच है कि कांग्रेस की पांच साल की हुकूमत से इस देश के अफसरों में नैतिकता और कर्त्तव्यपरायणता का अच्छा दर्जा पैदा किया है लेकिन साथ ही साथ यह भी मानते हैं कि जिस दर्जे तक हमको जरूरत है उस दरजे तक हमारे अफसरान अभी नहीं पहुंच पाये हैं और उसका एक बुनियादी कारण है। वह कारण यह है कि हमारा देश हजारों वर्षों तक विदेशियों के नीचे गुलाम रहा है। हजारों वर्षों तक मैंने जानबूझ कर कहा है और इन हजारों वर्षों में केवल हमारा राजनीतिक पतन नहीं हुआ है बल्कि नैतिक पतन भी हुआ है इसीलिये हम इस रोग को इतनी जल्दी से समाप्त नहीं कर पाये हैं। इसके दूर करने के दो ही रास्ते हैं। एक तो चीन का रास्ता जिसका हवाला दिया गया है। गोलियों से उड़ा देना रिश्वतखोरी को खत्म कर देना और ब्लैक मारकेटियर्स (चोर बाजार वालों) को खत्म कर देना है और दूसरा रास्ता है नैतिकता का। हम धीरे धीरे उत्थान करें। पहले में खतरा यह है कि रोगी जब किसी डाक्टर के पास जाता है और वह उसी को खतरा पैदा कर देता है। ठीक इन्सान की तरह से ही समाज की भी दशा होती है। अब पहले का रास्ता खतरे का रास्ता है। चीन में आज कलाकार की कलम रुकी हुई है, साहित्यिक का दिमाग रुका हुआ है, नागरिक का जीवन नर्क में है। अगर इस प्रकार का जीवन हमें चुनना पड़े तो अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि इस प्रकार का जीवन और स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिये। यहां पर तो हर आदमी हर प्रतिनिधि इस सदन के अन्दर और बाहर बड़े से बड़े आदमी को, चाहे जो अनाप शनाप, भला बुरा बक सकता है। इतनी बड़ी स्वतंत्रता किस देश में है। अगर इस स्वतंत्रता को व्यक्ति के विकास के साथ कायम कर सकें तो हमें दूसरे रास्ते को अपनाने की जरूरत नहीं है।

समय समाप्त होने वाला है। आखिर में एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। वह यह है कि हमें यह बददुआ दी गयी कि इस कर के अन्दर हुकूमत की मौत का पैगाम है। यह कर हमारी उसे बड़ी योजना का एक साधन है और अगर साधन के रास्ते में हमारी या हमारी सरकार की मौत हो जाती है तो हमें ऐसी मौत सौ बार मुबारक है और आप को ऐसी जिन्दगी हजारों मर्तबा मुबारक है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं उनके सन् १९५२-५३ ई० के बजट प्रस्तुत करने पर उसके बाद हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने जो बातें कही हैं उन के जवाब में कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। हमारे विरोधी पक्ष के नेता श्री राजनारायण जी ने कल अपने भाषण में यह बात कही कि यह बजट रद्दी की टोकरी में फेंक देने लायक है। दूसरे भाई ने कहा कि दिवालिया रईसजादे का यह बजट है। तीसरे भाई ने यह कहा कि गरीबों का यह बजट नहीं है। मैंने इस बजट को अच्छी तरह से पढ़ा है और सारे पन्ने उलट डाले लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि धनियों के लिये इस बजट में क्या रखा गया है। हमारा प्रान्त गरीबों का प्रान्त है। अगर इस बजट में किसी का लाभ है तो गरीबों का लाभ है। हमारी जितनी योजनायें हैं, जितने नये-नये बांध बनने जा रहे हैं मिर्जापुर की फैक्ट्री खुल रही है जिसमें सवा करोड़ रुपये का व्यय होगा, नदियों की दिशाओं को बदलने के लिये बांध बनाने की बड़ी-बड़ी स्कीमों का बजट में जिक्र है और उन पर व्यय करने के लिये रकम रखी गयी है। तो क्या आप समझते हैं कि उनसे गरीबों का फायदा नहीं होगा। हम तो जानना चाहेंगे अपने मित्रों से जो विरोधी पक्ष में बैठे हुये हैं कि अगर यह दरअसल गरीबों के फायदे का नहीं है तो किसके फायदे का है? आगे चल कर विरोधी पक्ष के हमारे भाई ने यह भी बताया कि इन योजनाओं से कोई फायदा नहीं हुआ है और आइन्दा भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि नयी नयी योजनाओं के लिये रकम रख दी गई है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मेरा

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

संबंध कई वर्षों से है और आज भी है। कभी भी वह बात नहीं थी जो कांग्रेस सरकार ने किया है और इस बजट में भी उस का जिक्र है। हमने हजारों विद्यार्थियों के लिये फीस माफ कर दी है। आप आंकड़े देख लें उनसे पता चलेगा कि सच बात तो यह है कि हरिजनों को हुकूमत ने जो जमीन के अन्दर गड़े हुये थे, उठा कर आसमान पर बैठा दिया है। आज हरिजन भाई हमारे मंत्री हैं। कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जहां पर हरिजन मंत्री न हों। हमने हरिजनों को ऊंची से ऊंची जिन्दगी दी है और अब कोई फर्क ब्राह्मण और हरिजन आदि का नहीं रह गया है। उनकी तरक्की के लिये हम कटिबद्ध हैं और रात दिन काम करते हैं। अगर कोई बात कांग्रेस हुकूमत ने की है तो हरिजनों का उत्थान और उद्धार है। इस पर भी हमारे ऊपर यह लांछन लगाया जाता है। ये हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी और उनके पास मौजूद जो बैठे हुये हैं और उनके साथ माननीय चौधरी गिरधारीलाल जी हैं। तो क्या आपका मतलब यह है कि हमने हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया? 'प्रत्यक्षस्य प्रमाणं-किम्?' प्रत्यक्ष के लिये आप प्रमाण मांगते हैं। मैं कहूं क्या। वास्तविकता यह है कि कि वह चश्मा ऐसे रंग का लगाये हुये हैं कि हमेशा उनको वही रंग दिखायी देता है। उनको हमारे अच्छे से अच्छे और भले से भला काम भी बुराइयों से भरा नजर आता है। मजबूरी है हम चाहते हैं कनविंस (संतुष्ट) करना। उनको अपने प्रमाणों से, दलीलों से, कामों से साबित करना चाहते हैं कि हम जो कुछ काम करते हैं नेकनियती से करते हैं, जनहित के लिये करते हैं, गरीबी को दूर करने के लिये करते हैं, जनता की भलाई के लिये करते हैं। लेकिन वह हमारे भाई उसमें दूसरी ही चीज देखते हैं। हम मजबूर हैं। इस जीवन में तो शायद उनको कनविंस न कर सकें, मुझे इस तरह का संदेह है।

अब जरा शिक्षा के संबंध में वास्तविकता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे भाई का यह कहना है कि शिक्षा में कोई उन्नति नहीं हो रही है। मैं आपको आंकड़ों के जरिये से साबित करना चाहता हूं। सन् १९४५-४६ में शिक्षा पर जहां २ करोड़ ४५ लाख रुपया व्यय होता था वहां आज आठ, दस करोड़ रुपया व्यय हो रहा है। क्या यह शिक्षा पर कम व्यय हो रहा है? सन् १९४६ में विद्यार्थियों की संख्या जहां ३० लाख थी, वहां अब ३२ लाख उनकी संख्या हो गयी है। सन् १९४६ में जब प्राइमरी स्कूलों की संख्या १९ हजार थी वह अब ३५,००० हो गयी है। अब हमारे ८६ म्युनिसिपल बोर्डों ने म्युनिसिपल स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा कर दी है। १७ कालिजों के स्थान पर ४८ कालेजेज हैं। यह तो हुई प्रांत की बात।

अब मैं जिला बोर्ड की बात बतला दूं। आजमगढ़ जिला बोर्ड कांग्रेसी बोर्ड की हालत बतला दूं। सन् १९४८ से यह जिला बोर्ड कांग्रेसी जिला बोर्ड है। उसके पहले नहीं था। सन् १९४८ के बाद आज जो प्रगति हुई है, दो मिनट में, यदि आप आज्ञा दें तो बतला दूं जिससे पता चल सके कि शिक्षा में प्रगति क्या हुई है। जहां ५०० स्कूल १९४८ के पहले थे वहां आज ९०० स्कूल हमारे यहां हैं। जहां पहले १८०० अध्यापक थे वहां अब ३७०० हैं। विद्यार्थियों की संख्या पहले ६०,००० थी, आज ९०,००० है जिनमें १४,००० हरिजन हैं। जैसा मैंने पहले कहा मैं बोर्ड का मेम्बर रह चुका हूं तो जहां पहले हजारों रुपया बेसिक तालीम पर वेस्ट (नष्ट) किया जाता था, २०० रुपया प्रति माह हर स्कूल को दिया जाता था और वह रुई मंगा कर के उसे वेस्ट किया करते थे, इस तरह से हजारों रुपया बर्बाद होता था। आज हमने यह प्रबन्ध कर दिया है कि सात, आठ मन सूत हर महीने में हमारे यहां बोर्ड में आता है जो लड़कों की तकली से कता हुआ होता है और आज हमारे यहां ५० मन, आप नोट कर लें, सूत हमारे यहां गोदाम में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास मौजूद है और ४०० थान कपड़ा हम बनवा चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं कि यह प्रगति जो हमने की है वह कम है? प्रांत की हालत आपको बतला दी, जिलों की हालत आपको बतला दी और इस पर कहते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं की।

शिक्षा के साथ हमारे भाई ने यह भी एतराज किया कि पुलिस बड़ा अत्याचार करती है, जुल्म करती है और उसी पर तनख्वाह और व्यय बढ़ रहे हैं और ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का और अपने पक्ष के सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब सन् १९४७ में देश के विभाजन के समय यहां देश में आग लग गई थी और उसकी लपटें हमारे सूबे में पहुंच गई थीं तो वह कौन था जिसने उन लपटों से हमारे देश की रक्षा की थी ? यही पुलिस थी जिसने रक्षा की। हम मानते हैं कि पुलिस दूध की धोई नहीं है लेकिन किसमें खराबी नहीं है। हम तो यह मानते हैं कि ईश्वर को छोड़ कर कोई पूर्ण नहीं है। ईश्वर ही ऐसा है जो सर्वांगपूर्ण है। खराबी तो सब में है लेकिन उस खराबी का जवाब यह नहीं है जो आप देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम पुलिस तोड़ दें, क्या आप चाहते हैं कि पुलिस के महकमे का वेतन कम करदें ? तब आप खुश होंगे। कभी कभी मैंने यह भी सोचा कि शायद यह विचार हो कि पुलिस बन्द कर दी जाय ताकि अराजकता फैलाने में मदद मिले, लेकिन अगर आप का यह ध्येय है तो हम आप से कभी सहमत नहीं हो सकते हैं। हमको यह देखना है कि शांति स्थापित रहे और हमारे प्रान्त मे कोई गड़बड़ी न होने पाये। एक ओर आप यह आक्षेप करते हैं कि डकैतियां और चोरियां ज्यादा होने लगी हैं और दूसरी ओर आप यह मांग उपस्थित करते कि पुलिस कम कर दी जाय, उनका वेतन कम कर दिया जाय और न जाने क्या क्या कर दिया जाय, तो ये दोनों बाते कैसे हो सकती हैं। यह तो मैंने पुलिस के बारे में कहा। यदि सब बातों का जवाब देने लगूं तो फिर हमारे सामने रोशनी आ जायगी। लेकिन थोड़े में ही हमको सब बात समाप्त करनी है। बजट के सम्बन्ध मे जो मुझे विरोधी पक्ष के एतराजो का जवाब देना था वह मैंने दिया।

अब मैं यह कहूंगा कि सब बातों को देखते हुये यह बजट सर्वांगपूर्ण नहीं है जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ईश्वर को छोड़कर कोई सर्वांगपूर्ण नहीं हो सकता। मैं कुछ खराबियों की तरफ श्रीमान् के द्वारा अपने वित मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि वे यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन इस समय सदन के उपनेता वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं। उनसे मैं यह प्रार्थना करूंगा कि दो तीन बाते मुझको बहुत खटकी हैं जिनकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बजट की कापियां जो हमारे सामने मौजूद हैं इनमें जो विशेष चीज हमे खटकी है वह उद्योग की कमी है। उद्योग में आप ने जो कटौती की है वह बात हमारे लिये असह्य मालूम होती है। हमारे सामने १९५०-५१ १९५१-५२ १९५०-५१ और १९५१ ५२ के उद्योग में उन्नति के अंक मौजूद हैं जो आप की तरफ से प्रकाशित हुए हैं, उसमें हमने यह देखा है कि खासकर खादी और गुड़ डेवेलपमेंट जो है उसको पता नहीं किस पालिसी के अनुसार आप कम करते जा रहे हैं। उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने यह देखा कि खादी स्कीम को समाप्त किया जा रहा है। यह बात कम से कम उन व्यक्तियों के लिये, जो कांग्रेस को अपने जीवन से ज्यादा समझते हैं और जो ३०,३२ साल से कांग्रेस के पुजारी रहे हैं, असह्य है। मैं श्रीमान के द्वारा अपने वित मंत्री से अनुरोधकरना चाहता हूं कि वे इस स्कीम को कदापि न समाप्त होने दें। यह तो हमारी जान है और यही नहीं महात्मा गांधी के लिये, पूज्य बापू के लिये खादी, सर्वेसर्वा थी।

इसके अलावा गुड़ डेवलपमेंट की जो स्कीम है, हमने देखा है कि उसको भी आप समाप्त करना चाहते हैं। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं लेकिन लाल बत्ती आ गई है, केवल दो ही मिनट का समय है इसलिये मैं श्रीमान् के द्वारा वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मैं पूर्वी जिले का रहने वाला हूं, आजमगढ़ जिले से मैं आया हूं, पूर्वी जिलों का मुख्य व्यवसाय गुड़ है और गुड़ डेवलपमेंट अगर आप बन्द करते हैं तो इसके माने यह हैं कि आप हमारी सारी चीजों को बन्द करते हैं। चीनी हमारे काम नहीं आ सकती। चीनी पी कर काश्तकार दिनभर फावड़ा नहीं चला सकता है। एक साहब मुझसे मिले थे उन्होंने कहा कि अरे भाई, आजकल तो सब चीनी पीते हैं। मैंने कहा कि महाराज चीनी तो किसी किसी को मिलती है, हमारे यहां तो गुड़ का शर्बत लोग पीते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती,)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र की बात नहीं रखूंगा और सुझाव भी नहीं दूंगा । उसके मौक़े और भी आयेंगे तब अर्ज़ करूंगा । आज तो सिर्फ उस पहलू पर विचार करूंगा जो हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने आपके सामने रखे हैं । यह सही है कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छाई से उनकी बातों का जवाब दिया है लेकिन एक आध बात रह गयी है । संक्षेप में उस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा ।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि इस बजट का हेल्दी क्रिटिसिज्म (विधायक आलोचना) होता जिससे सदन को सहायता मिलती। ऐसा किया जा सकता है अगर हमारे विरोधी दल के लोग मेहनत करें । लेकिन हुजूर वाला वे मेहनत नहीं करते और चाहते हैं कि बहुत आसानी से श्रेय उनको मिल जाय । आप नहीं थे, डिप्टी स्पीकर साहब के सामने अभी अभी श्री सुरेशप्रकाश सिंह साहब ने बजट की तारीफ़ की । वह ज़मींदार हैं । अभी अभी ज़मींदारी टूटी है । उनका बहुत नुकसान हुआ है, उसमें कोई शुबहा नहीं है । लेकिन सच्चाई की बात को उन्होंने कबूल किया कि बजट अच्छा है । हिन्दू सभा के भाई भी यहां बोले थे । उन्होंने भी निन्दा नहीं की । यह नहीं कहा कि थर्ड क्लास की चीज है इसलिये बजट को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये । इन मेम्बरों ने कांग्रेस की मुखालिफ़त की थी और वे इत्तफ़ाक़ से जीत कर यहां आ गये। ये कांग्रेस के विरोधी हैं मगर फिर भी बजट की तारीफ की। दिलचस्पी तो यह है कि जिन्होंने हमारे साथ जेलों की तकलीफ़ें नहीं झेलीं और न हमारे साथ काम करते थे उन्होंने मुखालिफ़त नहीं की, मगर ये हमारे सोशलिस्ट दोस्त जिन्होंने हमारे साथ जेलखाने में तक़लीफ़ें झेलीं, हमारे साथ देश के लिये गोलियां खाने को तैयार रहे हैं और अंग्रेजों का मुक़ाबिला किया, अफ़सोस है कि सिर्फ लाल टोपी लगाने के बाद आज वे बदल गये । मैं अर्ज़ करता हूं कि उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में पुलिस की मुखालिफ़त की । मैं अर्ज़ करता हूं कि मैं उन आदमियों में से नहीं हूं कि जो अपनी ग़लती को क़बूल न करें, मैं मंजूर करता हूं कि रिश्वत का लेना आज भी जारी है जिसके लिये शर्म से हमारा सिर नीचा है । मैं इस बात को क़बूल करता हूं । लेकिन हुजूर वाला, आप जानते हैं कि यह क्यों है, किस लिये है, गौर कर लीजिये । अंग्रेजों ने पढ़ाया था कि पढ़ो, घूस लो और चैन करो । मास्टर लोग स्कूल में पढ़ाते थे कि—

"चढ़ने को घोड़ा पाओगे, रुपया खूब कमा लाओगे।"
"कलम कहता है कि मैं जंगल का खर हूं,
मगर मुझको पकड़ो तो दौलत का घर हूं।"

इनसे आशा करना कि मौका आने पर ये रिश्वत नहीं लेंगे दुराशामात्र है जिस पर मंहगाई आ गई । जो आज सौ रुपया पाता है वह बाजार में २०) रुपया का सौदा पाता है । पढ़े तो थे धन बनाने के लिये लेकिन यह गरीबी आगई। इसलिये मजबूर होता है आदमी रिश्वत लेने के लिये । इधर लड़की की शादी बच्चों की फीस, बीमारी में दवा मिलना मुश्किल हो रहा है । फिर भी अनेक छोटे और बड़े अफसर ऐसे हैं जो कि गरीबी से जिन्दगी बसर करते हैं मगर रिश्वत नहीं लेते।

आज पुलिस की बहुत शिकायत की गई है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नहीं बल्कि जब हम लोग स्वराज्य के लिये आप के साथ काम करते थे तो अनेक पुलिस आफीसरों ने सहायता की थी । एक मुकद्दमा जब मेरे ऊपर चलने वाला था तो थानेदार ने मुझसे कहा कि 'सीताराम' मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा लेकिन तुम अपना बयान कविता में देना । सन १९२९ में एक दफा ऐसा मौक़ा आया कि मुझे एक जगह स्पीच देने जाना था और वह जगह ६ मील दूर थी । दरोगा जी घोड़े पर मेरा बयान नोट करने जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा दरोगा जी अपना घोड़ा मुझे दे दो क्योंकि समय कम है और मेरा जाना बहुत जरूरी है । उन्होंने फौरन् मुझे अपना घोड़ा दे दिया । अगर किसी तरह से पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को

मालूम हो जाता तो वह फौरन बरखास्त हो जाते । सन् १९४७ में साम्प्रदायिकता के कारण पंजाब में कत्ले आम हुआ, किन्तु यू० पी० की पुलिस ने वह काम किये हैं जिससे हमारा सर ऊंचा है । आप जानते हैं कि हमारी पुलिस ने डाकुओं के पीछे अपनी जानें दे दी हैं । उन्होंने अपनी बीबी बच्चों की परवाह नहीं की है । इसलिये ईमानदारी का तकाजा है कि पुलिस की शिकायत करते समय उसकी तारीफ भी की जाय, लेकिन विरोधीवृन्द सिर्फ ऐब ही दिखलाना चाहते हैं और अच्छाइयों को भूल जाया करते हैं ।

आज आप लोगों ने फरमाया है कि जमींदारी विनाश से कोई फायदा किसानों को नहीं हुआ है । पहले तो आप कहते थे कि जमींदारी खत्म होनी चाहिये लेकिन जब आज जमींदारियां टूट गईं तो आज यह कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है । हम आगे चलें तो शिकायत होती है और न चलें तो भी शिकायत होती है । हुजूर वाला, आप जरा देखिये कि आज घर घर में किसान चिराग जला रहा है, खुशी मना रहा है, सर ऊंचा करके चल रहा है । यदि उसको कुछ फायदा नहीं है तो फिर काहे को वह खुशियां मनाता है, उनके चेहरे पर क्यों मुस्कराहट है ।

यह कहा जाता है कि नये टैक्स लगाना ठीक नहीं है । मैं भी मानता हूं कि ठीक नहीं है । मैं अर्ज करता हूं कि इस मुल्क में बदकिस्मती से कोई भी आराम से नहीं है चाहे वह बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो । मुल्क गुलाम था गरीबी आई । इससे हजारों कमजोरियां आईं और वह अभी तक नहीं गईं इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं हैं । लेकिन किसान भूखा है वह खाना खाये या गल्ले को बोये । जो बेवकूफ किसान है वह तो आटा पिसवा कर गल्ले को खा लेते हैं जो होशियार किसान है वह उपवास करके भी गल्ला बोता है । फलस्वरूप कहीं ज्यादा गल्ला पैदा करता है । ठीक इसी तरीके से हर तबके का प्रश्न है । पूंजीपतियों को बड़े बड़े घाटे हुये शेयर मारकेट में, उनको बड़ा भारी नुक्सान हुआ और किसान मजदूर तो गरीब हैं ही । मगर इस गरीबी को दूर करने का सिवा उत्पादन को बढ़ाने के कोई उपाय नजर नहीं आता है । इसलिये हम उत्पादन बढ़ाने का काम करें ताकि हमारी गरीबी दूर हो ।

अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है गरीबी है, किसानों को परेशानी है, मजदूरों को परेशानी है । मालूम होता है हम लोग कहीं बाहर के रहने वाले हैं इसलिये हमको उनकी दशा का पता नहीं है । हमको किसान मजदूरों से मोहब्बत नहीं है । जनाब वाला, मुल्क में गरीबी है और उससे उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है जो गरीब तबका है । गरीबी को दूर करने के लिये स्वतंत्रता की आवश्यकता थी । २६ जनवरी को हम इसलिये प्रतिज्ञा करते थे कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे हमें आजादी मिलनी चाहिये ताकि गरीबी मिटा सकें । मैं पूर्वी जिले का रहने वाला हूं । मैं ने इन कम्बख्त आंखों से गरीबों को तड़पते हुए देखा है । इसी गरीबी को मिटाने के लिये हम कांग्रेस में आये थे, जेल में चक्की पीसी था, फांसी के तख्ते पर झूलने को तैयार रहते थे । अध्यक्ष महोदय, आसमान में बादल उमड़ता है देखने में अच्छा मालूम होता है, लेकिन किसानों के सर पर विपत्ती का बादल उमड़ता है । आसमान में बादल गरजता है और हमारे गरीब भाई आह करते हैं । आसमान में पानी बरसता है किसान की आंखों से आंसू बहते हैं, अन्तर इतना होता है कि पानी बरसने से जमीन हरी भरी होती है और किसान के आंसू बहने से उसका कलेजा सूखता है लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद गरीबी में कुछ कमी हुई । चलिये जरा देहात में देखिये । हजूर वाला, कांग्रेस सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ा दी, किसानों के साथ रियाअत की । फलस्वरूप जहां पहले झोपड़े थे वहां आज कहीं कहीं खपड़ैल या पक्के मकान बन गये हैं । जिनके बाप दादा गन्दे कपड़े पहनते थे, अब उनके प्यारे बच्चे सफेद कपड़ा पहनने लगे हैं । जहां स्कूल नहीं थे, शिक्षा नहीं थी वहां आज स्कूल हैं । आप धोबी दर्जी के यहां जाकर देखिये हजारों रुपया लगान देने वाला काश्तकार जो खाना खाता है वैसा ही भोजन साधारण दर्जी भी खाता है वह अधिक गरीब नहीं दिखाई देगा । श्रीमान्, आज गांवों के मकानों में छल्ले लग गये हैं किसान पक्का मकान बनाने के लिये सीमेंट चाहता है कांग्रेस सरकार के आने से सब बातें पूरी नहीं हुईं यह सही है लेकिन तरक्की अवश्य हुई किसानों के बच्चे अब साइकिलों पर चलने लगे हैं उनमें हिम्मत आई, सबके आगे बढ़ने का हौसला हुआ । मैं मानता

[श्री सीताराम शुक्ल]

है कि अभी पूरा आर्थिक लाभ नहीं हुआ लेकिन इसमें शुबहा नहीं कि कांग्रेस सरकार के आने से कुछ किसान आज खुशहाल हो गये हैं। उसका डर जाता रहा। उसी का नतीजा है कि उसने 'दो बैलों की जोड़ी' को वोट दिया।

आखिर में एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। "उत्तमाम मानमिच्छांति प्रतिष्ठा बुरी चीज नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिये। इसमें दो राय नहीं। लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप करके नहीं। चूंकि फलां बुरा है इसलिये हम अच्छे हैं। यह तरीका उचित नहीं। आपने श्री परिपूर्णानन्द जी पर आक्षेप किया कि जब देशभक्त लोग जेलों में थे तब वे पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ा रहे थे। परिपूर्णानन्द जी न सही लेकिन उनके बड़े भाई श्री सम्पूर्णानन्द जी तो हमारे साथ जेलखाने में बैठे थे। क्या घर का घर जेल चला जाता। याद रहे जेल जाने वाले तब जेल गये हैं जब कि बाहर रहने वालों ने सहायता की है। लाल रोशनी हो गई जिसके मानी हैं कि समय पूरा हो गया मैं व्याख्यान बन्द करता हूं यह कह कर कि आक्षेप मत करो। नेतृत्व की इच्छा है तो यही कहना उचित होगा कि वह अच्छे हैं लेकिन हम उनसे भी अच्छे हैं लिखने पढ़ने में काम करने में। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है और उसे साबित भी कीजिए तो आगे आ सकते हैं। बच्चा शक्का ने काबुल के शाह को गोली देकर शासन ले लिया मगर थोड़े ही दिन बाद गोली से उड़ा दिया गया, क्या नतीजा हुआ दुनियां जानती है। किन्तु गांधी जी साधारण प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस में शरीक हुए थे लेकिन अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि हिन्दोस्तान, एशिया, और सारे संसार के दिलों के सम्राट् बन बैठे।

कतिपय अनुदानों पर मतदान का कार्यक्रम

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि जो अनुदानों के ऊपर मतलिये जायेंगे उनमें से ग्यारह, बारह तारीख के संबंध में सूचना देता हूं, वे इस क्रम से लिये जायेंगे इसके बाद की सूचना कल दूंगा उन अनुदानों के विषय में जो बाकी रह जायेंगे। ग्यारह, बारह तारीख को ये अनुदान लिये जायेंगे।

अनुदान	२२	कृषि और उपनिवेशन
,,	३५	दुर्भिक्ष सहायता
,,	४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत
,,	१३	गांव सभा और पंचायतें
,,	२१	कृषि संबंधी विकास और खोज
,,	२४	पशुचिकित्सा
,,	३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

ये अनुदान ११ और १२ तारीख को लिये जायेंगे और इसके संबंध में मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि चूंकि आज ही इसकी सूचना दे दी है तो अभी केवल ४८ घंटे का ही समय रहता है इसलिये अब मैं विशेष सहूलियत देता हूं कि कल १ बजे तक जो कट मोशंस देना चाहें या और कोई मोशन देना चाहें तो माननीय सदस्य वह दे सकेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १२ मिनट पर अगले दिन १० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
९ जुलाई, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५० एल० ए०—१९५२—८५०।